WWW.NAVPRADESH.COM

दैनिक नवप्रदेश

आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्

प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर... 2 | देश-विदेश 4 | अभिव्यक्ति 8 | छत्तीसगढ़ 11 | खेल/बिजनेस

रायपुर, गुरुवार, 17 जुलाई 2025 कृष्ण पक्ष- सप्तमी, विक्रम संवत -2082 / वर्ष-14 अंक- 154 पृष्ठ-12 मूल्य-4 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

नेता प्रतिपक्ष ने पीएम आवास पर सरकार को घेरा, डिप्टी सीएम के जवाब पर बिफरा विपक्ष

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में पीएम आवास योजना को लेकर विपक्ष ने तीखे सवाल दागे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कबीरधाम जिले में बैगा परिवारों से अवैध वसूली सहित तखतपुर व अन्य इलाकों में पीएम आवास के लिये अवैध वसूली का मामला उठाया। महंत ने सवाल किया कि क्या सीएम की घोषणा के अनुरूप पीएम आवासों के आवंटन में अनियमतिता के मामले में कलेक्टरों को सस्पेंड किया जाएगा। कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक के पुनर्स्थापन पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने केंद्र सरकार के तीन काले कृषि कानून का हिस्सा बताते हुए विरोध किया। इस मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने सदन से वाक आउट कर दिया।

पीएम आवास योजना से जुड़े प्रश्न पर विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापक अनियमितताएं हो रही है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिल रहा है। विपक्ष के हंगामे पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम व पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पांच साल तक कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़वासियों को पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित रखा। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पीएम आवासों का काम पूरी तरह बंद रहा। साय सरकार ने लोगों को आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। बहस के दौरान ■ शेष पृष्ठ 6 पर

बिजली दामों में बढ़ोतरी पर विपक्ष ने लाया था स्थगन, सरकार के जवाब से संतुष्ट हुआ विपक्ष

छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष में इतिहास बन गया। बिजली दर में वृद्धि पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव आसंदी ने अस्वीकार्य कर दिया। लेकिन प्रस्ताव अस्वीकार्य होने के बाद भी विपक्ष ने हंगामा नहीं किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के द्वारा विषय को गंभीरता से लेने पर आभार जताया। इस पर सत्तापक्ष ने मेजें थपथपाई। शून्यकाल में नेता-प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने बिजली दर में वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिजली दर में वृद्धि से पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है. गरीबों को बिजली दर में वृद्धि आर्थिक मार झेलनी पड़ रही है। विपक्ष ने जो ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सदन में उठा सायबर अपराध का मुद्दा

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान एक बार फिर भाजपा के ही विधायक सरकार को घेरा। भाजपा विधायक सुनील सोनी के बाद राजेश मूणत और अजय चंद्राकर ने प्रश्नकाल में प्रदेश में साइबर क्राइम को लेकर सवाल किया। रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश में साइबर ठगों के चंगुल में लगातार लोग फंस रहे हैं। साइबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है। आईपीएस की नियुक्ति इसके लिए नहीं है. साइबर थाना है, लेकिन कहां है, कई लोग जान नहीं पाते. अपराध दर्ज होने के आंकड़े 16 हजार से ज्यादा है, ऐसा एनसीआरबी भी बता रहा है, एआई भी बता रहा है। डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि साइबर थाना ही नहीं बल्कि रायपुर में कम्पोजिट साइबर भवन है, हम सदस्य को वहां ले जाएंगे. विशेषज्ञ की नियुक्ति भी जल्द होगी. उन्होंने कहा कि छह महीने की ट्रेनिंग लेकर साइबर के एक्सपर्ट आ चुके हैं, वो विशेषज्ञ से कम नहीं है। गृह मंत्री ने बताया कि साइबर अपराध के 1301 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं. एआई पर ज्यादा विश्वास नहीं करें। हम सही आंकड़े दे रहे हैं. साइबर थाने की बात नहीं, बल्कि साइबर सेल की बात हर जिले में हुई थी. एनसीआरबी का डाटा 2022 के बाद आया ही नहीं, फिर नई जानकारी कैसी आएगी?

विपक्ष के सवालों पर घिरे स्वास्थ्य मंत्री

सदन की कार्यवाही के तीसरे दिन डॉ. भीम राव अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल (मेकाहारा) की बंद पड़ी जांच मशीनों और मशीनों की खरीदी प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को घेरा. स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेस विधायक के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में पांच साल आपकी भी सरकार थी. कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने प्रश्नकाल में मेकाहारा में बंद पड़ी जांच की मशीनों की मरम्मत ■ शेष पृष्ठ 6 पर

दिव्यांगजनों पर कार्रवाई का मुद्दा कांग्रेस ने सदन में उठाया

राजधानी में दिव्यांगजनों के प्रदर्शन और पुलिसिया कार्रवाई को कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने पुलिस-प्रशासन की बर्बरता करार देते हुए कहा कि सरकार दिव्यांगजन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों की मांगों को सुने और पूरा करे। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने सदन में भी दिव्यांगजनों का मुद्दा सदन में उठाया था. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अपनी मांगों को लेकर विधानसभा तक पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्वक ■ शेष पृष्ठ 6 पर

विधानसभा घेराव करने निकले दिव्यांगों को पुलिस ने बलपूर्वक घसीटा

राजधानी रायपुर में विधानसभा का घेराव करने निकले दिव्यांगों के साथ पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया है। उन्हें बेरहमी से घसीटते हुए पुलिस गाड़ी में बैठाया गया। फिलहाल पुलिस प्रदर्शनकारियों को लेकर धरना स्थल तूता के लिए रवाना हो गई है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, विभिन्न मांगों को लेकर दिव्यांग संघ 100 दिनों से लगातार हड़ताल कर रही है। दिव्यांग संघ आज ■ शेष पृष्ठ 6 पर

भारतमाला मुआवजा घोटाला : ईओडब्ल्यू ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

रायपुर/नवप्रदेश। भारतमाला प्रोजेक्ट में मुआवजा राशि घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जल संसाधन विभाग में अमीन के पद पर पदस्थ लोकसेवक गोपाल राम वर्मा (से. नि.), नरेन्द्र कुमार नायक समेत 4 अन्य व्यक्ति खेमराज कोसले, पुनुराम देशलहरे, भोजराम साहू एवं कुंदन बघेल को आज गिरफ्तार कर रायपुर विशेष न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी खेमराज कोसले पूर्व जिला पंचायत सदस्य और अभनपुर जनपद अध्यक्ष रह चुका है। आरोपी कुंदल बघेल दस सालों तक नगर पंचायत अभनपुर के अध्यक्ष थे। आरोपी पुनुराम देशलहरे नायकबांधा का पूर्व सरपंच है। जांच में पाया गया कि जल संसाधन विभाग के दो अधिकारियों ने पूर्व में अधिग्रहित की गई भूमि के बारे में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 4 अन्य व्यक्तियों ने फरार चल रहे राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर खाता विभाजन (बटांकन) प्रकिया एवं अन्य राजस्व प्रक्रियाओं में फर्जीवाड़ा किया था और किसानों से उसकी एवज में भारी मात्रा में कमीशन लिया था। इस मामले में जांच जारी है।

हिंसक झड़पों के बीच गोलान हाइट्स के ड्रूज नागरिक दक्षिणी सीरिया में हुए दाखिल

यरूशलम (आईएएनएस)। ड्रूज लड़ाकों और सीरियाई अंतरिम सरकार के बलों के बीच हिंसक झड़पों के बीच इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स से दर्जनों ड्रूज नागरिक दक्षिणी सीरिया में दाखिल हो गए हैं। इजरायली सूत्रों ने यह जानकारी दी है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इजरायल की सेना ने कहा कि सैनिक इन नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। ये लोग इजरायल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स में मौजूद मजदल शम्स से सीरिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित ड्रूज गांव में गए थे।

मोदी सरकार ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को दी मंजूरी

नई दिल्ली (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर अगले 6 साल तक लागू की जाएगी और देश के 100 जिलों को कवर करेगी। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, नीति आयोग के 'आकांक्षी जिला कार्यक्रम की पहल से प्रेरित है। यह कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित अपनी तरह की पहली योजना होगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण की सुविधा बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना का क्रियान्वयन 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं, राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय भागीदारी के जरिए किया जाएगा। योजना के लिए कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और कम ऋण वितरण जैसे तीन प्रमुख बिंदुओं के आधार पर 100 जिलों की पहचान की जाएगी। ■ शेष पृष्ठ 6 पर

आज बेबाक

वाकई हमारे यहां बहुत ही तेजस्वी लोग हैं। जिनका नाम ही तेजस्वी हो उनका कहना की क्या? लालू के लाल तेजस्वी ने लालटेन का ऐसा तेज फैलाया है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में चकाचौंध हो गई है। मीडिया को पहले ही हडका चुके तेजस्वी ने इस बार मर्यादा की सारी सीमाएं लांघकर मीडिया के सूत्र को मूत्र बता दिया है। उनके इस बयान पर बवाल खड़ा हुआ लेकिन वे अभी भी अपनी बात पर कायम हैं। सूत्र की नई परिभाषा तो उन्होंने गढ़ ली अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विश्वस्त को वे क्या नाम देते हैं।

स्वर्ण मंदिर को तीसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी

चंडीगढ़ (वार्ता)। पंजाब में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर को पिछले कुछ दिनों में तीसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद मंदिर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को एक फर्जी ई-मेल आईडी से मेल मिला है, जिसमें मंदिर के अंदर आरडीएक्स से भरे पाइपों से विस्फोट करने की धमकी दी गयी है। सुरक्षा कारणों से संदेश के विवरण का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बम निरोधक दस्ते और खोजी स्वानों को विस्फोटक खोजने में लगाया गया है।

दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी

नयी दिल्ली (वार्ता)। दिल्ली के स्कूलों को लगातार तीसरे दिन बुधवार को पाँच स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली।पुलिस के अनुसार द्वारका के सेंट थॉमस, वसंत कुंज के वसंत वैली स्कूल, हौज खास स्थित मदर्स इंटरनेशनल स्कूल, पश्चिम विहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल और लोदी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बम की धमकी के बाद आनन-फानन में एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को खाली करा लिया गया है।

सत्यजीत रे की संपत्ति को संग्रहालय बनाने के लिए सहयोग देने तैयार

नयी दिल्ली (वार्ता) । भारत ने बंगलादेश के मैमनसिंह में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति को गिराए जाने पर खेद व्यक्त करते हुए बंगलादेश सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और इस जगह को संग्रहालय बनाए जाने पर विचार करने को कहा है।भारत ने कहा है कि वह इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहयोग देने को तैयार है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार देर रात एक वक्तव्य जारी कर कहा कि बंगलादेश के मैमनसिंह में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और साहित्यकार सत्यजीत रे की पैतृक संपत्ति, जो उनके दादा और प्रख्यात साहित्यकार उपेंद्र किशोर रे चौधरी की थी को ध्वस्त किया जाना कष्टदायक है।

ग्रीन वेयरहाउस स्पेस 2030 तक 27 करोड़ वर्ग फुट हो जाएगा : रिपोर्ट

मुंबई (आईएएनएस) । ग्लोबल रियल एस्टेट सर्विस कंपनी जेएलएल द्वारा बुधवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ग्रीन वेयरहाउसिंग सेक्टर में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है, जिसमें सर्टिफाइड वेयरहाउस स्पेस 2030 तक वर्तमान स्तर से चार गुना बढ़कर लगभग 27 करोड़ वर्ग फुट होने की उम्मीद है।

गरमा - गरम

शराब घोटाला मामला ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले पर फैसला सुरक्षित

पूर्व मंत्री लखमा की जमानत याचिका पर सुनवाई

बिलासपुर/नवप्रदेश। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। ईओडब्ल्यू और ईडी में दर्ज मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईओडब्ल्यू में दर्ज मामले में जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है। वहीं ईडी में दर्ज केस में जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। दोनों ही मामले में अधिवक्ता हर्षवद्र्धन परगनिहा ने लखमा की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में रखी है।

बता दें कि ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लखमा ने चुनौती दी है। विशेष कोर्ट में प्रस्तुत 1100 पन्नों की चार्जशीट में पूर्व आबकारी मंत्री को शराब घोटाले से 64 करोड़ रुपये कमीशन मिलने की बात कही गई है। चार्जशीट में बताया है कि जांच में साक्ष्यों और वित्तीय विश्लेषण से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हुआ है कि कवासी लखमा, जो एक उत्तरदायित्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन थे, उन्होंने न केवल अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा की, बल्कि मंत्री पद की शक्तियों का उपयोग कर नीतिगत निर्णयों में हस्तक्षेप, अधिकारियों की पदस्थापना में प्रभाव, टेंडर प्रक्रियाओं में विकृति और नगद लेन-देन की एक समानांतर व्यवस्था स्थापित कर पूरे विभागीय तंत्र को भ्रष्टाचार के माध्यम से संचालित किया।

चार्जशीट में कहा गया है कि मंत्री के संरक्षण में विभागीय अधिकारियों, सहयोगियों और ठेकेदारों के माध्यम से सुनियोजित घोटाले को अंजाम दिया गया। कमीशन राशि को मंत्री लखमा ने अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के लिए उपयोग कर भारी मात्रा में लाभ अर्जित किया। एसीबी ने स्पेशल कोर्ट को बताया कि घोटाले में मिले 64 करोड़ में से 18 करोड़ ■ शेष पृष्ठ 6 पर

मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मोदी को लिखा पत्र

नई दिल्ली (आईएएनएस)। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संयुक्त पत्र लिखा है। उन्होंने आग्रह किया कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंध में संसद के आगामी मानसून सत्र में एक विधेयक लाया जाए और लद्दाख को भी संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए।

मल्लिकार्जुन खडग़े और राहुल गांधी ने संयुक्त पत्र में लिखा, 'हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक विधेयक लाए। इसके अलावा, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए कानून बनाए। यह लद्दाख के लोगों की सांस्कृतिक, विकासात्मक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और साथ ही उनके अधिकारों, भूमि और पहचान की भी रक्षा करेगा।पत्र में कहा गया है कि पिछले पांच वर्षों से जम्मू-कश्मीर ■ शेष पृष्ठ 6 पर

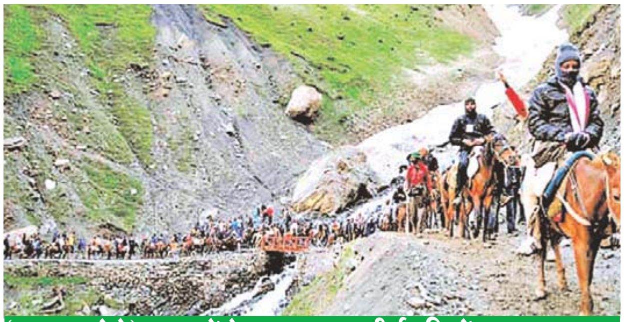

'बम बम भोले' जयकारों के साथ 6064 तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना

जम्मू(वार्ता)। जम्मू-कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए 6064 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था बुधवार को 'बम बम भोले' के जयकारों के बीच भगवती नगर स्थित यात्री निवास से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्री 234 वाहनों के बेड़े में जम्मू आधार शिविर से रवाना हुए। उन्होंने बताया, 6064 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जम्मू आधार शिविर से कश्मीर स्थित श्री अमरनाथ यात्रा गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। उन्होंने बताया कि हल्के और भारी वाहनों सहित 234 वाहनों के बेड़े में 3593 तीर्थयात्री पहलगाम और 2471 तीर्थयात्री बालटाल के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो जुलाई को यहां से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। बाबा फर्फीनी के दर्शन के लिए इस वर्ष 03 जुलाई से शुरू हुयी 38 दिवसीय यह वार्षिक यात्रा 09 अगस्त तक चलेगी। अब तक लगभग दो लाख श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।

देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही, एक बांटती और दूसरी जोड़ती है : राहुल गांधी

गुवाहाटी। देश में विचारधाराओं की जंग लगातार तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने असम के छ्यगांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ आरएसएस की विचारधारा है जो नफरत और हिंसा फैलाती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा है जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है।

राहुल गांधी ने कहा कि असम की जनता सच्चाई जानती है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस भारी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने छ्यगांव की सभा में कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाते हुए कहा कि एक

नई टीम बनाई गई है, काम शुरू हो चुका है और जनता जल्द ही इसके नतीजे देखेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ बताते हुए उन्हें शेर और शेरनियां कहा।

राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हैं। आप किसी से नहीं डरते। आप ही हमारी ताकत हैं। कांग्रेस की विचारधारा आपके डीएनए में है।÷ उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनसंपर्क बढ़ाएं और जनता को बताएं कि कांग्रेस किस विचार और मुद्दों पर काम करती है।

विचारधाराओं की लड़ाई पर जोर

अपने भाषण में राहुल गांधी ने देश में जारी वैचारिक संघर्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश में एक विचारधारा विभाजन की है, वहीं दूसरी विचारधारा कांग्रेस की है, जो एकता और भाईचारे की बात करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच हर नागरिक को जोड़ने की है, जबकि आरएसएस और भाजपा की राजनीति समाज को बांटने की कोशिश करती है।

असम को लेकर दिखाया आत्मविश्वास: राहुल ने असम में कांग्रेस की संभावनाओं को लेकर भरोसा जताया और कहा कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जमीन पर काम शुरू कर दिया है और नई टीम के जरिए लोगों से सीधा संवाद किया जा रहा है। राहुल गांधी का यह दौरा राज्य में चुनावी तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। सभा के अंत में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भाजपा औरआरएसएस की राजनीति समाज में डर और बंटवारा पैदा करती है। इसके जवाब में कांग्रेस सत्य, न्याय और शांति के रास्ते पर चलती है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि देश की आत्मा को बचाने की लड़ाई है।

धर्मांतरण निषेध कानून पर घिरी उत्तर प्रदेश सरकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से धर्मांतरण निषेध कानून (संशोधन) 2024 की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही याचिका को इस मुद्दे से जुड़ी लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए जोड़ा गया है। यह याचिका लखनऊ की शिक्षाविद रूप रेखा वर्मा और अन्य लोगों द्वारा दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी के धर्मांतरण निषेध कानून 2024 की कुछ धाराएं स्पष्ट और विस्तृत नहीं हैं। इनकी भाषा इतनी उलझी हुई है कि पता ही नहीं चलता कि कानून के तहत अपराध क्या है? इससे लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी और धर्म प्रचार के अधिकार पर असर पड़ता है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कहा कि कानून को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिकाएं भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित हैं। जबकि याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि याचिका केवल 2024 में कानून में संशोधन को चुनौती देने के लिए थी। अधिवक्ता पूर्णिमा कृष्णा के माध्यम से दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 , 19 , 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और 25का उल्लंघन करता है।

इस्राइली हमलों में 41 फलस्तीनियों की मौत

तेल अवीव। गाजा पट्टी में राहत कार्यक्रम चलाने वाले एक इस्राइल समर्थित अमेरिकी संगठन ने बुधवार को जानकारी दी कि एक वितरण स्थल के पास 20 फलस्तीनियों की मौत हो गई। अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक, इसी दौरान इस्राइल हमलों में 41 अन्य लोगों की जान चली गई, जिनमें 11 बच्चे भी शामिल हैं।

गाजा ह्यूमैनिटेरियन फंड (जीएचएफ) ने बताया कि दक्षिण गाजा के खान यूनिस में एक वितरण केंद्र के पास 19 लोगों की मौत भगदड़ में कुचले जाने से हुई, जबकि एक व्यक्ति की मौत चाकू से हमला होने के कारण हुई। संगठन ने आरोप लगाया कि हमास द्वारा

डर और भ्रम फैलाने के कारण हिंसा भड़की। हालांकि, उसने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। यह संगठन आमतौर पर अपने वितरण केंद्रो के पास हुई गड़बड़ी को नहीं मानता।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय और गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मई से अब तक करीब 850 फलस्तीनियों की मौत सहायता पाने की कोशिश करते हुए हो चुकी है। इसमें जीएफएच के वितरण स्थलों सहित अन्य केंद्र भी शामिल हैं। वहीं, इस्राइली हमलों में उत्तरी गाजा में 22 लोगों की मौत हुई, जिनमें 11 बच्चे शामिल हैं। खान यूनुस शहर में 19 अन्य की जान गई। इस्राइली सेना ने कहा कि उसने बीते चौबीस घंटों में गाजा पट्टी में (हमास के) 120 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें उसकी सुरंगें और हथियार भंडारण केंद्र शामिल हैं। इस्राइल का आरोप लगाता है कि हमास नागरिक इलाकों के बीच में अपने सैन्य ढांचे को छिपाता है।

छात्रा की मौत के बाद बवाल, बीजद का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

भुवनेश्वर/बालासोर। बालासोर में यौन उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत के बाद ओडिशा में बवाल मचा हुआ है। छात्रा की मौत के विरोध में राज्य में जगह-जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजद ने बालासोर बंद का आह्वान करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज व पानी की बौछार की और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कई बीजद कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। वहीं पुलिस के साथ हुई झड़प में दो पूर्व मंत्रियों सहित बीजद के कई कार्यकर्ता और नेता घायल हो गए। बालासोर स्थित फकीर मोहन स्वायत्तशासी महाविद्यालय में प्रोफेसर के यौन उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा का सोमवार देर रात को निधन हो गया था। छात्रा की मौत के बाद बीजू जनता दल ने सड़क पर उतरकर ओडिशा सरकार के विरोध में बालासोर बंद का आह्वान किया।

'महाराष्ट्र में नाम हटाकर जीती, अब बिहार में भी वही कोशिश', दीदी ने भाजपा पर साधा निशाना

महाराष्ट्र चुनाव में जीत पर भी कसा तंज

कोलकाता। पश्चिम बंगल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। यह रैली कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से शुरू होकर धर्मतला के दोरीना क्रॉसिंग तक गई, जिसमें टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस रैली में शामिल हुए। लगभग तीन किलोमीटर लंबे इस मार्च के लिए पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। करीब 1,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए और कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया।

विरोध मार्च के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगालियों के प्रति भाजपा के रवैये से मैं शर्मिंदा और निराश हूं। सीएम ने कहा कि मैंने अब से ज्यादा बांग्ला में बोलने का फैसला किया है, अब इसके लिए अगर हो सके तो मुझे हिरासत शिविरों में बंद कर दो। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने मतदाता सूची से नाम हटवाए और अब वही तरीका बिहार में अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लगभग 22 लाख प्रवासी मजदूर देश के अलग-अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं। उनके पास सभी वैध पहचान पत्र हैं। इसके बावजूद उन्हें शक की नजर से देखा जाता है। सीमम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि मैं चुनौती देती हूं कि कोई यह साबित करके दिखाए कि बंगाली भाषी प्रवासी रोहिंग्या मुसलमान हैं। यह सिर्फ बंगालियों को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों के खिलाफ हो रहे इस तरह के रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और टीएमसी इसके खिलाफहर मंच पर आवाज उठाएगी।

महंत ने स्थगन प्रस्ताव पर सीएम को दिया धन्यवाद, सदन में खुशी का महौल, सरकार खुश

रायपुर/नवप्रदेश। शून्य काल के दौरान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बिजली की दरें बढ़ाए जाने का मुद्दा उठाया। महंत ने कहा कि बिजली कंपनी को गुढियारी, भिलाई, रायगढ़ में ट्रांसफार्मर व अन्य उपकरणों में आग लगने से करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा लाइन लॉस का नुकसान भी हो रहा है। ये सारे नुकसान की भरपाई आम जनता और किसानों से करने टैरिफ बढ़ाया गया है। महंगाई से जूझ रहे मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग और किसानों को टैरिफ बढ़ाने के फैसले से आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। बिजली की दरें बढ़ाने से लोगों में काफी रोष है। विपक्ष के विधायकों ने बार-बार लाइट बंद होने, मेंटेनेंस न किये जाने का मुद्दा उठाया। महंत ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की मांग की। इसके जवाब में सीएम साय ने कहा कि रोष नहीं है। इसके बाद महंत जैसे ही खड़े हुए, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने उन्हें टोकते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का जवाब आ गया है। इस पर चर्चा की अनुमति नहीं देंगे। इसके जवाब में महंत ने कह दिया कि वे सीएम साय को धन्यवाद देना चाहते हैं। महंत के धन्यवाद ज्ञापित करते ही भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि 25 साल के इतिहास में पहली बार स्थगन प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को धन्यवाद दिया है। यह नई परंपरा शुरू हुई है। कषि मंत्री राम विचार नेताम ने भी खड़े होकर कहा कि नेता प्रतिपक्ष के धन्यवाद के लिये उन्हें धन्यवाद देते हैं। इसीलिये कहता हूं कि संग संग चलव रे। ऐसे ही सकारात्मक भूमिका निभाते रहें। इसके बाद काफी देर तक सत्तापक्ष के विधायक हास परिहास करते रहे।

वरिष्ठ विधायक मोहिले पर महंत की टिप्पणी से हंसी के फौव्वारे फूट पड़े

प्रश्नकाल के दौरान वरिष्ठ भाजपा विधायक पुन्नू लाल मोहिले के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से कहा कि मोहिले जी काफी सीनियर हैं। जवाब ठीक से देना। शर्मा ने कहा कि वे सदन के बाहर भी सवाल करते हैं और कई बार उनके सवालों से भागना पड़ता है। अजय चंद्राकर ने कह दिया कि मोहिले जी आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के मामले में काफी एडवांस हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने आगे जोड़ा कि मोहिले जी का सब कुछ आर्टिफिशियल है। मोहिले ने फौरन जवाब देते हुए कहा कि मेरा सब कुछ आर्टिफिशियल है, यह आप कैसे जानते हैं। महंत और मोहिले के बीच हुई नोकझोंक से हंसी के फौव्वारे फूट पड़े।

पीएम आवास, अस्पतालों में मशीन खरीदी में अनियमितता पर हंगामा

■ **कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक के पुरस्थापन के विरोध में विपक्ष ने किया वाक आउट**

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में पीएम आवास योजना को लेकर विपक्ष ने तीखे सवाल दागे। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कबीरधाम जिले में बैगा परिवारों से अवैध वसूली सहित तखतपुर व अन्य इलाकों में पीएम आवास के लिये अवैध वसूली का मामला उठाया। महंत ने सवाल किया कि क्या सीएम की घोषणा के अनुरूप पीएम आवासों के आवंटन में अनियमतिता के मामले में कलेक्टरों को सस्पेंड किया जाएगा। कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक के पुनर्स्थापन पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने केंद्र सरकार के तीन काले कृषि कानून का हिस्सा बताते हुए विरोध किया। इस मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने सदन से वाक आउट कर दिया।

पीएम आवास योजना से जुड़े प्रश्न पर विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि व्यापक अनियमितताएं हो रही है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिल रहा है। विपक्ष के हंगामे पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम व पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पांच साल तक कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़वासियों को पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित रखा। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पीएम आवासों का काम पूरी तरह बंद रहा। साय सरकार ने लोगों को आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू की है। बहस के दौरान कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा।

प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहले रायपुर विधायक सुनील सोनी ने सायबर क्राइम में दर्ज प्रकरण पर सवाल उठाया। सोनी ने कहा कि यह गंभीर समस्या है। इस मुद्दे पर कई विधायकों ने चिंता जताते हुए सवाल किये। गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्वीकार किया कि प्रदेश में डेढ़ साल में 107 करोड़ की ठगी हुई है। जबकि 3 करोड़ से अधिक राशि पीड़ितों को वापस मिल पाई है। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल किया कि कई बार सीनियर पुलिस अफसरों की ट्रेंनिंग के बावजूद साइबर क्राइम की समस्या क्यों है।

मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और दयालदास बघेल सदन में विभिन्न सरकारी पत्रों को पटल पर रखें, आज सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाए गए। विधायक इंद्र साव, द्वारकाधीश यादव और चातुरी नंद ने कृषि यंत्र और उपकरण वितरण में अनियमितता को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तीन याचिकाएं भी प्रस्तुत की गई। ये याचिकाएं विधायक कुंवर निषाद, अजय चंद्राकर और रोहित साहू की ओर से प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री साय, मंत्री रामविचार नेताम, टंकराम वर्मा और ओपी चौधरी ने शासकीय विधि विषयक कार्यों को पुनः स्थापित किया।

अनुज शर्मा ने नलवा स्टील एंड पॉवर को खदान देने का किया विरोध

विधायक अनुज शर्मा ने नलवा स्टील एंड पॉवर लिमिटेड को आवंटित खदान से ग्रामीण इलाके में बढ़ते विरोध का मामला उठाया। अनुज ने कहा कि चारागाह, तालाब, गौठान, बांध प्रभावित हो रहे हैं। पांच ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं की असहमति है। वे न तो जनसुनवाई चाहते हैं, न खदान देना चाहते हैं। जवाब में ओपी चौधरी ने कहा कि खदान का आवंटन नियमों के तहत किया जा रहा है। जिला प्रशासन से रिपोर्ट मिलने के बाद ही आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। आगे भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

चौम्स पोर्टल में अनियमितता का मामला गरमाया

कांग्रेस विधायक चातुरीनंद ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते हुए चौम्स पोर्टल से कृषि उपकरणों और यंत्रों के वितरण की व्यवस्था में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धांधली कब रुकेगी। कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने कहा कि जांजगीर चांपा में जिनके पास खेती की जमीन नहीं है, उन्हें मशीनों का वितरण कर दिया गया है। यहां अनियमितता के कारण 18 करोड़ की मशीनें अपात्र लोगों को बांट दी गई। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि किसानों को मशीन, ट्रैक्टर देने के लिये चौम्स पोर्टल की सुविधा शुरू की गई है। अनियमितता की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर वाक आउट

कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि केंद्र सरकार ने तीन काले कानून लागू किये थे जिसका व्यापक विरोध हुआ। काले कानून को वापस लेना पड़ा। अब भाजपा शासित राज्यों में कृषि उपज मंडी विधेयक संशोधन के जरिये उसी कानून को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। संशोधन विधेयक के जरिये दिल्ली, अहमदाबाद या अन्य बड़े शहरों में बैठकर कृषि उपज का बाजार नियंत्रित किया जाएगा। शायद केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। किसानों के शोषण का रास्ता खोलने वाले इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए महंत समेत कांग्रेस विधायकों ने सदन से वाक आउट कर दिया।

मशीन खरीदी में अनियमितता के सवाल पर घिरे स्वास्थ्य मंत्री

भाजपा विधायक लता उसेंडी और अजय चंद्राकर ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अस्पतालों में मशीनों की खरीदी में अनियमितता के मामले में घेरा। जायसवाल ने कहा कि दो सीएमएचओ को नोटिस दिया गया है। सस्पेंड भी करेंगे। ईओडब्लू से जांच कराई जाएगी। इस पर चंद्राकर ने कहा कि कार्रवाई कितने दिनों में होगी। धरमलाल कौशिक ने कहा कि अनियमितता स्वीकार करने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लता उसेंडी ने आरोप लगाया कि जब अनियमितता का खुलासा हो चुका है तो दोषियों को नोटिस देकर क्यों बचाया जा रहा है। इस दौरान 20 करोड़ की कैंसर मशीन का उपयोग कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में न होने पर भी जमकर बहस हुई। एक सवाल के जवाब में जायसवाल ने बताया कि मेकाहारा में 161 मशीनों में से 39 एक्सपायर हो चुकी है। इन मशीनों को रिप्लेस करने खरीदी की जाएगी। 50 मशीनें बंद पड़ी है जिसे ठीक कराया जाएगा।

78वें जन्मदिन पर डॉक्टर चितरंजन का सम्मान

रायपुर/नवप्रदेश। भाषाविद और वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. चितरंजन कर का बुधवार को सिविल लाइन स्थित वृंदावन हाल में सम्मान किया गया. हिन्दी साहित्य भारती के तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में डॉ कर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई. डॉ कर ने गीतों और भजनों की मोहक प्रस्तुति दी. इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार डॉ सुशील त्रिवेदी, गिरीश पंकज, डॉ. अजय पाठक, बीआर साहू, माणिक विश्वकर्मा,लतिका भावे, मीना शर्मा, डॉ.सुधीर शर्मा, रामेश्वर शर्मा, माधुरी कर, गिरिजा शंकर गौतम, देवधर महंत, विवेक शर्मा, विभाषा मिश्रा, मुन्नालाल देवदास, ऋतु राज साहू, संजीव ठाकुर, राज कुमार धर द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में साहित्य बिरादरी के लोग मौजूद थे।

डांस के साथ रील्स बनाना, वायरल करने सीखें वर्कशाप में

रायपुर/नवप्रदेश। अगर आपको भी है रील्स बनाने का शौक और रील्स के अधिक वायरल करने यानी अधिक रिच नहीं होने के कारण आप हताश रहते हैं, तो यह डांस वर्कशाप आपके लिए है। चौबे कॉलोनी स्थित महाराष्ट्र मंडल में कला एवं संस्कृति समिति की ओर से सावन थीम पर डांस वर्कशाप रविवार, 27 जुलाई को दोपहर 1.30 बजे से लगाया जाएगा है। यह वर्कशाप मंडल के ही दिव्यांग बालिका विकास गृह के सहायतार्थ आयोजित किया गया है। इस वर्कशाप में प्रतिभागियों को डांस के साथ रील्स बनाना और उसे सही ढंग से वायरल करने के टिप्स दिए जाएंगे।

पॉवर कंपनी के वृक्षारोपण महोत्सव में उपभोक्ता भी बन रहे भागीदार

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज़ के 50 हजार वृक्षारोपण के लक्ष्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उत्पादन कंपनी के संयंत्रों, पारेषण कंपनी के सभी उपकेंद्रों और वितरण कंपनी के दफ्तरों में पौध रोपण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसकी मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जा रही है। साथ ही मुख्यालय दफ्तर में अधिकारी-कर्मचारियों के साथ उपभोक्ता और आमजन भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज ने प्रदेशभर में फैले बिजली दफ्तरों में 50 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसका शुभारंभ डिस्ट्रीब्यूशन एवं जनरेशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने किया। जिसके बाद तीनों कंपनी ने कंट्रोल रूम बनाकर इसकी सतत् मॉनिटरिंग के लिए सेल बनाया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री विनोद कुमार अग्रवाल ने बताया कि पॉवर कंपनी ने पूरे प्रदेश में फैले तीन हजार से अधिक बिजली दफ्तर, विद्युत उपकेंद्र और विद्युत उत्पादन संयंत्रों की रिक्त भूमि में छायादार और फलदार पौधे लगाने का संकल्प लिया है। अगले 10 अगस्त तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।

पत्रकारिता विश्वविद्यालय की अमानत राशि में कटौती

रायपुर/नवप्रदेश। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर ने छात्र हित में सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अमानत राशि में बड़ी कटौती की है। अब तक प्रवेश के समय एक बार ली जाने वाली 3000 रुपए की अमानत राशि को कम करके 1000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क घटाकर मात्र 1000 रुपए किया गया है। इससे छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी।

विश्वविद्यालय में संचालित पीजीडीसीए और डीसीए पाठ्यक्रमों का शिक्षण शुल्क 4400 रुपए से घटाकर 1000 प्रति सेमेस्टर किया गया है, वहीं पीजीडीजे पाठ्यक्रम की फीस भी 4950 से घटाकर 1000 प्रति सेमेस्टर निर्धारित की गई है।

कुलपति एवं संगागायुक्त महादेव कावरे ने कहा कि इस पहल से छात्रों पर आर्थिक भार कम होगा और अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा की ओर आकर्षित होंगे। इससे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। सभी पाठ्यक्रमों की अमानत राशि और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क को कम करने का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक संख्या में छात्र कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें।

विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद की बैठक में शिक्षण शुल्क युक्तियुक्तकरण की अनुशंसा की गई थी।

विवि एवं कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने रिक्त पदों पर भर्ती करें: राज्यपाल

रायपुर/नवप्रदेश। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमेन डेका ने आज प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक लेकर विश्वविद्यालयों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाही को प्राथमिकता से करने कहा। उन्होंने सभी कुलपतियों से कहा है कि वे डीन स्टूडेंट वेलफेयर को सक्रिय करें और विद्यार्थियों की शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए समय पर निराकरण सुनिश्चित करें। राज्यपाल ने सोशल मीडिया के इस दौर में छात्रों के तनाव प्रबंधन पर भी विशेष बल दिया है।

राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में आज आयोजित बैठक में राज्यपाल श्री डेका ने विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की। डेका ने कहा कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विश्वविद्यालयों में स्थाई रजिट्रार नियुक्त हो। आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाए जिससे विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि जब रिक्त पदों पर समय पर भर्ती होगी और प्रमोशन होंगे तब ही छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर को कुलपति बनने का अवसर मिल सकेगा। बैठक में उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से रिक्त पदों की जानकारी ली।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से टीचिंग स्टाफ की भर्ती नहीं होने से शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय नेक ग्रेडिंग प्राप्त करें और गुणवत्ता में सुधार लाए। राज्यपाल ने प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सभी टीचिंग स्टाफको वापस बुलाने के निर्देश दिए है। डेका ने कृषि विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि किसानों को पारंपरिक फसल के स्थान पर लाभप्रद फसल के लिए प्रोत्साहित करें। टमाटर के विपणन पर विशेष ध्यान देने कहा ताकि उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। खाद्य उत्पादन और आपूर्ति में संतुलन होना चाहिए। उद्यानिकी विश्वविद्यालय को स्व सहायता समूहों के साथ मिलकर कार्य करने कहा गया। राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा कि वर्ष में एक बार एलुमिनाई मीट (पूर्व छात्रों का सम्मेलन) करें। कुलपतियों से कहा गया है कि वे कॉलेजों का आकस्मिक निरीक्षण करें और साल में दो बार प्राचार्यों के साथ बैठक करें। विश्वविद्यालयों को रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

सुविचार

जिन्हें अपनी बुराइयां नजर नहीं आती उन्हें दूसरों में बुराइयों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। - अज्ञात

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नफरत फैलाने वाली हेट स्पीच देने का दौर चल रहा है। इसमें न सिर्फ स्वनाम धन्य नेता शामिल है बल्कि सोशल मीडिया के तथाकथित योद्धा भी भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री परोसने की होड़ में शामिल हो गये हैं। ऐसे में लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही न होने के कारण ही उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है। वजाहत खान के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर फैल रहे नफरती भाषणों को लेकर गहन चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सब कुछ जायज ठहराने की कोशिश करना बेहद खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे नफरत फैलाने वाले कंटेन्ट पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठायें। किन्तु वे यह भी सुनिश्चित करें कि किसी की भी अभिव्यक्ति की अजादी को कुचला न जाये। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों से भी अपेक्षा की है कि वे अभिव्यक्ति की आजादी का मूल्य समझें ताकि राज्य को हर बार बीच में पड़कर कार्यवाही के लिए बाध्य न होना पड़े। गौरतलब है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सोशल मीडिया में नफरती सामग्री की भरमार होने लगी है। जिसे असमाजिक लोग न सिर्फ लाइक करते हैं बल्कि उसे शेयर करके समाज में बल्कि नफरत को फैलाने का काम भी करते हैं। ऐसे लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि वे हेट स्पीच को लाइक और शेयर करने से बाज आयें। बहरहाल हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कठोर रूख अख्तियार किया है उसे मद्देनजर रखकर यह उम्मीद की जानी चाहिए कि इसे केन्द्र और राज्य सरकारें गंभीरता से लेंगी और हेट स्पीच पर रोक लगाने के लिए यथाशीघ्र कारगर कदम उठाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को राजनीतिक पार्टियों के बड़बोले नेताओं को भी गंभीरता से लेना चाहिए जो अकसर अपनी पार्टी के चुनावी लाभ के लिए नफरती भाषण देते रहते हैं। ऐसे बयानवीर नेताओं की जुबान पर भी लगाम लगाने के लिए राजनीतिक दलों के हाईकमान को पहल करनी चाहिए अन्यथा नफरती भाषणों के कारण देश में पारस्परिक सदभाव का माहौल बिगड़ेगा और समाज को इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने होंगे।

रेत माफियाओं के नाक पर नकेल कसना जरूरी

छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्तीय भूपेश बघेल की सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरे प्रदेश में रेते के अवैध खनन का गोरखधंधा पूरे शबाब पर था जिसके चलते रेत की कीमतों में ही वृद्धि नहीं हुई थी बल्कि रेत का कृत्रिम संकट भी खड़ा किया जाता था ताकि रेत के भाव असमान छू सके। इसके लिए पूर्ववर्तीय कांग्रेस सरकार ने रेत खदानों की संख्या भी सुनियोजित रूप से कम कर दी थी ताकि रेत माफियाओं को लाभ पहुंचाया जा सके और वे अवैध खनन करके चांदी काट सकें। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अब रेत माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए कारगर कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ के लिए जनहितैषी खनिज नीति लागू की गई है। रेत खनन नीति को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अब रेत खदानों की संख्या में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है ताकि रेत की पर्याप्त आपूर्ति हो और प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्य प्रभावित न हो। इसके लिए सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्रक्रिया में भी तेजी लाने के लिए तीन समितियों का गठन किया है जबकि पूर्व में सिर्फ एक ही समिति थी जिसकी वजह से नदियों से रेत उत्खनन की प्रक्रिया शुरू करने में विलंब होता था गौरतलब है कि नदियों से रेत खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य होती है। अब एक अध्ययन में यह स्पष्ट हो गया है कि विधिवत और नियंत्रित रेत खनन करने से नदियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित खनिज नीति को लागू कर रही है जो स्वागत योग्य कदम है किन्तु अभी भी छत्तीसगढ़ में रेत माफिया सक्रिय है जो खनिज विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिली भगत करके रेत का अवैध उत्खनन डंके की चोट पर कर रहे हैं। साय सरकार को इन रेत माफियाओं की नाक में नकैल कसने के लिए भी कड़े कदम उठाने चाहिए।

सद्गुरू बोधामृतम्

सदगुरू श्री ऋतेश्वर

◆ मुझे रोता देखकर मुझे कमजोर मत समझना, किसी सहानुभूति की जरूरत नहीं। ये बड़े निर्मल आँसू हैं, करोड़ों लोगों के पापों को धो सकती हैं ये आंसू। ये कोई दुख नहीं है, किसी आभाव में नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं है; ये तो पश्थ्वी पर चलते हुए संत, सद्गुरु का स्वभाव है।

◆ प्रत्येक शिष्य को प्रत्येक दृष्टि से अपने गुरु की अपने हाथों से जरूर कुछ न कुछ सेवा करनी चाहिए।

◆ किसी की सेवा करें पर दृढ़ धारणा और बुद्धि में हो उन सद्?गुरु की करुणा।

◆ बैकुंठ नाथ का दर्शन संभव है पर बैकुंठ नाथ के प्रिय गुरुदेव भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है और उनकी संगति भी बड़ी दुर्लभ है और उनको मान लेना भी बड़ा दुर्लभ है, उनको स्वीकार कर लेना बड़ा दुर्लभ है, उनको अपने हृदय में बैठा लेना बड़ा दुर्लभ है।

आज का इतिहास

नई दिल्ली(वार्ता)। 1762 पीटर II की हत्या के बाद कैथरीन द्वितीय रूस की साम्राज्ञी बनी। 1906 क्लेमेंट आर्मंड फैलिएरेस फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। 1919 फिनलैंड में संविधान को अंगीकार किया गया। 1850 हार्वर्ड वेधशाला ने तारे का पहला फोटोग्राफ लिया। 1861 अमेरिकी कांग्रेस ने पेपर पर अंकित पैसे को अधिकृत किया। 1906 क्लेमेंट आर्मंड फैलिएरेस फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए। 1994 धूमकेतू शुमेकर लेवी-9 का पहला टुकड़ा बृहस्पति से टकराया। 1998 रूस ने tsar निकोलस द्वितीय और परिवार को दफ्न कर दिया, उनके मरने के 80 साल बाद। 1995 नास्डैक कम्पोजिट इंडेक्स पहली बार 1,000 अंक से ऊपर बंद हुआ। 2013 यू.एस. पर एक ऊष्मा तरंग बसती है; कम से कम एक घातक घटना की सूचना है।

अजय टम्टा, केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री

यात्रियों के लिए एक और बड़ा लाभ किरायों और विशेष परिस्थितियों में किराये में वृद्धि (सर्ज प्राइसिंग) का नियमन है। दिशानिर्देशों में स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित की गई हैः राज्य की नीति के आधार पर किराए में वृद्धि की सीमा आधार किराए के 1.5 से 2 गुना तक सीमित की गयी है,ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च माँग के समय यात्रियों का शोषण न हो। इसके अलावा,प्लेटफ़ॉर्म को किराए का विवरण पारदर्शी रूप से प्रदर्शित करना आवश्यक है,जिसमें आधार किराया,गतिशील शुल्क,एग्रीगेटर का हिस्सा और सरकारी कर शामिल हैं।

महत्वपूर्ण रूप से,दिशानिर्देश उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता का भी ध्यान रखते हैं। एग्रीगेटर्स को भारत-स्थित सर्वरों पर उपयोगकर्ता डेटा का संग्रह करने और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम सहित डेटा सुरक्षा रूपरेखा का पालन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि डेटा का दुरुपयोग या लीक न होना सुनिश्चित हो सके

ड्राइवरों के वरदान साबित हो सकते है एग्रीगेटर दिशानिर्देश

पिछले कुछ सालों में लाखों ड्राइवर ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं से जुड़े हैं। क्योंकि इसमें उन्हें काम करने की आजादी, अनुकुलता और तकनीकी सुविधा मिलती है। हालाँकि बढ़ते कमीशन, अस्पष्ट नीतियों,मनमाने निलंबन और सुरक्षा के अभाव ने इस वादे को कई लोगों के लिए निराशा में बदल दिया। भारत भर में तीन मिलियन से अधिक गिग ड्राइवरों द्वारा अनुभव की गई इन चुनौतियों ने व्यापक और लागू करने योग्य विनियमन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।

इसके जवाब में, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने पहले ही मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 जारी किये थे। इन दिशानिर्देशों ने राज्य सरकारों को एग्रीगेटर्स को लाइसेंस देने और उनकी निगरानी करने का अधिकार देते हुए एक नियामक ढाँचा प्रदान किया, जिससे वाहन-परिचालन उद्योग के विकास को बढ़ावा मिला। ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए सुरक्षा, निष्पक्षता और जवाबदेही से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अब मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 पेश किया है। यह भारत के डिजिटल मोबिलिटी इकोसिस्टम में संरचना,सुरक्षा और समावेशिता लाने के लिए एक प्रमुख नीतिगत अपडेट है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 के कानूनी आधार पर निर्मित इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर्स के संचालन को विनियमित करना है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिशानिर्देश संवैधानिक कार्यादेशों और न्यायिक निर्देशों के अनुरूप ड्राइवरों और यात्रियों दोनों को संतुलित लाभ प्रदान करने का प्रयास करते हैं।

2025 के दिशानिर्देशों का सबसे उल्लेखनीय पहलू है- ड्राइवरों के हितों की सुरक्षा। अब तकएग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जुड़े ड्राइवर, अक्सर खुद को कम कमाई,मनमाने ढंग से कार्य से हटाना (ऑफ-बोर्डिंग), बीमा का न होना और अपर्याप्त कानूनी उपायों के साथ अनिश्चित परिस्थितियों के बीच काम करते थे। नए नियम दिशानिर्देश इन प्रणालीगत कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं।

दिशानिर्देशों में एग्रीगेटर्स को राज्यों द्वारा अधिसूचित मूल किराए के आधार पर प्रति घंटे या न्यूनतम गारंटीकृत आय सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य किया गया है कि एग्रीगेटर और ड्राइवर के बीच किराया निपटान, आपसी सहमति से दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। इस कदम से हजारों ड्राइवरों कोखासकर आय-प्राप्ति वाले समय में,आय में होने वाले उतार-चढ़ाव से निजात मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा,सरकार ने अब प्रत्येक एग्रीगेटर को कम से कम 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रूपये का सावधि बीमा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। उम्मीद है कि ये सुरक्षा उपाय गिग श्रमिकों को औपचारिक श्रम संरचनाओं के दायरे में लायेंगे।

इसके अलावा,नए दिशानिर्देश कमीशन में पारदर्शिता लाते हैं तथा एग्रीगेटर के हिस्से को अधिकांश मामलों में प्रत्येक किराए के 20प्रतिशत तक सीमित करते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है, कि ड्राइवर अपनी आय का एक उचित हिस्सा रख सकेंगे। एग्रीगेटर्स को भुगतान कटौती, किराया विभाजन और जुर्माने के बारे में स्पष्ट और विस्तृत जानकारी भी प्रदान करनी होगी।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक एग्रीगेटर एक औपचारिक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना करेगा,जहाँ यात्रा रद्दीकरण,भुगतान विवाद या निलंबन जैसे मुद्दों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से समाधान हो सके। ड्राइवरों को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा,जिसमें ऐप उपयोग,आपातकालीन प्रतिक्रिया,सड़क सुरक्षा,यातायात नियम,लैंगिक संवेदनशीलता,दिव्यांगजन जागरूकता,ग्राहक से बातचीत,डिजिटल साक्षरता आदि विषयों पर आधारित 40 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होगा,ताकि वे भविष्य के यातायात से जुड़ी चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें।

यात्रियों के लिए भी ये दिशानिर्देश समान रूप से परिवर्तनकारी हैं। यात्रा सुरक्षा, डेटागोपनीयता और किराए में हेरफेर से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नए दिशानिर्देश सुरक्षा उपाय लेकर आए हैं, जिनकी बहुतआवश्यकता थी।

एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर सभी ड्राइवरों को अनिवार्य पुलिस सत्यापन,स्वास्थ्य जांच और व्यवहार प्रशिक्षण से गुजरना होगा। इसके अलावा,प्रत्येक वाहन में इनऐप आपातकालीन बटन,जीपीएस-आधारित निगरानी और यात्राओं को साझा करने की सुविधाएं होनी चाहिए, जो सभी यात्रियों,विशेषकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाती हैं। राज्य की निगरानी में एग्रीगेटर्स द्वारा एक 24×7 नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।

हीरा देवांगन
संयुक्त संचालक

जनपद स्तर पर सात विधाओं के प्रत्येक विजेता दल को 10 हजार रुपये एवं संभाग स्तर पर प्रथम पुरस्कार 50 हजार, द्वितीय 30 हजार, तृतीय 20 हजार और सांत्वना पुरस्कार 10 हजार रुपये दिए गए। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रत्येक दल को 20 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और 5 हजार रुपये यात्रा भत्ता दिया गया। इस आयोजन ने न केवल जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त किया बल्कि स्थानीय कलाकारों को मंच और सम्मान भी प्रदान किया। बस्तर पंडुम अब बस्तर की बोली, वाद्ययंत्र, व्यंजन और संस्कृति की तरह भारत की समृद्ध विरासत का हिस्सा बन गया है। अब हर साल बस्तर की जनजातीय संस्कृति से अभिभूत होने वाले लाखों लोगों को इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार रहेगा।

लोगों को बेसब्री से इंतजार है अगले बरस के बस्तर पंडुम का

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में बस्तर में तेजी से शांति लौटी है। नक्सलवादी हिंसा के चलते बस्तर की असल पहचान गुम हो गई थी, यह पहचान इसके सुंदर प्राकृतिक परिवेश के साथ ही अनुपम सांस्कृतिक जनजातीय धरोहर को लेकर भी है यह सुंदर संस्कृति अपने को उत्सव अर्थात पंडुम के माध्यम से प्रकट करती है। साय सरकार ने बस्तर की असल पहचान को देश-दुनिया में भव्यता से सामने लाने बस्तर पंडुम के आयोजन का निर्णय लिया।

बस्तर पंडुम 2025 बस्तर की जनजातीय परंपराओं, कला और जीवनशैली को दुनिया के सामने लाने वाला एक भव्य उत्सव है। यह आयोजन बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर पूरी प्रखरता से ले जाने में सफल रहा। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और बस्तर के लोगों की भागीदारी ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। इस आयोजन के समापन समारोह में दंतेवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने घोषणा की कि अगले वर्ष से बस्तर पंडुम 12 श्रेणियों में आयोजित होगा, जिसमें देशभर के आदिवासी जिलों से कलाकार भाग लेंगे।

बस्तर पंडुम 2025 न केवल बस्तर बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। इस आयोजन से बस्तर के स्थानीय लोगों को अपनी परंपराओं और कला को दिखाने का मंच मिला और साथ ही देश-विदेश से आए पर्यटकों, शोधकर्ताओं और संस्कृति प्रेमियों को बस्तर की अनूठी संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिला। आयोजन के वृहत स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस्तर संभाग के कोने-कोने से आये कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया और अपनी अनूठी कला से देश दुनिया का परिचय कराया। इस आयोजन में बस्तर संभाग के 7 जिलों के 32 जनपद पंचायतों के अंतर्गत 1,885 ग्राम पंचायत शामिल हुए। बस्तर की संस्कृति के सात विधाओं में लगभग 27,000 प्रतिभागियों ने अपनी कला और कौशल का प्रदर्शन किया। बस्तर के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत एक नगरनिगम, 8 नगर पालिका, 12 नगर पंचायत भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए। बस्तर संभाग के सात जिलों सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर में यह आयोजन भव्य रूप से हुआ। इस आयोजन ने बस्तर के जनजातीय समाज की पहचान, गौरव और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रूप में सामने रखा। इस उत्सव में बस्तर की संस्कृति की सात प्रमुख विधाओं जनजातीय नृत्य, गीत, नाट्य, वेशभूषा-आभूषण, शिल्प और चित्रकला, पेय पदार्थ और पारंपरिक व्यंजनों का भव्य प्रदर्शन किया गया। समापन के अवसर पर ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, असम और मध्यप्रदेश के कलाकारों ने भी अपने नृत्य-संगीत का प्रदर्शन किया।

यह सातों विधाएं बस्तर को जानने के लिए एक पर्दा खोलती हैं और इसके माध्यम से आप बस्तर की अनूठी जनजातीय संस्कृति के विस्मय लोक में प्रवेश करते हैं। जनजातीय नृत्य को लें, यह सामूहिकता का परिचय देने वाले नृत्य हैं।

चाहे मिलजुलकर शिकार करना हो अथवा देवी-देवताओं को प्रसन्न करने सुंदर आंगिक अभिव्यक्ति करनी हो, जनजातीय नृत्य अपने अनूठे रूप में सामूहिकता के बोध के साथ बस्तर के लोक विश्वासों से परिचित कराते हैं। बस्तर का संसार शांति प्रिय है। अद्भुत सौंदर्य दृष्टि रखता है इसके चलते आभूषणों और वेशभूषा की समृद्ध परंपरा यहां नजर आती है। बस्तर पंडुम के माध्यम से यह अनोखा संसार भी सामने आया। बस्तर की सांस्कृतिक यात्रा इसके हाट-बाजारों का अवलोकन किये बिना पूरी नहीं होती। इन हाट बाजारों में बस्तर के खानपान और महुआ, लांदा-सल्फी जैसे पेय पदार्थ भी होते हैं। चापड़ा चटनी से लेकर बोड़ा जैसे खाद्य सामग्री बस्तर की खानपान परंपरा को विशिष्ट बनाती है। इन खानपान की परंपराओं का सुंदर नजारा भी बस्तर पंडुम में दिखा।

बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन जनपद, जिला और संभाग स्तर पर तीन चरणों में हुआ। संस्कृति विभाग द्वारा इस आयोजन के लिए बस्तर के सात जिलों में जनपद व जिला स्तरीय आयोजनों और कलाकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कुल 5 करोड़ रुपये की राशि दी गई। ग्राम पंचायत स्तर पर 1,885 ग्राम पंचायतों को 10 हजार रुपये प्रति पंचायत की दर से 1 करोड़ 85 लाख रुपये दिए गए। नगर पंचायतों को 25 हजार रुपये, नगर पालिकाओं को 50 हजार रुपये और नगर निगम को 1 लाख रुपये की राशि दी गई।

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

गीत कहाँ, संगीत

गीत कहाँ, संगीत कहाँ बा दुश्मन जग बा मीत कहाँ बा प्रेम हिया में कवनो नइखे भाईचारा रीत कहाँ बा हार पऽ हार मिलत बा सगरो किसमत में अब जीत कहाँ बा नेह के भाषा समझीं बाबू एकरा से बड़ हीत कहाँ बारोअत जग बा देख दशा अब तन - मन में अब प्रीत कहाँ बा लोग सभे नफ़रत बा जोड़त प्रीत के लउकत भीत कहाँ बामनवा रँगनी मनचाहा जब लाल हरा बा पीत कहाँ बा रोजे 'ऐनुल' गजल कही ले साँच कहीं नवगीत कहाँ बा। - **'ऐनुल' बरौलवी**

रूह में वो अदा

रूह में वो अदा नहीं बाक़ी, जिस्म में भी नशा नहीं बाक़ी। इश्क़ में इंतिहा नहीं बाक़ी, 'ज़ब्त का हौसला नहीं बाक़ी'। जिसकी ख़ातिर जिया था बरसों तक, अब उसी का पता नहीं बाक़ी। कुर्ब थे जब तलक 'मैं' बाक़ी था, अब तो 'मैं' भी रहा नहीं बाक़ी।जिस्म गिरवी था इश्क़ में पहले, अब तो अपनी अना नहीं बाक़ी।तेरे सजदे में जो भी गिरता है,उस में कोई ख़ता नहीं बाक़ी। - **रूबी झा 'कमल'**

कभी-कभी... मन अमावस हो जाता है

कभी-कभी... मन अमावस हो जाता है समझ नहीं आता करना क्या है किधर जाना है जहाँ गए थे, वहाँ से लौटना भी नहीं आता और लौट भी आएं तो करना क्या है ये भी नहीं समझ आता। ना सवाल पूरे होते हैं, ना जवाबों में ठहराव, हर सोच का सिरा किसी और अनजानी गाँठ से बँधा होता है। सब थमा-थमा लगता है, मन बेचैन, कुछ बोलना चाहता है पर शब्द नहीं मिलते यही ÷मन की अमावस है÷ जो इस अंधेरे को जान गया, जो इससे भागा नहीं, जो बस थोड़ा रुक गया, अगला, पिछला सोच लिया, थोड़ा खुद में झाँक लिया , जिसने अमावस को काबू कर लिया, उसने पूर्णिमा को पा लिया। - **सीमा नागर**

नील कंठ की छाया में,हर दर्द मिटा जाता

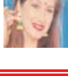

नील कंठ की छाया में,हर दर्द मिटा जाता है,जो भी भोले को पुकारे, वह खुद में समा जाता है। डमरू की वो गूंज सदा, मन को शुद्ध बनाती है,सावन के हर सोमवार में, शिव कृपा बरसाती है।

- **रेनु शब्दमुखर**

मैने अपने ज़िंदगी का हिसाब न रखा

मैने अपने ज़िंदगी का हिसाब न रखा बहुत कुछ बस समय के साथ गुजर गया वे एक एक कदम सोंच कर रखे ओ आगे बढ़ गए हमने अपने लिए भी कुछ कदम न रखे बस निः स्वार्थ चलते रहे समय के साथ हमने सिर्फ समय को गंवाया हम वहीं रह गए समय का पहिया बढ़ते गया ज़िंदगी बस थम सी गई ... । - **लक्ष्मी नारायण लहरे '**

हम न हारे, इसलिए तो शत्रु हारे। शौर्य -

हम न हारे, इसलिए तो शत्रु हारे। शौर्य - साहस, निज हृदय लेकर चले थे। जीत के अरमान, अंतस में पले थे। इसलिए तो, हम त्वरित मैदान मारे।। हम कदाचित, हिंद का जयनाद कर दें। या समर की ओर, अपने पांव धर दें। शत्रु तब भयभीत, होते हैं हमारे।।शत्रु भी हैं, शक्तिशाली जानते हैं। तीक्ष्ण उनके बुध्दिबल को मानते हैं।किंतु जीते हम, मनोबल के सहारे।।

- **भाऊराव महंत**

राशि फल

पं. देवव्रत शर्मा

मेष : आज के दिन परिस्थितियां आपके लिये प्रतिकूल ही रहेंगी। स्वास्थ्य के साथ ही धन हानि के योग बन रहे है।

वृषः आज का दिन आपके लिये सुनहरे अवसर प्रदान करेगा इसका समय रहते लाभ उठायें कल की अनुकूल परिस्थिति आज की मेहनत से ही बनेगी।

मिथुनः आज का दिन आपके लिए अवश्य कोई शुभ समाचार देगा। आज आप दिन भर किसी ना किसी कारण से व्यस्त ही रहेंगे।

कर्क : आज आप अन्यलोगों को नैतिक आचरण सिखाएंगे परन्तु इसे अपने ऊपर लागू ना करने से हास्य के पात्र बनेंगे।

सिंहः आज आपकी दिनचार्य असामान्य रहेगी। सेहत में सुधार आएगा परन्तु आपकी लापरवाही के कारण तकलीफ दोबारा हो सकती है।

कन्याः आज के दिन आपका मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति के साथ सुख सुविधाओं में भी वृद्धि करना रहेगा।

तुलाः आज का दिन भी धन धान्य में वृद्धिकारक बना रहेगा। दिन के आरंभ से ही कार्यो को लेकर गंभीर रहेंगे लेकिन महिलाये हर काम मे नखरे करेंगी।

वृश्चिकः आज का दिन भी आपके लिए शुभ है लेकिन आज अतिआत्मविश्वास एवं अहम की भावना के कारण हानि एवं आपसी मनमुटाव रहेगा।

धनुः आपकी आज की दिनचार्य भी उथल-पुथल रहेगी। महत्त्वपूर्ण विषयो में निर्णय आज नाही ले तो उचित रहेगा। स्त्रियां

मकरः आज का दिन भी आपके अनुकूल रहेगा। यात्रा के योग बन रहे है इसमें सावधानी रखें।

कुंभः आज के दिन आप योजनाए तो बहुत बनाएंगे परन्तु किसी ना किसी अभाव के कारण इन्हें पूरा नही कर पाएंगे।

मीनः आज आपके मन की चंचलता एवं स्वभाव में उद्दंडता को छोड़ शेष सब उत्तम रहेगा। परिजनों अथवा बाहरी लोगों से बेबाकी से पेश आना भारी पड़ सकता है।

सूर्योदय : 05:47, सूर्यास्त : 07:18, चन्द्रोदय : 22:52, चन्द्रास्त :10:42, अयन : दक्षिणायणे (उत्तरगोलीय), ऋतु : वर्षा, शक सम्वत : 1947 (विश्वावसु), विक्रम सम्वत : 2082 (सिद्धार्थी), मास : श्रावण, पक्ष : कृष्ण, तिथि : सप्तमी, नक्षत्र : रेवती, योग : अतिगण्ड,प्रथम करण : गर (09:52 तक), द्वितीय करण : वणिज (21:01 तक)

॥ गोचर ग्रहाः ॥

सूर्य : कर्क, चंद्र : मीन, मंगल : सिंह (उदित, पूर्व, मार्गी), बुध : कर्क (उदय, पश्चिम, मार्गी), गुरु : मिथुन (उदित, पूर्व, मार्गी), शुक्र : वृष (अस्त, पश्चिम, मार्गी), शनि : मीन (उदय, पूर्व, वक्री), राहु : कुम्भ, केतु : सिंह।

QUIZ TIME

1) 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा?

2) किसने स्वरेल सुपर ऐप का शुभारंभ किया?

3) किस अंतरिक्ष संगठन ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है?

4) भारत में सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है?

5) मृच्छकटिका एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है जिसे शूद्रक ने लिखा था। यह किस विषय पर आधारित है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) चीन (2) भारतीय रेलवे (3) नासा (4) 25 दिसंबर (5) एक अमीर व्यापारी का एक गणिका की बेटी के साथ प्रेम संबंध

शब्द सागर

पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी लागू करने की मांग

नगरी/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की प्रांतीय बैठक दिनांक 15 जून 2025 को फेडरेशन के प्रांतीयसंयोजक कमल वर्मा जी के अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सभी घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने ज्वलंत मुद्दों को लेकर मांगो को पुरा कराने के लिए दो चरण में कलम रख मशाल उठा आंदोलन करने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है जिसके तहत 16जुलाई को ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन रैली निकाल कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपा जाएगा। आंदोलन के द्वितीय चरण 22अगस्त को सामूहिक अवकाश में रहकर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।ब्लॉक संयोजक डोमार सिंह ध्रुव ने बताया है कि कर्मचारी अधिकारी के मांगे जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जावे। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जावे। वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दो के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे। प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान क्रमशः 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू किया जावे। सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जावे। प्रदेश में अन्य भाजपा शासत राज्यों की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जावे। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नि:शर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाये। वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावे। मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण दिया जावे। प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाभ हेतु एन.पी.एस. खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना की जाये। साथ ही पूर्ण पेंशन की पात्रता हेतु नीति निर्धारित की जावे। क्रमश प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरीक्षित नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे। प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, संविदा एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों का नियमतीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जावे। भवदीयडोमार सिंह ध्रुव ब्लॉक संयोजक शामिल है।

अटल चौक की दुर्दशा

धरसीवां/नवप्रदेश। धरसीवा के सांकरा में अटल चौक की दुर्दशा देखकर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या जन जन के मन में अमर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का यही स्वप्न था यदि नहीं था तो उनके नाम पर जिस चौक का नाम है उसकी इतनी दुर्दशा क्यों। सांकरा पठारीडीह मार्ग पर सांकरा में स्थित अटल चौक के आसपास रहवासी बस्ती भी है ग्रामीणों का आवागमन बच्चों का खेलना मोहल्लेवासियों का उठना बैठना सांस्कृतिक आयोजन आदि इसी चौक में होते हैं बाबजूद इसके अटल स्तंभ के सामने पूरे अटल चौक की दुर्दशा कीचड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे जिम्मेदारों को अटल जी के नाम से प्रसिद्ध अटल चौक की ओर अटल जी के स्वप्न की कोई परवाह ही नहीं

मुख्य मार्ग किनारे की नालियों कभी नहीं हुई साफ : पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल के कार्यकाल में उनके ओर तत्कालीन जनपद सीईओ अशोक चतुर्वेदी के प्रयासों से सांकरा पठारीडीह पीएम सड़क का उन्नयन हुआ तब ग्रामीणों की मांग पर पीएम सड़क के दाएं बाएं गांव की सीमा में निकास नालियों का निर्माण हुआ लेकिन निर्माण के बाद से कभी भी उन नालियों की सफाई नहीं हुई चौक से लेकर ग्राम पंचायत तक पीएम सड़क किनारे की नाली मिट्टी से पट चुकी है इस दौरान सरपंच तो बदले लेकिन उनका यह तर्क नहीं बदला कि इन नालियों की सफाई ग्राम पंचायत नहीं कराएगी पीएम सड़क विभाग कराए हालांकि पीएम सड़क किनारे की नालियों की सफाई को लेकर पूर्व में कई बार तत्कालीन विधायक जनपद सीईओ ने भी पंचायत को उक्त नालियों की सफाई करने बोला लेकिन पंचायत ने आज तक उन नालियों की सफाई नहीं कराई जिससे घण्टेभर की तेज बारिश में ही नालियों में जमा गंदगी कुछ स्थानीय रहवासियों के मकानों के अंदर किचन तक पहुंच जाती है ।

तालाब से निकाली मुरूम की गई थी डंप

सांकरा के मांगी तालाब से निकाली गई मुरूम में से कुछ हाइवा मुरूम विगत दिनों अटल चौक में डंप की गई थी उसके बाद मुरूम उठा ली गई लेकिन सतह में कुछ मुरूम शेष रह गई थी जिसे न तो अच्छे से फैलाया न उठाया वही मुरूम बारिश में अटल चौक की दुर्दशा का कारण बन गई।

फाउंडेशन कोर्स नवकिरण में संचालित

महासमुंद/नवप्रदेश। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नवकिरण अकादमी व जिला ग्रंथालय महासमुंद का नियमित संचालित जारी है। नवकिरण अकादमी व जिला ग्रंथालय के जिला समन्वयक डी बसंत साव ने बताया कि सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक (एडीआई) की परीक्षा 12 जुलाई 2025 को संपन्न हुई, उसमें नवकिरण अकादमी द्वारा आयोजित साप्ताहिक टेस्ट एवं मेगा टेस्ट सीरीज का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिला। सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक परीक्षा में पूछे गए अधिकांश प्रश्न नवकिरण अकादमी में हुए साप्ताहिक टेस्ट एवं मेगा टेस्ट से पूछे गए थे। छत्तीसगढ़ के विषय विशेषज्ञ चंद्रशेखर साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ अध्ययन के प्रश्न जनजातीय विवाह पद्धति एवं उनके अर्थों के संबंध, छत्तीसगढ़ के पहाड़ी एवं उनकी ऊंचाई, कल्चुरी शासन व्यवस्था के ग्रामों के मुखिया, गणित एवं हिंदी के विषय विशेषज्ञ सौरभ जैन, हरिशंकर पटेल द्वारा पढ़ाए गए प्रश्न पूछे गए थे। साव ने आगे बताया कि वर्तमान में नवकिरण अकादमी में एक पाली में मॉर्निंग बैच में सीजीपीएससी, व्यापमं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, प्रयोगशाला परिचारक की क्लास सहित आदि प्रतियोगी परीक्षाओं का फाउंडेशन कोर्स संचालित है। साथ ही प्रयोगशाला परिचारक 2025 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नवकिरण अकादमी में टेस्ट सीरीज का आयोजन भी प्रत्येक रविवार को किया जा रहा है। इससे संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय नवकिरण अकादमी महासमुंद से संपर्क किया जा सकता है।

बिना होलोग्राम वाले शराब का मामला उठाया

सदन में गूंजे अनुज के सवाल

धरसीवां//नवप्रदेश। क्षेत्र में बिना होलोग्राम तथा मिलावटी शराब बिक्री व ग्राम नकटी (सम्मानपुर) में ग्रामवासियों को जारी नोटिस एवं धरसींवा स्थित मोहरेंगा नेचर सफारी के अवैध कटाई/परिवहन के संबंध में किया प्रश्न।

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 2025 के प्रथम दिन पर आज धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने अपने क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण सवाल उठाये । जिसमे विधायक अनुज शर्मा ने आबकारी मंत्री से पूछा कि क्या धरसींवा क्षेत्र के ग्राम लालपुर स्थित शराब दुकान में माह जून, 2025 को बिना होलोग्राम तथा मिलावटी शराब बिक्री के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है तथा अनियमितता पर विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है या नहीं? जिसके जवाब में मान. आबकारी मंत्री ने बिना होलोग्राम तथा मिलावटी शराब बिक्री को स्वीकार किया और बताया की राज्य स्तरीय

उड़नदस्ता द्वारा धरसींवा के ग्राम लालपुर स्थित शराब दुकान में 13 जून 2025 को बिना होलोग्राम तथा मिलावटी शराब के साथ वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर कार्यवाही करते हुए प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों पर निलंबन की कार्यवाही की गई है।

दूसरे सवाल में विधायक जी ने राजस्व मंत्री से प्रश्न किया कि *क्या धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नकटी (सम्मानपुर) में शासकीय भूमि पर कब्जाधारियों को नोटिस जारी हुआ था या नही? जिसमे मान. मंत्री जी का जवाब आया कि उक्त संबंध में कोई भी योजना हेतु आरक्षित/अधिसूचना जारी नहीं की गई है। किंतु छ.ग. हाउसिंग बोर्ड द्वारा षष्ठम विधानसभा के जनप्रतिनिधियों हेतु भूमि की माँग किए जाने का उत्तर प्राप्त हुआ।

वही तीसरा सवाल यह उठाया कि *विधानसभा क्षेत्र धरसींवा में स्थित मोहरेंगा नेचर सफारी में किन-किन पदों कितने कर्मचारी कार्यरत हैं तथा सफारी में किस-किस प्रकार के वृक्ष एवं वन्यजीव कितनी-कितनी तादात में अवस्थित हैं तथा वहाँ अवैध कटाई या परिवहन की प्राप्त शिकायत के संबंध में प्रश्न किया ज्गया जिसमे मान मंत्री जी द्वारा बताया गया की विधानसभा क्षेत्र धरसींवा में स्थित मोहरेंगा नेचर सफारी में नियमित 01 वनपाल, नियमित 01 वनरक्षक एवं 10 दैनिक श्रमिक कार्यरत है। कोई संविदा कर्मचारी कार्यरत नहीं है7 मोहरेंगा वनक्षेत्र में साजा, खैर, तेन्दू, सागौन, बीजा, महुआ, चार, कुसुम, बहेड़ा, धावड़ा, आंवला, बांस आदि मूल्यवान व औषधि प्रजातियों की प्राकृतिक वन संपदा है। वृक्षों तथा वन्यप्राणियों की गणना नहीं की गई है साथ ही वृक्षों की अवैध कटाई और परिवहन के संबंद में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मान विधायक जी ने आगे कहा कि इसी तरह आगे भी क्षेत्र के जनहित के मुद्दों को सदन तक पहुचाने का काम करते रहूँगा।

नपाध्यक्ष ने किया जलाभिषेक

महासमुंद/नवप्रदेश। सावन के पहले सोमवार को नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने दलदली पहुंचकर दुधेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उन्होंने जलाभिषेक पश्चात भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर नगर व क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इसके अलावा वे वार्ड क्रमांक 1 शंकर नगर में शिव लिंग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का जल, दूध से अभिषेक किया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पार्षद ज्योति रिन्कू चंद्राकर व वार्डवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर नपाध्यक्ष ने कहा कि सावन के पहले सोमवार से ही नगर का माहौल शिवमय हो गया है। धार्मिक स्थलों पर शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। सावन माह में महासमुंद जिला सहित अन्य जिलों से भी शिवभक्त बम्हनी से जल लेकर महासमुंद नगर होकर

सिरपुर पहुंचते हैं। शिवभक्तों के आगमन से महासमुंद की पावन धरा पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। भगवान शिव का हम सभी महासमुंद वासियों पर विशेष कृपा है। पूरे सावन माह भर भगवान शिव की आराधना करने का अवसर हमें मिलता है।

छात्र छात्राएं फॉर्म जमा करते दिखाई दिए

नगरी/नवप्रदेश। संयुक्त संचालक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं, क्षेत्रीय कार्यालय के रायपुर के निर्देश अनुसार सभी ट्रेडों आनलाइन आवेदन सीट भर्ती किया जा रहा है जिसमे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नगरी में कोपा 40 सीट विद्युतकार 12 सीट मैकेनिकल डीजल 24 सीट वेल्डर 16 सीट फीडर 05 सीट सेविंग टेक्निलाजी एससीवीटी 05 सीट सेविंग टेक्निलाजी एससीवीटी एनसीवीटी 11 सभी ट्रेडों में छात्र छात्राओं के द्वारा प्रवेश लिया जिसमें रिक्त पदों कोपा 08 सीट विद्युतकार 08 सीट मैकेनिकल डीजल 24 सीट वेल्डर 24 सीट फीडर 15 सीट सेविंग टेक्निलाजी एससीवीटी 09 सीट सेविंग टेक्निलाजी एससीवीटी एनसीवीटी 11 पदों सीट की 16 से आनलाइन आवेदन अभ्यर्थी कर सकते हैं प्रभारी प्राचार्य कवर के द्वारा बताया गया

दिव्यांग को मिली मोटराइज्ड ट्राइसिकल

महासमुंद/नवप्रदेश। जिले में 08 से 31 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन किया गया था।

सरायपाली के ग्राम तोषगांव निवासी दिलीप प्रधान ने समाधान शिविर में मोटराइज्ड ट्राइसिकल की मांग की थी। उनके आवेदन पर संज्ञान लेते हुए आवेदक द्वारा निर्धारित दस्तावेज जमा करने के बाद सोमवार को समाज कल्याण विभाग ने उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसिकल प्रदाय की। उप संचालक समाज कल्याण संगीता सिंह ने उन्हें ट्राइसिकल की चाबी सौंपी। प्रधान ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया।

'मां भी स्कूल आएगी' अभियान की धमक दिल्ली पहुंची, 18 को होगा लाइव स्ट्रीमिंग

नगरी/नवप्रदेश। मगरलोड के दक्षिण पिछड़े क्षेत्र में स्थित इस विद्यालय में काफी कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है। प्राचार्य के नेतृत्व में शिक्षकों की टीम भावना एवं प्रतिबद्धता तथा शिक्षा के प्रति पालकों के सकारात्मक झुकाव ने विद्यालय में कोऑपरेटिव लर्निंग कल्चर विकसित की है जिससे विद्यालय का वातावरण ही बदल सा गया है। इसका श्रेय जाता है विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम माँ भी स्कूल आएगी को। ज्ञात हो कि जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में सत्रह गाँव छै सौ माताएं उपस्थित थी। इस बहु आयामी कार्यक्रम के बाद माताओं के साथ साथ पालकों का जो रुझान विद्यालय की ओर बढ़ा है उससे शिक्षकों के साथ साथ बच्चों का भी मनोबल बढ़ा है। माता पिता की जागरूकता एवम शिक्षकों की वचन बद्धता का ही कमाल है कि यहां कक्षा दसवीं का परीक्षा

परिणाम बहत्तर से शत प्रतिशत तो बारहवीं का परिणाम चौवन से शत प्रतिशत तक पहुंचा है। वाद्य यंत्रों के साथ संगीतयुक्त प्रार्थना से लेकर अंतिम कालखण्ड तक पूरे समय बच्चों की शत प्रतिशत उपस्थिति ने यह साबित कर दिया है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। उधर माताओं ने गृह कार्य तक जगने एवम पूरी तैयारी के साथ बच्चों को स्कूल भेजने का जिम्मा उठाते हुए माताओं ने विद्यालय के समक्ष गुड पैरेंटिंग का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया के जरिये देश की शीर्ष संस्था हड्डश्वक्क तक में होने लगी है।

घर से जेवर और मोबाइल की चोरी

महासमुंद/नवप्रदेश। बागबाहरा के एक व्याख्याता के घर से अज्ञात चोर ने सोने-चांदी के आभूषण व मोबाइल पार कर दी। पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर बीएनएस की धारा 305(ए) 331(4) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। बागबाहरा निवासी वार्ड 10 निवासी सुनील कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस में शिकायत की है कि 13-14 जुलाई की रात 2-3 बजे के बीच उनके घर में घुस कर अज्ञात ने पूजा कक्ष की आलमारी से दो नग कान की सोने की बाली व नकदी साढ़े 3 हजार और उसी कमरे से चांदी की पायल कीमती डेढ़ हजार रुपए तथा चांदी का मंगल सूत्र कीमती डेढ़ हजार रुपए एवं चांदी के सिक्के 1 नग एक टच स्क्रीन मोबाइल पार कर दी।

उपाध्यक्ष ने किया पानी टंकी, भवन और गार्डन का निरीक्षण

महासमुंद/नवप्रदेश। नयापारा स्थित अटल आवास पानी टंकी, सामुदायिक भवन, संत रविदास गार्डन का नगर पालिका उपाध्यक्ष देवीचन्द राठी ने नगर पालिका अधिकारी अशोक सलामे के साथ निरीक्षण किया । इस दौरान भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेन्द्र सिका, पार्षदगण सीता डोंडेकर, चंद्रशेखर बेलदार, पीयूष साहू, माखन पटेल, भाजपा नेता हनीष बग्गा, गौरव राठी भी थे। सोरिद मार्ग स्थित वार्ड-6 की दोनों तरफ नाली का निरीक्षण किया, जिसमें बड़ी नाली सीसी बनाने की जरूरत है। लगभग 200 मीटर लम्बी और 2 मीटर चौड़ी बनाना आवश्यक है। क्योंकि, नर्सरी किनारे से पानी की निकासी उस कच्ची नाली से होती है। इसी तरह अटल आवास का निरीक्षण किया गया ,

आवास के अन्दर गलियों में कचरा भरा है, बदबू आ रही थी। सीएमओ सलामे को निर्देशित किया गया कि अटल आवास की पूरी तरह सफाई कराई जाए। साथ ही परिसर के खाली जगह में गार्डन या ओपन जीम लगाने कहा गया। राठी ने अटल आवास में निवासरत परिवारों से गंदगी न फैलाने निवेदन किया है। इसी दौरान अटल आवास की महिला ने आवेदन दिया कि सेप्टिक टैंक भर गया है उसकी सफाई कराई जाए। पश्चात नयापारा पानी टंकी का निरीक्षण किया गया। लगभग 5-6 सालों से टंकी की सफाई नहीं हुई है। टंकी के चारों तरफबड़े बड़े घास उग आए हैं, पानी टंकी के कर्मचारी को एक सप्ताह के अन्दर सफाई करने कहा गया तथा सीएमओ सलामे को भी निर्देशित किया गया कि पानी टंकी की सफाई अत्यंत जरूरी है , शहर की सभी टंकियों की सफाई करायी जाए। इसमें कोताही न बरती जाए। राठी ने सीएमओ से यह भी कहा कि नयापारा का यह सामुदायिक भवन लगभग 7-8 वर्षों से बंद है। पहले इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगा हुआ था। अब केवल डस्टबिन भरे हुए हैं। इसकी सफाई कराकर इसका उपयोग किया जाए। ज्यादा हो तो नयापारा क्षेत्र के लिए नगर पालिका से संबंधित कार्यों का निष्पादन इस सामुदायिक भवन से कराया जाए।

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, चला बुलडोजर

महासमुंद/नवप्रदेश। ग्राम पंचायत खैरा की ग्राम सभा के प्रस्ताव पर सोमवार को शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार जुगल पटेल व मोहित अमिला के नेतृत्व में यह कार्रवाई सरपंच प्रांशु चंद्राकर, राजस्व विभाग ,पंचगण व ग्रामवासियों की उपस्थिति में हुई। तहसीलदार ने बताया कि गांव के कुछ व्यक्तियों ने द्वारा आंगनबाड़ी मैदान, तालाब पार, गौठान और अन्य शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मकान निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा तीन-तीन बार नोटिस दिया गया। बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अतः उक्त भूमि से प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई में सरपंच, पंचगण, हल्का पटवारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। तहसीलदार पटेल ने इस दौरान ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि ग्राम पंचायत के मंशानुरूप अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी।

यूनिक डे यूनिक रीड इंग्लिश मीडियम स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव

नगरी//नवप्रदेश। यूनिक रीड इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल बेलरगांव में विशेष यूनिक डे कार्यक्रम बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और संपूर्ण शैक्षणिक सत्र की सफलता के लिए शांति पूजा एवं हवन किया गया। साथ ही नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए प्रवेश उत्सव भी मनाया गया। जिसमे विद्यालय के निदेशक अमित (बंटी) चोपड़ा, दिव्यांश चोपड़ा एवं गोपाल साहू की अगुवाई में यह कार्यक्रम

सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने भक्ति भावना और अनुशासन के साथ पूजा में भाग लिया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं।कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के नवनियुक्त हेड बॉय जीवन नेताम, हेड गर्ल तरीनी निषाद, कल्चरल सेक्रेटरी कुसुम साहू तथा जनरल सेक्रेटरी तेविश साहू का भी सम्मान किया गया।इस कार्यक्रम में पालक समिति के अध्यक्ष लिलम्बर साहू तथा विद्यालय के समस्त शिक्षकगण भी विशेष रूप से उपस्थित रहे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय परिवार ने इस आयोजन को विद्यार्थियों के नैतिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

स्वच्छता की शपथ | **जनपद पंचायत के सभा नगरी में आयोजित प्रधानमंत्री आवास समय पर पूर्ण हो सके**

नगरी ब्लॉक के 102 सरपंचों ने ली स्वच्छता की शपथ

नगरी /नवप्रदेश। नगरी विकास खंड के 102 ग्राम पंचायत के सरपंचों की बैठक जनपद पंचायत के सभा नगरी में आयोजित किया जिसमे जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा, जनपद पंचायत अध्यक्ष महेश गोटा, जिला सीईओ रोमा श्रीवास्तव एवं जनपद सीईओ रोहित कुमार बोरझा के उपस्थिति में बैठक संपन्न हुआ।

जिसमे पंचायतों में निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय के लिए भंडार क्रय नियम,पंचायतों का लेखा टैक्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, इसके साथ ही मनरेगा, प्रधान मंत्री आवास, एस.बी.एम एवं एन.आर.एलएम की समीक्षा की गई, दौरान ब्लॉक में पंचायत स्तर पर चल रहे निर्माण कार्यों की

जानकारी लेकर अधूरे कार्य को समय सीमा में पूर्ण करने की बात कही गई, ग्राम पंचायत स्तर पर जितने प्रकार के टैक्स लिए जा रहे हैं उन टैक्स को समय पर लिया जाए एवं टैक्स के पैसों को गांव के विकास कार्यों में किया जाए एवं गांव के लोगों को मनरेगा कार्य से रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि ग्रामीणों को पलायन से रोका जा सके।

पीएम आवास योजना में आ रही समस्याओं को दूर करने की सलाह देकर जिन हितग्राहियों को समय पर पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है उनके खाते की जांच की जाय और एकाउंट के त्रुटि को सुधार करें जिससे हितग्राहियों के खाते में पैसा आए और प्रधानमंत्री आवास समय पर पूर्ण हो सके,स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरपंचों को ग्राम पंचायत को साफसफाई रखने के संबंध में जानकारी देकर गांव की गलियों एवं स्कूल आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्रों को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने गांव में गंदगी ना फैले एवं गांव में कोई बीमार पांव ना पसारे इस चीज का भी ध्यान रखने की सलाह दी गई। बिहान योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत में समूह का निर्माण कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने महिला समूह को बैंक से लोन लेकर आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही गांव के विकास में सहयोग करने की सलाह दी गई,जिसमे मिश्री गौर, रोजगार गारंटी आयुष झा,आर ई एस एसडीओ गिरीश सोनी, जिला पंचायत से धर्म कुमार, एमपी गंगेल, सरपंच अध्यक्ष उमेश देव उषा देवी नाग,बीरबल पद्माकर रेमन शांडिल्य चंद्र कुमार अग्रवानी, राधिका नेताम नागेंद्र बोरझा, रूपेंद्र मरकाम जीवन नाग, आरती नेताम नीलकमल दुर्गा उमेश्वरी,केशव टेकाम ग्राम पंचायत के समस्त सरपंच कर्मचारी अधिकारी गण उपस्थित थे।

करंट वाले जाल में फंसा सूअर, मौत

महासमुंद/नवप्रदेश। बसना ब्लॉक के ग्राम पड़कीपाली के वन विकास निगम की आरक्षित भूमि पर बड़े लोरम के मध्य स्थित जंगल के कक्ष क्रमांक 579 में जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए बिजली तार के चपेट में आने से एक जंगली सूअर की मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह सुरक्षा श्रमिकों ने जंगली सूअर की तड़पते हुए चिल्लाने की आवाज सुनी। तलाश करने पर पता चला कि किसी व्यक्ति ने ट्रांसफार्मर से कक्ष क्रमांक 579 पड़कीपाली छोटेलोरम, बड़े लोरम के बीच स्थित जंगल तक बिछाए बिजली तार के चपेट में जंगली सूअर आ गया। वन विकास की टीम ने जब गांव में पूछताछ शुरू की तो पता

चला कि ग्राम पड़कीपाली निवासी बोधराम यादव (42) ने जंगली जानवरों के शिकार के लिए रात में ट्रांसफार्मर से बिजली तार जंगल तक फैलाया है। संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वन विकास की टीम घटना स्थल से बिजली का तार जब्त कर जंगली सूअर के शव को पीएम के लिए भेजकर घटना की विवेचना में जुटी है।

न्यूज गैलरी

चावल न देने पर मां की हत्या, पुत्र को आजीवन कारावास

बालोद। श्वेता उपाध्याय गौर, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालोद (छ.ग.) द्वारा आरोपी आकाश ढीमर उम्र 25 वर्ष निवासी बोहारडीह, थाना- गुरूर, जिला- बालोद (छ.ग.) को भा.द.सं. की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास और 100/- रुपये अर्थदंड व भा.दं.सं. की धारा 450 के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 100/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी तोमन लाल साहू लोक अभियोजक द्वारा किया गया। इस घटना में पुलिस को सूचना मिली थी कि उसके गांव पड़ोस की रहने वाली कुमारी बाई ढीमर अपने घर में अकेली रहती थी, जो मृत हालत में अपने घर में पड़ी है। शव से दुर्गंध आ रही है। पुलिस को सूचना मिलने पर पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतका कुमारी बाई ढीमर का पुत्र आकाश ढीमर ने झगड़ा किया था। मृतका के संदेही पुत्र ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में निवास करता था और सरकारी चावल गांव से ले जाता था। उसकी मां कुमारी बाई चावल नहीं दे रही थी। इस कारण उसने अपनी मां की हत्या चाकू मारकर की थी।

ट्रेन में चार बोगी बढ़ने से मिलेगी यात्रियों को राहत

बालोद। अंतागढ़ से रायपुर की ओर जाने वाली ट्रेन में बहुत जल्द बोगी की संख्या बढ़ेगी। वर्तमान में आठ बोगियों की सुविधा मिलती है जो अब 12 होने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए स्वीकृति दी चुकी है। लंबे समय से व्यापारी संघ, जनता और जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की जा रही थी। सांसद भोजराज नाग और भाजपा के बालोद जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख इसके लिए लगाता प्रयास कर रहे थे। अब बोगी की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 बोगी करने की स्वीकृति मिल चुकी है। 12 बोगी की सुविधा मिलने से सुबह रायपुर, दुर्ग मड़ौदा आदि जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

एमएसएमई उद्यमियों और बैंकर्स के बीच हुआ सीधा संवाद

बालोद। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के सहयोग से रैंप (राईसिंग एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई पर्फोमेंश) योजना अंतर्गत आमापारा बालोद में उद्योग एवं बैंकर्स कनेक्ट कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों, महिला उद्यमियों के प्रतिनिधियों, पीएमएफएमई एवं पीएमईजीपी योजना के लाभार्थी शामिल हुए। कार्यक्रम में जिले के एनबीएफसी सहित अन्य बैंकों के अधिकारियों ने उपस्थित उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय योजनाओं ऋण सुविधाओं मुद्रा योजना और के लाभों की जानकारी दी। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि कार्यक्रम में प्रतिभागियों को बैंक अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद का अवसर मिला। इस दौरान उपस्थित उद्यमियों ने अपने व्यापार से जुड़ी समस्याओं का साझा किया। जिन पर बैंक अधिकारियों ने समाधान और मार्गदर्शन प्रदान किया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं आईटीआर के महत्व के संबंध में जानकारी दी गई।

हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए 19 को शिविर

खैरागढ़। जिले मे दो पहिया एवं हल्के चारपहिया वाहनों के हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से जिला कार्यालय स्थित कक्ष आठ मे विशेष शिविर का आयोजन 19 जूलाई को किया गया है। शिविर मे एक अप्रेल 19 के पूर्व के वाहन जिनका नंबर प्लेट हाइसिक्योरिटी नही हूआ है ऐसे वाहन चालक वाहन दस्तावेज, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के दस्तावेज अनिवार्य है।

विधायक भावना ने विस में डायल 112 की टेंडर प्रक्रिया और महिला उत्पीड़न पर पूछे सवाल

■ **नवजात शिशुओं की सुरक्षा हेतु वैक्सीन उपलब्धता पर भी किए सवाल।**

कवर्धा/नवप्रदेश। विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन डायल 112 आपातकालीन सेवा, महिला उत्पीडऩ और नवजात शिशुओं की सुरक्षा हेतु वैक्सीन उपलब्धता एवं भण्डारण के संबंध में विधानसभा में प्रश्न पूछा। उन्होंने पंडरिया विधानसभा अंतर्गत महिलाओं के साथ हुए उत्पीडऩ और उनमें संलिप्त आरोपियों पर हुई कार्यवाही के साथ ही महिलाओं से हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए विधानसभा में मुद्दा उठाया। नवजात शिशुओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने टीकाकरण की उपलब्धता व भण्डारण की व्यवस्था और राज्य सरकार द्वारा आपातकाल सेवा के सञ्चालन को लेकर भी प्रश्न किया।

भावना बोहरा ने राज्य सरकार द्वारा डायल 112 आपातकालीन सेवा के संबंध में प्रश्न किया कि डायल 112 की आपातकालीन सेवा से सम्बन्धित अंतिम टेंडर कब समाप्त हुआ है? टेंडर समाप्ति के बाद वर्तमान में इसका संचालन किस माध्यम से किया जा रहा है? 112 की व्यवस्थित टेंडर प्रक्रिया कब की जाएगी। इसके संचालन में विभाग द्वारा क्या मापदंड और प्राथमिकताएं तय की गई हैं? विभाग द्वारा 112 के सुव्यवस्थित संचालन के लिए अब तक कितने वाहन क्रय किए गए हैं और वर्तमान में इनमें से कितने वाहन कार्यरत हैं।

इस प्रश्न के लिखित उत्तर में उप मुख्यमंत्री ने बताया कि डायल-112 आपातकालीन सेवा से संबंधित टेंडर वर्तमान में समाप्त नहीं हुआ है। डायल-112 का व्यवस्थित टेंडर प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा डायल-112 योजना का 11 जिलों में संचालन हेतु 252 नग ईआरव्ही वाहन खरीदा गया था, जो वर्तमान में कार्यरत है। डायल-112 (द्वितीय चरण) का राज्य के सभी जिलो में क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु कुल 396 नग ईआरव्ही वाहन खरीदे गये है। वर्तमान में कार्यरत ईआरव्ही वाहनों द्वारा माह 30 जून 2025 की स्थिति में 7,11,55,231 किलोमीटर की दूरी तय की गयी है।

भावना बोहरा ने महिला उत्पीडन के संबंध में प्रश्न पूछा कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2023 से जून, 2025 तक महिलाओं से सम्बंधित उत्पीडऩ, दहेज, आत्महत्या, हत्या एवं अन्य प्रकरण के कुल कितने आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं? महिला सुरक्षा संबंधित दर्ज प्रकरणों में से कितने मामलों को निराकृत किया जा चुका है? महिलाओं की सुरक्षा हेतु गृह विभाग की पिंक थाने जैसी क्या कोई विशेष योजना पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भी लागू की जावेगी?

लिखित जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पण्डरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत महिलाओं से संबंधित उत्पीडऩ, दहेज, आत्महत्या, हत्या एवं अन्य प्रकरणों के कुल-336 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 308 मामले निराकृत किये गये हैं एवं 28 प्रकरण विवेचनाधीन हैं। पिंक थाना के संबंध में उन्होंने बताया कि राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना 2 जनवरी के अनुसार जिला कबीरधाम (कवर्धा) अन्तर्गत आने वाले सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए महिला पुलिस थाना, कबीरधाम की स्थापना की गई है।

नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य के संबंध में भावना बोहरा ने प्रश्न करते हुए पूछा कि जिला-कबीरधाम (छ.ग.) अंतर्गत नवजात शिशुओं को लगने वाली वैक्सीन के भंडारण की क्षमता कितनी है? कमेटी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है और वैक्सीन भंडारण की निगरानी की जवाबदारी जिले स्तर पर किनकी होती है? लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि जिला कबीरधाम अंतर्गत नवजात शिशुओं को लगने वाली वैक्सीन के भंडारण की कुल क्षमता 3682 लीटर प्रतिमाह है।

टीकाकरण संबंधी समस्त गतिविधियों की निगरानी सेक्टर, विकासखण्ड व जिला स्तरीय टीम एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, यूनाईटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा की जाती है। उन्होंने बताया कि नियमों के पालन हेतु ऐसी कोई कमेटी गठित करने का प्रावधान नहीं है।

किसानों के पंजीयन कार्य को प्राथमिकता से करने कहा

जनहित से जुड़े मामलों का निराकरण समय-सीमा में करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

खैरागढ़/नवप्रदेश। समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में कलेक्टर इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाल ने विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में और अधिक गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ भवन व पर्याप्त विद्युत सुविधा बच्चों के अनुकूल वातावरण निर्मित करने के लिए आवश्यक है। बैठक के दौरान कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की भवन निर्माण एवं विद्युतीकरण की स्थिति की जानकारी लेते जिन केंद्रों में निर्माण कार्य अपूर्ण है या विद्युत सुविधा नहीं है, वहां प्राथमिकता से कार्यवाही के निर्देश देते निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने नियमित निगरानी करने कहा।

उन्होंने जनहित से जुड़े मामलों का निराकरण समय-सीमा में प्रभावी, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण के साथ करने निर्देश दिए। कलेक्टर ने एग्रीस्टेक पोर्टल में किसानों के आईडी पंजीयन की तहसीलवार प्रगति की समीक्षा की। जिले में अब तक 49,416 किसानों का पंजीयन पूर्ण हो चुका है, 17,428 किसानों का पंजीयन शेष है। कलेक्टर ने शेष किसानों का पंजीयन निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने निर्देश दिए।

कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की प्रगति की। स्कूलों में संचालित तिमाही एवं अर्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारी की भी जानकारी ली। उन्होंने परीक्षाओं से पहले आवश्यक तैयारी एवं समन्वय के लिए बैठक शीघ्र आयोजित करने, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए जिले के अधिक से अधिक पात्र बच्चों का पंजीयन सुनिश्चित करने, ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों के होनहार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर देने निर्देश दिए। विद्युत विभाग मे स्मार्ट मीटर स्थापना की प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ई-ऑफिस प्रणाली के तहत सभी विभागीय अधिकारियों की ऑनबोर्डिंग की स्थिति की समीक्षा करते जिन विभागों के अधिकारी अब तक प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल ऑनबोर्ड करने निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ प्रेम कुमार पटेल, अपर कलेक्टर सुरेंद्र कुमार ठाकुर, एसडीएम टंकेश्वर प्रसाद साहू, अविनाश ठाकुर सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शौचालय मरम्मत की खुली पोल

राजनांदगांव/नवप्रदेश। नगर निगम राजनांदगांव द्वारा हाल ही में 10 करोड़ की लागत से 42 सड़कों में से 20 सड़कों का डामरीकरण कार्य ही हो पाया है। सड़कों का डामरीकरण कार्य होने के एक माह के भीतर सड़क पर गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष ऋषि शास्त्री ने कहा कि अधिकारी और ठेकेदार की मिली भगत से सड़क डामरीकरण कार्य में मनमानी हुई है। इसी प्रकार स्वच्छता मिशन अंतर्गत शासन द्वारा नगर निगम क्षेत्र में सुलभ शौचालय मरम्मत कार्य के लिये लगभग 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए। मरम्मत कार्य की पोल उसे वक्त खुल गई है। रात में एक माह पहले हुए मरम्मत कराई गई छत केयरटेकर के ऊपर गिर गई जिसमें केयरटेकर को हल्की चोट आई है। केयरटेकर के द्वारा उपयोग में लाने वाली सामग्री क्षतिग्रस्त हुई है। भाजपा सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं। अधिकारी और ठेकेदार जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार सोई हुई है। मामलों में शासन-प्रशासन को संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए संबंधित दोषियों पर एफआईआर करना होगा।

अस्पताल परिसर गेट 2 के बगल में थोड़ा शौचालय स्थित है। केयरटेकर का नाम यशवंत चौधरी उम्र लगभग 55 वर्ष एक महीना पूर्व मरम्मत कार्य हुआ था, जो माह भर भी टिक नहीं पाया। अब लीपा पोती की तैयारी हो रही है। हताहत केयरटेकर के द्वारा क्षतिपूर्ति की मांग की गई।

गड्ढों में लेटकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

कवर्धा/नवप्रदेश। आज युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष तुकाराम चंद्रवंशी ने गृहमंत्री विजय शर्मा की चुनौती को स्वीकार करते हुए नेशनल हाईवे क्रमांक 130 (पोड़ी से सिलहटी तक) पर गड्ढों में लेटकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे – यह फर्क करना मुश्किल है। इससे ग्रामीण जनजीवन त्रस्त हैं। दुर्घटनाएं आम हो चुकी हैं और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि केवल आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में मशगूल हैं। पूर्व में भी तुकाराम चंद्रवंशी ने मार्ग की दुर्दशा को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर मरम्मत कार्य कराया था, लेकिन अब पुनः वही सड़क तालाबनुमा गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। चंद्रवंशी ने सवाल किया कि यह नेशनल हाईवे केंद्र सरकार की परियोजना है। केंद्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार है। गृहमंत्री खुद स्थानीय विधायक हैं। फिर भी सड़क क्यों बदहाल है? भाजपा अब अपनी ही सरकार की नाकामी का दोष कांग्रेस पर मढ़ेगी। उन्होंने कहा कि विजय शर्मा तत्काल जनता से माफी मांगे। नेशनल हाईवे की मरम्मत कार्य के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

शहर की दुर्दशा देखते हुए तत्काल विशेष सम्मेलन बुलाएं : पिल्ले

■ **बदहाल व्यवस्था से नाराज़ नेता प्रतिपक्ष ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन**

राजनांदगांव/नवप्रदेश। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने बारिश में शहर की बदहाल दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए निगम आयुक्त से जल्द ही विशेष सभा बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हल्की सी बारिश ने शहर की सड़क, बिजली ,पानी साफ सफाई व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। शहर की ऐसी कोई सड़क नहीं है जो गड्ढों में तब्दील न हुई हो। बारिश के दिनों में ज्यादातर वार्डो में अंधेरे का साम्राज्य है। बारिश होने पर शिवनाथ नदी का जल स्तर बढने के बाद भी शहरवासियो को एक टाइम पानी दिया जा रहा है। शहर में जगह-जगह कचरे का अंबार है। बारिश में नालियां जाम है। नागरिकों को सामान्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष पिल्ले ने कहा कि निगम द्वारा 1 करोड़ की लाइट खरीदी गई। इसके बाद भी शहर में अंधेरा व्याप्त है। जून माह में सफाई का पुराना टेंडर समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी नया टेंडर नहीं कराया गया।

शहर की सफाई व्यवस्था बदतर है। लोग प्रदूषण के शिकार हो रहे हैं। बारिश के दिनों में संक्रामक रोग फैल सकता है। पिल्ले ने जनता को सुविधाएं दिलाने जल्द ही विशेष सभा बुलाने की मांग की है। मांग करने वालों में पार्षदगण सतीश मसीह, मुकेश साहू, छोटे-से रामटेके, अमीन हुड्डा, युवराज, गणेश पवार उपस्थित थे।

प्रथम पेज का शेष

नेता प्रतिपक्ष ने पीएम आवास...

कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा।

प्रश्नकाल के दौरान सबसे पहले रायपुर विधायक सुनील सोनी ने सायबर क्राइम में दर्ज प्रकरण पर सवाल उठाया। सोनी ने कहा कि यह गंभीर समस्या है। इस मुद्दे पर कई विधायकों ने चिंता जताते हुए सवाल किये। गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्वीकार किया कि प्रदेश में डेढ़ साल में 107 करोड़ की ठगी हुई है। जबकि 3 करोड़ से अधिक राशि पीड़ितों को वापस मिल पाई है। भाजपा विधायक राजेश मूणत ने सवाल किया कि कई बार सीनियर पुलिस अफसरों की ट्रेनिंग के बावजूद साइबर क्राइम की समस्या क्यों है।

मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और दयालदास बघेल सदन में विभिन्न सरकारी पत्रों को पटल पर रखें, आज सदन में दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लगाए गए। विधायक इंद्र साव, द्वारकाधीश यादव और चातुरी नंद ने कृषि यंत्र और उपकरण वितरण में अनियमितता को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तीन याचिकाएं भी प्रस्तुत की गई। ये याचिकाएं विधायक कुंवर निषाद, अजय चंद्राकर और रोहित साहू की ओर से प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री साय, मंत्री रामविचार नेताम, टंकराम वर्मा और ओपी चौधरी ने शासकीय विधि विषयक कार्यों को पुनः स्थापित किया।

बिजली दामों में बढ़ोतरी पर ...

स्थगन दिया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए।

इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में वक्तव्य देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु घोषित बिजली टैरिफमें मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कि विगत वर्षों में न्यूनतम वृद्धि में से एक है. यह निर्णय जनसुनवाई की प्रक्रिया के बाद पारदर्शी ढंग से लिया गया है और इसे घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर स्टील और रोलिंग मिल उद्योगों तक ने सराहा है।

विपक्ष के सवालों पर...

का मामला उठाया हुए कहा कि मशीनों में से कई मशीन एक संख्या में थे जो वर्षों से ऐसी ही पड़ी है। मशीनों की खरीदी क्यों नहीं हो रही और खरीदी की प्रक्रिया क्या है? स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जयसवाल ने बताया कि 161 मशीन स्थापित है 50 मशीन बंद है। अभी 70 करोड़ की खरीदी कर रहे हैं। 11 मशीनों का सुधार कार्य चल रहा है। इस पर कांग्रेस विधायक ने सवाल किया कि कैंसर की जांच करने वाले मशीन क्यों नहीं है? स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वो जांच मशीन की श्रेणी में नहीं इलाज की श्रेणी में आता है, और यह मशीन विदेश से आता है। लेकिन हम उस मशीन को चालू भी करेंगे।

दिव्यांगजनों पर कार्रवाई का मुद्दा ...

मारपीट की। मुंगेली के एक दिव्यांग का हाथ टूट गए और कपड़े भी फट गए हैं। कई ऐसे दिव्यांगजन है जिनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया गया है। इसके साथ उन्होंने सवाल किया कि पुलिस प्रशासन किसके आदेश पर यह कार्रवाई कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है पुलिस किसी पर हाथ नहीं उठा सकती. यह सुप्रीम कोर्ट और संविधान का उल्लंघन है. सरकार दिव्यांगजन पर बर्बरता करने वालों पर कार्रवाई करें. दिव्यांगजनों की की मांगों को सुने और पूरी करे।

विधानसभा घेराव करने...

विधानसभा घेराव करने के लिए निकले थे. इस बीच पुलिस की टीम सतर्क हो गई और धनेली-बिलासपुर रोड से घेराव से पहले ही दिव्यांगजनों को रोक लिया. इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिसकर्मी दिव्यांगों को बलपूर्वक घसीटते हुए पुलिस वाहन में भरा और टूटा लेकर पहुंचे।

मोदी सरकार ने 'प्रधानमंत्री ...

हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जिलों का चयन नेट क्रॉप एरिया और ऑपरेशनल होल्डिंग्स के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले का चयन होगा।

योजना की इफेक्टिव प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कमेटी गठित की जाएंगी। जिला स्तर पर एक 'जिला धन-धान्य समिति' बनेगी, जिसमें प्रगतिशील किसान भी शामिल होंगे। ये समितियां एक 'जिला कृषि और संबद्ध गतिविधि योजना' तैयार करेंगी, जो प्राकृतिक खेती, पानी-मिट्टी की रक्षा, आत्मनिर्भरता और फसल विविधीकरण जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ी होगी। प्रत्येक धन धान्य जिले में योजना की प्रगति की निगरानी मासिक आधार पर एक डैशबोर्ड के माध्यम से 117 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर की जाएगी। नीति आयोग भी जिला योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा। इसके अलावा, प्रत्येक जिले के लिए नियुक्त केंद्रीय नोडल अधिकारी भी नियमित आधार पर योजना की समीक्षा करेंगे।

पूर्व मंत्री लखमा की जमानत...

रुपये के अवैध निवेश और खर्च संबंधी दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे और...

के लोग लगातार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग जायज होने के साथ-साथ उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी आधारित है।

कांग्रेस नेताओं ने पत्र में लिखा, यह समझना जरूरी है कि जहां पहले भी केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिए जाने के उदाहरण रहे हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर का मामला स्वतंत्र भारत में अभूतपूर्व है। यह पहली बार है जब किसी पूर्ण राज्य को उसके विभाजन के बाद केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है।

नाम-परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अहमद अली समनानी पिता जमाल निवासी अमन अपार्टमेंट ब्लाक ए-1 बोरसी मार्ग आदर्श नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन नं. 491001 यह शपथ करता हूं कि मैने अपना पुराना नाम (AHMAD ALI) को त्याग कर नया नाम अहमद अली समनानी पिता जमाल रख लिया हूं। अत: आज से मुझे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय व अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरा नया नाम अहमद अली समनानी पिता जमाल के नाम से जाना एवं पहचाना जावें।

शपथकर्ता
अहमद अली समनानी
निवासी अमन अपार्टमेंट ब्लाक ए-1 बोरसी मार्ग आदर्श नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)
पिन नं. 491001

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला
क्रमांक: 202507101000002/अ-6अ/सन्- 2024-25
मामले की श्रेणी-राजस्व
कुरुद प.ह.न. 00046 हे.
पक्षकारों का विवरण-आवेदक पक्षकार-रामकुमार देवांगन
अनावेदक पक्षकार -
ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामकुमार देवांगन पिता/पति/ विभाग रामखिलावन देवांगन पता- भिलाई द्वारा ग्राम - कुरूद प.ह.न. 46 रा.नि.म. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग की भूमि ख.न. 1596/58 रकबा 0.021 है आवेदक के पिता के नाम पर दर्ज है, एव उक्त भूमि वर्तमान पटवारी अभिलेख में रकबा त्रुटिपूर्ण दर्ज हो जाने एव आवेदक के पिता का फौत हो जाने से उक्त भूमि में आवेदक के पिता के स्थान पर उनके वारिसानो का नाम दर्ज किये जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त भूमि का नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनाक 11.08.2025 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 16.07.2025 को जारी किया जाता है।

मुहर
अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाईनगर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00039 बोरसी ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण- सी.जी. 20252611111138

तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00039 के अंतर्गत ग्राम बोरसी के वर्तमान भूमिस्वामी एच.एस. ठाकुर पिता/पति एम.एस. ठाकुर पता मकान नं. 750 सड़क नं. 07 के पास मधुबन नगर बोरसी वार्ड 51 दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 210/25(0.0242) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/ क्रेता विजय सिंह ठाकुर पिता/पति हीरा सिंह ठाकुर पता मकान नं. 750 सड़क नं. 07 के पास मधुबन नगर बोरसी वार्ड 51 दुर्ग के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण/ अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 10.07.2025 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 19.06.2025 को जारी किया जाता है।

मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00042 कातुलबोर्ड ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण- आर.डी. 202425430103500061

तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00042 के अंतर्गत ग्राम कातुलबोर्ड के वर्तमान भूमिस्वामी शोभा पिता/पति बसंत टोकेकर पता 4-भिलाईनगर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 48/86 (0.0170) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता अजीत टोकेकर पिता/पति स्व. बसंत टोकेकर पता फ्लैट नं. 1303 बिल्डिंग एच-1 ए बोरीवली ईस्ट मुम्बई, श्रीमती आरती जोशी पिता/पति स्व. बसंत टोकेकर राजीव गांधी वार्ड नं. 03 हिंडोरिया दमोह मध्यप्रदेश, मदन कुमार देशमुख पिता/पति पी.ए. देशमुख पता मकान नं. 252 महाराजपुर मनादी जिला मंडला के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 31.07.2025 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 15.07.2025 को जारी किया जाता है।

मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00049 रिसाली ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण- आर.डी. 202425430104800184

तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00049 के अंतर्गत ग्राम रिसाली के वर्तमान भूमिस्वामी गोपाल सिंह पिता/पति गजरात सिंह लोधी पता सगडोंगरी के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 276/9(0.0700) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता भीखीन वर्मा पिता/पति स्व. गोपाल सिंह पता टेंकापार दुर्ग, पिताम्बरी वर्मा पिता/पति स्व. गोपाल सिंह पता खैरागढ़ के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 25.07.2025 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01.07.2025 को जारी किया जाता है।

मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र/202506103000103 /अ-6/ वर्ष 2024-25

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक केतागण श्री एम. रामाराव पिता श्री एम. अणन्ना, श्रीमती एम. वरलक्ष्मी पति श्री एम. रामाराव निवासी 122ए, रुआबांधा सेक्टर वार्ड नं.- 55 सिविक सेंटर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा ग्राम उमरपोटी प.ह.न-52 स्थित भूमि खसरा नंबर 446/1 का टुकड़ा रकबा 0.290 हेक्टेयर में से 2200 वर्गफीट भूमि को विकेता -पवन कुमार पिता स्व अंकलहा खुद व आम मुख्तयार तरफसे श्री ओम प्रकाश पिता स्व. कुंवर सिंह वगैरह पता- उमरपोटी तह व जिला दुर्ग (छ.ग.) से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 27.09.2018 को कय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को केता के नाम पर प्रामाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 18.07.2025 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2025 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा
रा.प्र.क्र./अ-6 अ/वर्ष 2024-25

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदिका श्रीमती सुनीता काटोले पति खींरेन्द्र काटोले निवासी प्लाट नं-51. न्यू ज्ञानेश्वर नगर देउलकर अस्सोसियटेस के पास, मानेवाडा रोड, पार्वती नगर नागपुर महाराष्ट्र के द्वारा ग्राम बोरसी प.ह.न. 39, तहसील व जिला दर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 351/10 रकबा 0.0140 हे. /1500 वर्गफीट/139.40 वर्गमीटर भूमि विकेता श्रीमती विसन्तीन पति बुधारू वगैरह से दिनांक 31/05/2011 को कय किया गया है, जिसका प्रमाणीकरण कराकर आवेदिका के नाम पर ऋण पुस्तिका जारी किया जा चुका है, किन्तु वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं ऑनलाईन में आवेदिका के पति का नाम खीरेन्द्र काटोले के स्थान पर त्रुटिवश रविन्द्र काटोले दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, का लेख करते हुये आवेदिका के पति के नाम को सुधार कर रिकार्ड शुद्ध किये जाने बाबत् आवेदन पत्र संबंधित दस्तावेजों को संलग्न कर इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 23.07.2025 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.07.2025 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर
तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार
रा.प्र.क्र/ब/121/वर्ष 2024-25

एतद् द्वारा आम जनता एवं सर्वसाधारण को सूचना प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक नत्थुलाल आ. रघुनाथ कोसे निवासी अमेरी तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. के द्वारा आवेदन पेश किया है कि मेरे पिता स्व. रघुनाथ कोसे पिता सरजु मृत्यु दिनांक 21.11.2021 को ग्राम अमेरी प.ह.न. तहसील पाटन जिला दुर्ग में मृत्यु होने के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः आवेदक नत्थु लाल आ. रघुनाथ कोसे निवासी अमेरी तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर उपरोक्तानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की कार्यवाही पर जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 21.07.2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियम तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ जारी।

मुहर
कार्यपालिक दण्डाधिकारी
पाटन जिला दुर्ग

न्यूज गैलरी

कलेक्टर ने किया स्कूल का निरीक्षण

दुर्ग। जिले के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्राप्त पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता और वितरण की स्थिति का जायजा लेने कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज पुलगांव स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने उपस्थित समग्र शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र पाण्डेय और प्राचार्य से पाठ्यपुस्तक वितरण संबंधी जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि बच्चों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में बाधित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने शिक्षकों से पाठ्यक्रम की प्रगति, कक्षा संचालन की प्रक्रिया और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रत्येक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों तक पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति समय पर और सुनिश्चित रूप से करने कहा।

शासकीय महाविद्यालय में वृक्षारोपण

कुम्हारी। स्व. बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय, कुम्हारी में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत दो दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. सोनिता सत्संगी, सांसद प्रतिनिधि मिथलेश यादव, पार्षद आर प्रवीण राव और महाविद्यालय के स्टाफ के सदस्यों सहित स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. सत्संगी ने वृक्षारोपण का महत्व बताते हुए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से रोपे गए पौधों की निरंतर देखभाल करने की अपील की।

प्रतिनियुक्ति से 10 विद्यालयों में भर्ती

दुर्ग। जिले में नवीन संचालित कुल 10 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षकीय एवं गैर शिक्षकीय विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति से पूर्ति किया जाना है। इन विद्यालयों में अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन 25 जुलाई रात्रि 11.59 बजे तक प्रेषित करना अनिवार्य है। प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन सीधे कार्यालय में (स्पीड पोस्ट/डाक/अन्य किसी माध्यम) स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

बैठक 18 जुलाई को

दुर्ग। अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 एवं संशोधन नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर की अध्यक्षता में 18 जुलाई को 04 बजे कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित किया गया है। बैठक में पुलिस विभाग एवं विशेष लोक अभियोजक की पिछली त्रैमासिक बैठक का पालन प्रतिवेदन पर चर्चा, पुलिस विभाग द्वारा दर्ज प्रकरणों एवं विशेष लोक अभियोजक के न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।

भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों की मांगें दरकिनार, मुआवजा वितरण को लेकर आक्रोश, ग्रामीण आज करेंगे प्रदर्शन

दुर्ग (अंजोरा)/ नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले से हैदराबाद तक बन रहे सिक्सलेन हाईवे से प्रभावित गांवों के किसानों का गुस्सा फूटने लगा है। दुर्ग जिले के थनौद, अंजोरा, बिरेझर, चंगोरी के ग्रामीणों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन की तैयारी की है। 17 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सिक्स लेन का काम रोकने और सभी मांगों को पूरा करने ग्रामीणों ने गांव-गांव में पर्चे बांटे हैं। आंदोलन को तेज करने लाउडस्पीकर से प्रचार किया जा रहा है। सभी गांवों के ग्रामीण 17 जुलाई को ग्राम थनौद के मिनीमाता उद्यान राजा तालाब के पास बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व जनपद अध्यक्ष मोहन हरमुख ने कहा कि किसानों को इस प्रोजेक्ट से काफी समस्याएं होगी। पुल की ऊंचाई कम होने से आवाजाही में दिक्कत होने लगी है। सिक्सलेन के निर्माण से किसानों को खेतों में जलभराव की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार प्रशासन को मांगों के अवगत

कराने के बाद अब आंदोलन शुरू किया जा रहा है। यह आंदोलन नहीं रुकेगा।

ग्रामीण अनिल देवांगन ने कहा कि अंतिम छोर पर 600 मीटर कॉलम सिस्टम से रोड चाहिए, ताकि गांव बाढ़ से ज्यादा प्रभावित न हो। हर साल गांव में बाढ़ आता है लेकिन पानी जैसे-तैसे निकल जाता है। कॉलम सिस्टम से रोड न बनने पर बाढ़ के पानी से डूब कर फसल चौपट हो जाएगी। किसानों को कृषि यंत्रों को लाने-ले जाने में भी असुविधा होगी।

पूर्व जनपद सभापति हरेंद्र देव ने कहा कि सड़क निर्माण के लिए अपनी बेशकीमती जमीन किसानों ने दी है। अधिकारियों ने सही तरीके से प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया है। इसका खामियाजा क्षेत्र के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। सिक्सलेन निर्माण से किसान तबाह हो जाएंगे। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह लड़ाई जनता के हित में है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण से होने वाले नुकसान के साथ ही मुआवजा देने के मामले में भी ग्रामीणों को काफी शिकायतें हैं। किसानों से इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने के बाद उनकी मांगों की सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं पर दोगुना मुआवजा दिया गया है, तो कहीं पर चार गुना मुआवजा दे दिया गया है।

दुर्ग में 2 फोरलेन और सेंट्रल लाईब्रेरी बनाने 38.95 करोड़ की स्वीकृति

■ डबल इंजन की सरकार में दुर्ग शहर का हो रहा विकास - गजेन्द्र यादव

दुर्ग/नवप्रदेश। शहर के चहुँमुखी विकास को नई गति प्रदान करने राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने आज बड़ी सौगात दी है। विधायक गजेन्द्र यादव केप्रयासों से दुर्ग में 2 नई फोरलेन सड़कों के साथ एक अत्याधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग ज़ोन बनाया जाएगा। सिकोला नाला के निर्माण की लंबित मांग भी पूरी होगी। पांच कार्यों के लिए कुल 38.95 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। विधायक गजेन्द्र यादव ने शासन से 38.95 करोड़ की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री अरुण साव का आभार माना है।

बजट में दुर्ग की जनता को सुविधा देने की मांग पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दुर्ग शहर की जनता के लिये दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम दुर्ग को मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना, अधोसंरचना मद व सेंट्रल लाईब्रेरी योजना अंतर्गत राज्य बजट में विकास कार्यों के लिये विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति का पत्र उपमुख्यमंत्री ने प्रदान किया।

विधायक यादव ने बताया कि बजट में स्वीकृत कार्य हेतु अधोसंरचना मद से साईंस कालेज के पास जी.ई. रोड से स्टेशन रोड निर्माण कार्य हेतु 5 करोड़ 50 लाख और सिकोला नाला निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़, नगरोत्थान मद में स्टेशन रोड से शहीद चौक तक 800 मी. फोरलेन निर्माण हेतु 9 करोड़ 75 लाख और राजेन्द्र पार्क चौक से शहीद चौक होते हुए आईएमए चौक तक चौड़ीकरण और फोरलेन निर्माण हेतु 9 करोड़ 27 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार सेंट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन परिसर 500 सीटर हेतु 11 करोड़ 42 लाख की स्वीकृति दी गई है। इस तरह कुल 38 करोड़ 95 लाख की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

वैशाली नगर में विकास कराने 51 करोड़ मंजूर

वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के मंशानुरूप नगर निगम भिलाई द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर राज्य शासन से 51 करोड़ 41 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। भिलाई शहर के विकास और नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना मद, मुख्यमंत्री नगरोत्थान और सेंट्रल लाईब्रेरी योजना के अंतर्गत राज्य बजट से विकास कार्यों के लिये राशि स्वीकृत की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री अरूण साव ने विधानसभा विधायक सेन को लिखे गए पत्र में जानकारी दी है कि अधोसरंचना मद से जोन 01 अंतर्गत नेहरू नगर अंडरब्रिज से भिलाई नगर रेल्वे स्टेशन तक रेल्वे लाइन के समानांतर रोड निर्माण और विद्युतीकरण के लिये 322 लाख, जोन 01 अंतर्गत भिलाई नगर रेल्वे स्टेशन से सुपेला अंडरब्रिज तक रेल्वे लाईन के समानांतर रोड निर्माण व विद्युतीकरण के लिये 384 लाख, जवाहर मार्केट उन्नयन और विकास कार्य के लिये 700 लाख की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत अन्य अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु 2592.76 लाख की स्वीकृति मिली है। 500 सीटर सेंट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन परिसर निर्माण के लिये 1142.28 लाख की स्वीकृति मिली है। सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को बेहतर शिक्षा, अनुकूल महौल और शिक्षामय वातावरण मिलेगा। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का आज प्रदर्शन

दुर्ग/नवप्रदेश। राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरें बढ़ाने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर द्वारा 17 जुलाई को आदित्य नगर बिजली ऑफिस का घेराव किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के अध्यक्ष गया पटेल व पूर्व विधायक अरुण वोरा के नेतृत्व में हुई बैठक में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पांचो ब्लॉक अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष व अन्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के साथ छलावा है। जन विरोधी नीति अपनाकर भाजपा ने साबित कर दिया है कि जनता की पीड़ा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। पूर्व विधायक अरुण वोरा ने कहा कि जब महंगाई पहले ही चरम पर है, बिजली जैसे बुनियादी ज़रूरत की चीज़ को महंगा करना जनता के साथ अन्याय है। राज्य में भाजपा सरकार द्वारा पिछले 18 महीनों में चौथी बार बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। यह पूरी तरह से जनविरोधी फैसला है। अब तक कुल 19.31 रुपए की बढ़ोतरी की जा चुकी है। इस बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। सरकार इसे मामूली बता रही है, लेकिन अगर एक आम उपभोक्ता 200 यूनिट बिजली खर्च करता है, तो उसे हर महीने 40 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 60 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इस वृद्धि से सरकार हर महीने साल भर में 288 करोड़ रुपए जनता की जेब से वसूल करेगी। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए ये बढ़ोतरी सीधी जेब पर वार है।

बैठक में पूर्व महापौर आरएन वर्मा, परमजीत सिंह भुई, ब्लाक अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, अजय मिश्रा, राजकुमार पाली, राजकुमार साहू, महिप सिंह भुवाल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष कन्या ढीमर, सुशील भारद्वाज, सेवादल जिला अध्यक्ष विकास सापेकर, कुंती बरे उपस्थित थे।

मैनेजमेंट गुरु एन. रघुरामन रूंगटा यूनिवर्सिटी के बीबीए और एमबीए स्टूडेंट्स को सिखाएंगे प्रबंधन

भिलाई/नवप्रदेश। देश के प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु और लेखक एन. रघुरामन अब भिलाई के रूंगटा इंटरनेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी में बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स को प्रबंधन की बारीकियां सिखाएंगे। आम तौर पर रघुरामन आईआईएम और मैनेजमेंट के टॉप कॉलेजों में जाकर विशेष सेशन लेते हैं, लेकिन रूंगटा यूनिवर्सिटी में वे बीबीए और एमबीए स्टूडेंट्स के साथ सीधे जुड़ जाएंगे। रूंगटा यूनिवर्सिटी के विशेष कोर्स में शामिल बीबीए ग्लोबल और बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स में वे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन समझाएंगे। इसके अलावा बीकॉम के नए कोर्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फाइनैंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी उनसे पढ़ेंगे। एन. रघुरामन आम जिंदगी की छोटी-छोटी घटनाओं को जोड़कर, उनसे गहरे मैनेजमेंट के सिद्धांत निकालने की कला में माहिर हैं। जब एन. रघुरामन रूंगटा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो उनका अनुभव स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगा, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से प्रबंधन की गहरी समझ देगा। रूंगटा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति संतोष रूंगटा ने बताया कि रघुरामन के साथ यह सहभागिता एक तरह से यूनिवर्सिटी के लिए थॉट लीडरशिप इनिशिएटिव का हिस्सा है। स्टूडेंट्स को देश के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलेगा। रघुरामन स्टूडेंट्स को एथिकल लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल रिस्पांसबिलिटी इन बिजनेस और डिसिजन मेकिंग इन बिजनेस जैसे सैकड़ों टॉपिक्स में माहिर बनाएंगे। यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. जवाहर सूरीशेट्टी ने अनुबंध पर कहा कि, एन. रघुरामन का रूंगटा यूनिवर्सिटी से जुड़ना छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और गहराई को मजबूत करेगा।

रघुरामन से क्या सीखेंगे स्टूडेंट्स

संवेदनशील नेतृत्व - आज की कॉर्पोरेट दुनिया में सिर्फटारगेट हासिल करना ही काफी नहीं है। एन. रघुरामन छात्रों को यह सिखाएंगे कि कैसे एक लीडर टीम की भावनाओं को समझे और भरोसा बनाए ताकि बढ़िया आउटपुट मिल सके।

नैतिक निर्णय लेना - कॉलेज के स्टूडेंट्स अक्सर करियर की दौड़ में नैतिकता से समझौता कर बैठते हैं। रघुरामन उन्हें सिखाएंगे कि ईमानदारी और सफलता एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। वे स्टूडेंट्स को यह समझाएंगे कि एक प्रोफेशनल केवल कंपनी का कर्मचारी नहीं होता, बल्कि समाज का जिम्मेदार नागरिक भी होता है।

प्रभावी संवाद कौशल - एन. रघुरामन अपने उदाहरणों और कहानियों से यह सिखाते हैं कि साधारण भाषा में असाधारण विचार कैसे रखे जाते हैं। उनके सत्र स्टूडेंट्स को प्रभावी बोलने और लिखने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट, कठिन समय में धैर्य, तर्क और मूल्य आधारित निर्णय कैसे लिए जाएं यह वे अपने असंख्य जीवन अनुभवों से स्टूडेंट्स को सिखाएंगे।

आंध्र स्वाभिमान एसो. के पदाधिकारियों ने ली शपथ

भिलाई/नवप्रदेश। आंध्र स्वाभिमान एसोसिएशन भिलाई, छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ए. दुर्योधन राव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एम. वेंकट राव, महासचिव के प्रसाद राव, उप महासचिव, पी जगदीश राव, सचिव के जंगमय्या राव, कोषाधिकारी एम. ईश्वर राव, कार्यसमिति सदस्य सी. एच. अप्पलस्वामी, डी. शंकर राव, शिव कुमार रायुडु, जे. श्रीनिवास राव को चुनाव अधिकारी के. उमाशंकर राव ने शपथ दिलाकर निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया। नव निर्वाचित अध्यक्ष ए दुर्योधन राव ने संगठन को मज़बूत बनाकर सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा कार्य निरन्तर करने का संकल्प लिया। महासचिव के. प्रसाद राव ने बताया कि समाज के कमजोर परिवारों को सहयोग करने और पारंपरिक त्योहारों को हर्ष एवं उल्लास से मनाया जाएगा। कोषाधिकारी एम. ईश्वर राव ने कहा कि समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने सम्मान किया जाएगा। सामाजिक आयोजन को सफल बनाने में एम एस राव, के नीलाधर, डी मोहन, डी चिन्ना राव, यू तुम्भनाधम, एन भास्कर, ए जगन्नाथ, वी गणेश, के आनंद एवं महिलाओं ने उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाया।

आयुक्त ने निर्माणाधीन ओवरहेड टंकी का किया निरीक्षण

भिलाईनगर। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने आज भिलाई जोन क्रमांक 3 वार्ड क्रं. 36 महात्मा गांधी नगर में निर्माणाधीन 3000 किलो लीटर क्षमता की ओवरहेड टंकी का निरीक्षण किया। जोन आयुक्त येशा लहरे के साथ पहुंचे। निर्माण कार्य की गुणवत्ता और कार्य की स्थिति का अवलोकन करते हुए आयुक्त ने कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल से जानकारी ली। नई टंकी के निर्माण से क्षेत्र के लगभग 1500 परिवारों को जल आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जा सकेगी। सर्कुलर मार्केट में निर्मित सीसी रोड का निरीक्षण किया गया। शेष आवश्यक एवं जर्जर मार्गो का प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने जोन आयुक्त येशा लहरे को निर्देश दिये। आयुक्त ने पानी टंकी के समीपस्थ बाल उद्यान का अवलोकन कर घॉस कटिंग और वृक्षारोपण कराने उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान पार्षद विनोद चेलक, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, जोन स्वास्थ्य अधिकारी हेमंत मांझी, स्वच्छता निरीक्षक चूड़ामनी यादव, श्याम ठाकुर, समाज सेवी त्रिलोचन उपस्थित रहे।

10 की जगह 8 इंच का सरिया देख महापौर भड़की, कॉलम दोबारा बनाने के निर्देश

रिसाली/नवप्रदेश। महापौर शशि सिन्हा और परिषद के सदस्यों ने पुरैना के तीन वार्डो का भ्रमण किया। इस दौरान निर्माण कार्य से लेकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। एनएसपीसीएल वार्ड 39 में जीवीपी हटाने के निर्माण कार्य को देख एमआईसी सदस्यों ने आपत्ति की। महापौर शशि सिन्हा ने कॉलम को दोबारा खड़ा करने के निर्देश दिये।

वार्ड 39 में जीवीपी प्वाइंट हटाने सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है। कालम में 10 की जगह 8 इंच का सरिया देख महापौर परिषद के सदस्यों ने आपत्ति की। महापौर ने

निर्माण कार्य करने वाले एजेंसी को फटकार लगाते हुए कॉलम को दोबारा बनाने के निर्देश दिये। महापौर ने स्टोर पारा व पुरैना बस्ती का निरीक्षण भी किया। इस दौरान परिषद के सदस्य जहीर अब्बास, संजू नेताम, अनिल देशमुख, जमुना ठाकुर, रंजीता बेनुआ, रोहित धनकर आदि उपस्थित थे। मौके पर नगर पालिक निगम के प्रभारी अधिकारी भी मौजूद रहे।

पेवर ब्लाक व्यवस्थित करें

निरीक्षण के दौरान स्टोर पारा में महापौर ने पेवर ब्लाक को व्यवस्थित तरीके से लगाने के निर्देश दिए। महापौर शशि ने निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पेवर ब्लाक लगाने से पहले जगह का समतलीकरण किया जाए। महापौर ने बाबाधाम के निकट बने सांस्कृतिक भवन में बिजली पंखा लगाने के निर्देश दिए।

स्वच्छता पर कर्मचारी करे फोकस

महापौर ने निगम के अंतिम छोर पर बसे पुरैना के तीनो वार्डो में सफाई पर विशेष ध्यान देने कहा। उन्होंने प्रतिदिन स्वच्छता मित्रों की उपस्थिति लेने और उपस्थित कर्मचारियों को ग्लब्स, गमबूट प्रदान कर नियमित सफाई कराने कहा। इस दौरान महापौर और परिषद के सद्स्यों ने पुरैना के नागरिकों से मुलाकात की। स्थानीय रहवासियों का कहना था कि ब्रम्हपुरिया मोहल्ला में स्वीकृत भवन निर्माण का स्थल बदला जाए। भवन निर्माण शा. प्रा. शाला के पास रिक्त भूमि पर बनाया जाए। शिवमंदिर के पास निर्माणाधीन भवन को शीघ्र पूरा कराने का अनुरोध भी नागरिकों ने किया।

17 गांवों के 4200 से अधिक उपभोक्ता एवं किसान होंगे लाभान्वित

52 लाख की लागत से हिर्री सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाई

दुर्ग/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं और किसानों को पर्याप्त वोल्टेज के साथ निर्बाध विद्युत सप्लाई देने अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र द्वारा नगपुरा वितरण केंद्र के अंतर्गत स्थित 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेंद्र (सबस्टेशन) हिर्री में 5 एम.व्ही.ए. का अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगाकर 11 जुलाई को

ऊर्जीकृत किया गया, जिससे उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले 17 गांवों के लगभग 4200 उपभोक्ताओं और किसानों को निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति मिलेगी। पूर्व में सबस्टेशन में 05 एमवीए और 3.15 एमवीए के दो पॉवर ट्रांसफार्मर स्थापित थे। इनमें से एक 3.15 एमवीए के ट्रांसफार्मर को बदलकर 05 एमवीए के पॉवर ट्रांसफार्मर को स्थापित कर ऊर्जीकृत किया गया। इस कार्य के होने से उपकेंद्र की क्षमता 8.15 एमवीए से बढ़कर 10 एमवीए हो गई है, जिससे ओवरलोड की समस्या का निराकरण हो गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय खंडेलवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत लगभग 52 लाख रुपए की लागत से यह कार्य पूर्ण किया गया है। पहले से मौजूद दोनों ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते थे। खासकर धान की फसल के मौसम में लोड शेडिंग और लो वोल्टेज की समस्या थी। अब लो वोल्टेज और लोड शेडिंग जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। हिर्री में अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर लगाने से ग्राम हिर्री, सेवती, मढ़ियापार, परसदापार, खर्रा, रोता, टेमरी, हसदा, पाण्डुका, बिरेझर, ढाबा, अंजोरा, नवागांव, करेली, पूर्दा, छोटे पूरदा और बड़े पूरदा ग्रामों के लगभग 4200 उपभोक्ता व किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने अधीक्षण अभियंता वृत्त सलिल कुमार खरे, कार्यपालन अभियंता परियोजना डीके भारती, कार्यपालन अभियंता संचारण-संधारण संभाग दुर्ग छगन शर्मा, सहायक अभियंता अविनाश दुबे, डीके गजपाल और डीके साहू व उनकी पूरी टीम को बधाई दी।

ब्रह्माकुमारीज का दो दिवसीय योग तपस्या कार्यक्रम

भिलाई/नवप्रदेश। साइंस के साधनों को धन्यवाद, विज्ञान के साधन बहुत अच्छे है। साइंस के साधनों का उपयोग करते हुए साधना तपस्या करनी है। तब साइंस के ऊपर साइलेंस (मौन) की शक्ति की विजय होगी। यह बातें प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोगी ब्रह्माकुमार राजू भाई ने दो दिवसीय योग तपस्या कार्यक्रम अंतिम समय की तैयारी विषय पर कही। इस संसार में निर्भय निश्चिंत वह रहेगा, जो सृष्टि पर हरेक के पार्ट को साक्षी होकर देखता है। अधिक सोचने से हमारी शक्तियां नष्ट होती है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? इन क्यों की माला को छोड़ जो आवश्यक है, उतना ही सोचे। मन बुद्धि शांत स्वच्छ और स्थिर हो, जीवन में दुविधा द्वंद न हो, तब परमात्म शक्तियों की अनुभूति होगी। आपने संस्कार, आहार व डिजिटल साधन के टॉक्सिन (जहरीले पदार्थ) और डिटॉक्स (हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया) के बारे में बताया कि शुद्ध संस्कारो के लिए शुद्ध आहार आवश्यक है। आज भोजन में चटपटा तला भोजन पसंद किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसे ही दूसरों की परचिंतन की बातें नहीं सुननी है। आत्म उन्नति सुखी जीवन के लिए स्वचिंतन आवश्यक है, जिसके लिए सभी को 15 दिन का होमवर्क भी दिया गया।

छत्तीसगढ़ के प्रयागराज में 68301 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन और विसर्जन किया गया

■ त्रिवेणी संगम पर स्थित भगवान कुलेश्वरनाथ महादेव के मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़

नवापारा राजिम/नवप्रदेश। सावन का महीना शुरू होते ही शहर में शिव भक्तों के चेहरों पर एक अलग ही चमक देखने को मिली। सावन के पहले सोमवार को छत्तीसगढ़ के प्रयाग राज कहे जाने वाले धार्मिक नगरी राजिम के त्रिवेणी संगम पर स्थित भगवान कुलेश्वरनाथ महादेव के मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूर-दूर से श्रद्धालु अपने परिवार और बच्चों के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना करने पहुंचते रहे। वहीं दद्दा शिष्य मंडल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 68 हजार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, पूजन और विसर्जन किया गया। कुलेश्वर नाथ बाबा का दरबार हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजता रहा। मंदिर में भीड़ को देखते हुए पुजारियों ने क्रमवार दर्शन की व्यवस्था की थी। महिलाएं और युवतियां पूरे विधि-विधान से भोलेनाथ को दूध और पवित्र जल से स्नान कराकर आरती और भोग लगाती नजर आईं। भगवान शिव के प्रिय कनेर के फूल, धतूरा, बेल, बेलपत्र भी खूब चढ़ाए गए। पुरूषों के अलावा महिलाओं व युवतियों की भक्ति देखने लायक थी। इसी तरह राजिम शहर के बाबा गरीबनाथ महादेव मंदिर में भी सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ लगी रही। इसके अलावा नवापारा के राधाकृष्ण मंदिर, गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ, राजिम के मामा भांजा मंदिर, ब्रह्मचर्य आश्रम, सोमेश्वर नाथ, पंचकोशी के कोपेश्वर नाथ, फणेश्वर नाथ, ब्रह्मणेश्वर नाथ, पाटेश्वर नाथ, चंपेश्वर नाथ मंदिरों में भी भक्तों ने सुबह से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना के साथ जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया। ग्रामीण क्षेत्रों के शिव मंदिरों में भी लोग दर्शन पूजन व जलाभिषेक करते रहे। उन्ही के आदेश से दद्दा शिष्य मंडल द्वारा पिछले 4 वर्षों से इस भक्तिमय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में शिवलिंग निर्माण के लिए कोपरा, मिट्टी की गोलियां, दुध, दही, बिल्वपत्र एवं पूजन सामग्री भी भक्तों को दी जाती है।

पार्थिव शिवलिंग निर्माण के बाद देवेंद्र महाराज के निर्देशन में 5 ब्राम्हणों द्वारा पुरे विधि विधान से अभिषेक एवं आरती करवाई जाती है।

पूजन पश्चात पार्थिव शिवलिंग सिर पर धारण कर क्रमबद्ध होकर त्रिवेणी संगम में विसर्जन किया जाता है। कार्यक्रम में आज पहले सोमवार ही भक्तों की भीड़ के कारण समय से पहले मिट्टी की गोलियां समाप्त हो गई। जिससे 68301 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अर्चन किया गया। आयोजको द्वारा दूसरे सोमवार 21 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या मे शिव भक्तों से शामिल होने अपील की है। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से आयोजित किया जा रहा है।

पहले दिन 68 हजार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण

नगर के राधाकृष्ण मंदिर प्रांगण में दद्दा शिष्य मंडल के द्वारा आयोजित पार्थिव शिवलिंग निर्माण का यह 4 था वर्ष है। नगर में कुछ वर्षों पहले जब दद्दाजी नगर में पधारे थे, तब उनके मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से सवा करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया था, जो नवापारा नगर का रिकार्ड है। इसके पहले सामूहिक रूप से नवापारा नगर में पार्थिव शिव लिंग का निर्माण नही किया गया था। उस समय पूरा नगर ही नही बल्कि पूरा अंचल शिवमय हो गया था।

समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कहा कार्य में प्रगति लाएं

■ जनमन आवास के कार्यो को 30 सितम्बर तक करे पूर्ण : कलेक्टर उइके

गरियाबंद/नवप्रदेश। कलेक्टर बी.एस. उईके ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं में प्रगति लाने आवश्यक निर्देश दिये। साथ ही समय-सीमा में दर्ज, जनदर्शन, जनचौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल, लोक संवाद, सीपी ग्राम सहित उच्च कार्यालयों के लंबित प्रकरणों को नियत समय के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर उइके ने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की समीक्षा करते हुए स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति सदस्यों के लिए योजना अंतर्गत बनाये जा रहे आवास कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आवास की मूलभूत सुविधा से लाभान्वित करने पीएम जनमन के तहत निर्माणाधीन आवास कार्यो को प्राथमिकता में लेते हुए 30 सितम्बर तक पूर्ण करे। साथ ही कार्यो की पूर्णता की निगरानी के लिए निरंतर मॉनिटरिंग भी करें। कलेक्टर ने आवास पूर्णता की ऑनलाईन एन्ट्री एवं जीओ टैगिंग सुनिश्चित करते हुए अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने ग्रामीणों को प्रेरित करने के भी निर्देश दिये। कलेक्टर ने बैठक में वर्तमान खरीफ सीजन में जिले में चल रहे खेती-किसानी की भी जानकारी ली। उन्होंने वर्षा की उद्यतन स्थिति सहित समितियों में खाद-बीज के भण्डारण एवं वितरण की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि सभी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज भण्डारित रहे, साथ ही किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। समितियों के माध्यम से किसानों को खाद-बीज की पर्याप्त वितरण सुनिश्चित की जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

युवती जलप्रपात के नीचे गड्ढे में उतरी, गहराई अधिक होने के कारण डूब गई

गजपल्ला जलप्रताप में डूबने से युवती की मौत, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ

■ युवती अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आई थी

कोपरा नवापारा। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां गजपल्ला जलप्रपात में डूबने से एक युवती की मौत हो गई। युवती अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आई थी। इस दौरान वह जलप्रपात के गड्ढे में डूब गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफकी टीम मौके पर पहुंच गई। युवती के शव की तलाश की जा रही है। घटना पांडुका थाना क्षेत्र की है।

जानकारी के अनुसार, जिले के गजपल्ला जलप्रपात में आज दोपहर एक युवती की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रायपुर से 5 लड़कियां और 2 लड़के गजपल्ला जलप्रपात में पिकनिक मनाने आए थे। इस दौरान महविश खान (19 वर्ष) नाम की युवती जलप्रपात के नीचे गड्ढे में उतर गई। गड्ढे की गहराई अधिक होने के कारण युवती की पानी में डूबने से मौत हो गई। महविश खान के दोस्तों ने घटना की जानकारी पांडुका पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गरियाबंद जिले से पुलिस और एसडीआरएफकी टीम मौके पर पहुँच गई।

4 घंटे तक नहीं मिला शव, अंधेरे के कारण रेस्क्यू रोका गया

एसडीआरएफ की टीम बच्ची के शव की तलाश करती रही, लेकिन 4 घंटे रेस्क्यू के बाद भी डूबी युवती का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके से खाली हाथ लौट आई। अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू नहीं हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि वाटरफॉल में 20 फिट से ज्यादा गहराई है। अंदर चट्टानों का खोल है। शव वही फंसे होने का अनुमान है। युवती के साथ आए दोस्तों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पत्रकारों ने एएसपी, डीएसपी को सौंपा ज्ञापन

भाटापारा/नवप्रदेश। भाटापारा अनुविभाग अंतर्गत थाना क्षेत्र में ड्रग्स, जुआ, सट्टा, शराब, के अपराधिक तत्व खुलेआम अपराध करते नजर आते है जिन पर पुलिस की कार्यवाही निम्न है और अगर कार्यवाही होती भी है तो वह संदिग्ध रूप मे दिखाई पड़ती है, संदिग्ध रवैये के चलते मिडिया कर्मीयों को उसकी जानकारी नही दी जाती या जानबुझ कर जानकारी देने मे देरी की जाती है। जिसके चलते मिडिया कर्मीयो में भाटापारा शहर थाना और ग्रामीण थानों की कार्यवाहियों को लेकर असंतोष व्याप्त है। इन्हीं सभी बातों को लेकर नगर के पत्रकारअतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसिंह सिदार एवम डीएसपी तारेश साहू से मुलाकात करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा है। श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष संतोष साहू के नेतृत्व में गए पत्रकारों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को बताया कि पुलिस के इस रवैये से पुलिस और मिडिया के मध्य संवाद में मतभेद जैसी स्थिति निर्मित हो रही है जिसके कारण समाचार को लेकर मिडिया, पुलिस की सहयोग करने मे अपने आप को असमर्थ महसुस कर रही है। मिडिया कर्मीयों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी पनपने लगी है, पत्रकारो ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर पुलिस की कार्यप्रणाली और रवैये को ठीक कर अपने कर्तव्य और जिम्मेदारी को ठीक से निर्वहन करने की मांग की है।

39 दुकानदारों ने उर्वरक नियंत्रण आदेश नहीं माना, नोटिस जारी

महासमुंद/नवप्रदेश। किसानों को अच्छी गुणवत्ता की आदान सामग्री मिल सके इस के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह निर्देश पर द्वारा जिला स्तरीय निरीक्षण दल एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों के द्वारा लगातार कृषि आदान केन्द्रों, विक्रय स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। उप संचालक कृषि एफ आर. कश्यप ने बताया कि 01 अप्रैल 2025 खरीफ मौसम प्रारंभ से आज दिनांक की स्थिति में 49 दुकानों का निरीक्षण किया जा चुका है जिसमें 39 दुकानों कों उर्वरक नियंत्रण आदेश का पालन नही करने के चलते कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसमें 35 दुकानों का जवाब संतोषप्रद नही मिलने पर उनका उर्वरक प्राधिकार पत्र 15 दिनों के लिये निलंबित किया गया। उक्त दुकानों में मे. गुलशन कृषि केन्द्र झलप, मे. शिव कृषि केन्द्र पासिद, मे. मोनू कृषि केन्द्र तुमगांव, मे. भानू फर्टिलाईजर महासमुंद, मे. बीना एग्रोटेक झलप, मे. आनंद एग्रो एंड सर्विसेस तुमगांव, मे. अमूल्या खाद भंडार झलप, मे. ओम भवानी कृषि केन्द्र तुसदा, मे. जय मां भीमेश्वरी सुनसुनिया, मे. गीतांजली बीज भंडार तेन्दूकोना, मे. श्रीहरि कृषि केन्द्र बागबाहरा, मे. शिवम बीज भंडार बागबाहरा, में.श्री गणेश कृषि केन्द्र बागबाहरा, मे. आर.एस. ट्रेडर्स बागबाहरा, आदि सम्मिलित है।

नवापारा सड़क हादसे में तीसरे युवक की मौत, एक की हालत अभी भी गंभीर

नवापारा राजिम /नवप्रदेश। नवापारा इलाके में बीते सोमवार की रात दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई है। वहीं दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें एक की हालत नाजुक बनी हुई है। जिसका रायपुर मे इलाज चल रहा है। हादसे में दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार, नवापारा-अभनपुर मार्ग पर ग्राम कुर्रा स्थित पेट्रोल पंप के सामने दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। एक बाइक पर तीन युवक सवार थे। वहीं, दूसरी बाइक पर दो युवक सवार थे। हादसे में दोनों बाइक चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तत्काल नवापारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

हादसे में गंभीर रूप से घायल दो युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर कर दिया गया। इसमें एक युवक की रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही नवापारा थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल, एसआई सुनील कश्यप, एएसआई गुलाब सिन्हा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे। बताया जा रहा है कि धमतरी खरतुली निवासी लीलेश्वर साहू अपने दोस्त वीरेंद्र साहू और हुकुमचंद नेताम के साथ पुट्टी का काम करने ग्राम हसदा आया था। तीनों शाम करीब 5 बजे हसदा से किसी काम से नवापारा आए थे। काम खत्म करने के बाद शाम को वह हसदा लौट रहे थे।

जन चौपाल में कलेक्टर ने सुनी आम जनों की समस्याएं

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के विभिन्न स्थानों से आए नागरिकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। उन्होंने संबंधित विभाग को आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहा। आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 52 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों की समस्याएं बारी-बारी सुनी। इस अवसर पर सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू एवं रविराज ठाकुर, एसडीएम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

पशु सखियों को तकनीकी रूप से दिया गया प्रशिक्षण

महासमुंद। पशु सखी ग्रामीण पशुपालक किसान और पशुधन विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है। इनके माध्यम से विभागीय योजनाओं को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में मदद मिलती है। इसलिए इन्हे तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत विभागीय विषय विशेषज्ञों द्वारा विगत 10 जुलाई को विखं बसना के 35 पशु सखी, 11 जुलाई को विखं पिथौरा के 58 पशु सखी एवं 15 जुलाई को विखं महासमुंद के 70 पशु सखी को जपं के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। आगामी प्रशिक्षण विकासखण्ड बागबाहरा में 17 जुलाई को जनपद पंचायत के सभागार में दिया जाएगा। चिकित्सकों द्वारा पशु स्वास्थ्य रक्षा, पशु पोषण, पशु नस्ल सुधार एवं प्रबंधन, पशुपालन के इन चार प्रमुख स्तंभों को लक्षित कर पशु सखियों को प्रशिक्षित किया गया।

न्यायालय तहसीलदार महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.)

रा.मा.क्र......................अ/19 वर्ष 2024-2025
ग्राम-महासमुंद प.ह.नं.-42
तहसील व जिला महासमुन्द

// ईश्तहार //

एतद् द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पुलिस अधीक्षक जिला महासमुंद द्वारा पुलिस दूरसंचार कार्यालय जिला महासमुंद प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित किये जाने हेतु कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम महासमुंद प.ह.नं. 42 रा.नि.मं. तहसील व जिला महासमुंद स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 1958 का भाग 30x26= 780 वर्गमीटर शासकीय भूमि को पुलिस दूरसंचार कार्यालय के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु पुलिस विभाग को आबंटित किया जावे। उक्त आवेदन माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद जिला महासमुंद (छ.ग.) के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त भूमि को आबंटन कर भूमि स्वामी हक प्रदान किये जाने के संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई उजर दावा, आपत्ति हो तो वह दिनांक 21/07/2025 को कार्यालयीन अवधि में न्यायालय में स्वयं या अपने अभिभाशक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, उक्त नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 07/07/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील | जी-252602228/1 | तहसीलदार महासमुन्द

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)

// ईश्तहार //

ई कोर्ट नं......................
ग्राम जमरुवा
तहसील बालोद

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कार्मल सोसाइटी सिस्टर मारिया शालिनी पिता चान्डी निवासी ग्राम चावरा सदन कोडागांव द्वारा ग्राम जमरुवा प.ह.नं. 23 स्थित भूमि खसरा नं. 146/3 रकबा 0.20 हे. में से 0.18 हे. गैर कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु व्यपवर्तन बाबत् आवेदन नक्शा खसरा एवं बी-1 ब्लू प्रिंट, ऋण पुस्तिका व अधिकार अभिलेख की छाया प्रति सहित प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु परिवर्तित किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति/ दावा स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उद्घोषणा दिनांक 25/07/25 के भीतर प्रस्तुत कर सकते है, नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 09/07/2025 को जारी किया गया ।

सील | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बालोद, जिला बालोद

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर रायपुर
Email ID: eocghbzone01@gmail.com

आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कोटा कालोनी, रायपुर में निर्मित ए-टाईप योजना में से भवन/ भखण्ड क्र. ए-97 श्रीमती कमला आचारी पति स्व. श्री व्ही.परमु आचारी को आबंटित/ नामांतरित किया गया है। मूल आबंटी/ नामांतरी द्वारा दिनांक 07/03/1994 को विक्रय विलेख निष्पादित करा लिया गया है।

मूल आबंटी/ नामांतरी की मृत्यु दिनांक 16/05/2023 को हो जाने के कारण श्री राजेन्द्र आचारी पिता स्व. श्री व्ही.परमु आचारी द्वारा उक्त भवन/ भूखण्ड अपने नाम नामांतरण करने हेतु आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र वारिसों 1. श्री राजेश कुमार आचारी पिता स्व. श्री व्ही. परमु आचारी, 2. श्रीमती रजनी रमेशन पति श्री पी. रमेशन आचारी की सहमति पत्र, एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन/ भूखण्ड श्री राजेन्द्र आचारी पिता स्व. श्री व्ही. परमु आचारी के नाम पर नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के नामांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रुप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर स्वतः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी, एवं भवन का नामांतरण आदेश जारी कर दिया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01, रायपुर

न्यायालय तहसीलदार देवकर, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार //

सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक चैतराम निर्मलकर पिता सुखुराम निर्मलकर जाति धोबी निवासी ग्राम मोहगांव तहसील देवकर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम मोहगांव में दिनांक 24/05/2007 को आवेदक के पिता/ पति/ माता/ पत्नी/ पुत्र/ पुत्री सखीना बाई निर्मलकर की जन्म/ मृत्यु हो जाने के कारण उक्त व्यक्ति का जन्म/ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपेक्ष/ दावा हो अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं या अपने अभिभावक के साथ उपस्थित होकर दिनांक 14/07/2025 को उपस्थित होकर पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा जारी किया गया

स्थान-देवकर

सील | तहसीलदार देवकर जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार देवकर, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार //

सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राज बाई पति स्व. सूखऊ जाति केंवट निवासी ग्राम देवकर तहसील देवकर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम देकर में दिनांक 5/10/1995 को आवेदक के पति सूखऊ की जन्म/ मृत्यु हो जाने के कारण उक्त व्यक्ति का जन्म/ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपेक्ष/ दावा हो अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं या अपने अभिभावक के साथ उपस्थित होकर दिनांक 14/07/2025 को उपस्थित होकर पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 07/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा जारी किया गया।

दिनांक 07/7/2025
स्थान-देवकर

सील | तहसीलदार देवकर जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार देवकर, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार //

सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजाराम कुर्रे पिता/ पति सुखदास कुर्रे जाति सतनामी निवासी ग्राम कोहकाबोड़ तहसील देवकर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम कोहकाबोड़ में दिनांक 10/08/2011 को आवेदक के माता बृज बाई की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त व्यक्ति का जन्म/ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपेक्ष/ दावा हो अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं या अपने अभिभावक के साथ उपस्थित होकर दिनांक / / 2025 को उपस्थित होकर पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 04/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा जारी किया गया।

दिनांक 04/7/2025
स्थान-देवकर

सील | तहसीलदार देवकर जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार देवकर, जिला बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार //

सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक माखन निषाद पिता/ पति स्व. जगतू जाति केंवट निवासी ग्राम देवकर तहसील देवकर द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम देवकर में दिनांक 05/02/2011 को आवेदक के माता बिंदा बाई की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त व्यक्ति का जन्म/ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपेक्ष/ दावा हो अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं या अपने अभिभावक के साथ उपस्थित होकर दिनांक 14/07/2025 को उपस्थित होकर पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 04/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा जारी किया गया।

दिनांक 04/7/2025
स्थान-देवकर

सील | तहसीलदार देवकर जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार //

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका उषा बाई पति रमेश देवांगन निवासी ग्राम देवकर तहसील देवकर जिला बेमेतरा (छ.ग.) के द्वारा ग्राम देवकर तहसील देवकर जिला बेमेतरा स्थित भूमि ख.नं. 1157/4 रकबा 0.0260 हे. का आवासीय प्रयोजनार्थ व्यपवर्तित करने हेतु बी-1 नक्शा खसरा, अधिकार अभिलेख की प्रति पेश कर भू-राजस्व की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित करने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर-दावा हो तो दिनांक 25/07/2025 तक स्वतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में शाम 5.00 बजे तक दावा/ आपत्ति पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

सील | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा, जिला-बेमेतरा

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02 शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)
Email ID: eocghbzone02@gmail.com

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सामान्य आवास योजनान्तर्गत शंकर नगर, रायपुर में स्थित भवन क्रमांक-जनता-103, सेक्टर 02, श्री हकीम खान पिता श्री मिंया खान, को इस कार्यालय के आबंटन आदेश क्रमांक-13480-84 दिनांक 18.09.1982 के माध्यम से आबंटित किया गया है। वर्तमान में आबंटी श्री हकीम खान पिता स्व. मिंया खान, द्वारा आम मुख्तयारनामा श्री अजीज खान पिता स्व. मिंया खान निवासी-ए-10, शिवाजी पार्क सड्डू, जिला-रायपुर के द्वारा आवेदन पत्र, विक्रय इकरारनामा आम मुख्तयारनामा, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त भवन को क्रेता श्रीमती जहीना खान पति श्री अशरफ खान, निवासी-ए-10, शिवाजी पार्क विधानसभा रोड, मोवा, रायपुर (छ.ग.) को विक्रय करने के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भवन के विक्रय के संबंध में किसी व्यक्ति , शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-02, रायपुर

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार //

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक वेंक्टरामा पोल्टी.लि. डायरेक्टर धर्मतेजा पिता वेंकटराव परचुरी निवासी ग्राम सहसपुर प.ह.न. 29 तहसील देवकर जिला बेमेतरा में स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 3636/1, 3636/2, 3636/3, 3637, 3638, 3585/2, 3555 रकबा 2.2200 हे. भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तित करने हेतु बी-1 नक्शा खसरा, की प्रति पेश कर भू-राजस्व की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित करने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर-दावा हो तो दिनांक 17/07/2025 तक स्वतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में शाम 5.00 बजे तक दावा/ आपत्ति पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा, जिला- बेमेतरा (छ.ग.) | सील

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा जिला बेमेतरा (छ.ग.)

// ईश्तहार //

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक वेंक्टरामा पोल्टी.लि. डायरेक्टर मधुकोनारका पिता वेंकटराव परचुरी निवासी ग्राम सहसपुर प.ह.न. 29 तहसील देवकर जिला बेमेतरा में स्थित अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ख.नं. 3548, 3554/2, 3584, 3550/1, 3550/2 रकबा 2.9200 हे. भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ व्यपवर्तित करने हेतु बी-1 नक्शा खसरा, की प्रति पेश कर भू-राजस्व की धारा 172 के तहत व्यपवर्तित करने हेतु आवेदन पेश किया गया है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर-दावा हो तो दिनांक 17/07/2025 तक स्वतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में शाम 5.00 बजे तक दावा/ आपत्ति पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) साजा, जिला- बेमेतरा (छ.ग.) | सील

न्यूज गैलरी

करगाडीह के सरपंच एवं पंचों ने किया विधानसभा भ्रमण

उतई//नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा परिसर में दुर्ग ग्रामीण से आए ग्राम पंचायत खोपली के सरपंच मंजू फत्तेलाल वर्मा एवं करेगाडीह के सरपंच करण कुमार सेन ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। सरपंच एवं पंचों के सदस्यों ने विधानसभा परिसर के भ्रमण और सदन की कार्यवाही के अवलोकन के अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक प्रेरणादायक अवसर रहा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को निकट से देखने का अवसर मिलना गौरवपूर्ण अनुभव है।इस अवसर पर सभी मंत्री विधायकगण उपस्थित रहे।

स्थापना दिवस पर शिवसेना ने मरीजों को किये फल वितरण

महासमुंद/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शिवसेना के (41वां वर्ष) स्थापना दिवस पर शिवसैनिकों ने जिला अस्पताल में180 मरीजों को फल व बिस्किट वितरण किया। स्थापना दिवस को लेकर शिवसैनिकों में भारी उत्साह दिखा। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अजय बंजारे के नेतृत्व में जिला विधिक सलाहकर धीरज सिन्हा, युवा सेना जिलाध्यक्ष नीरज साहू, शहर अध्यक्ष अमित शर्मा, अभिषेक शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष बादल बंजारे, दुर्गेश गुप्ता, युवा सेना जिलाउपाध्यक्ष राजू साहू, विजय प्रधान, मीडिया प्रभारी बिट्टू ठाकुर, कुलेश्वर साहू, हेमंत साहू, राजेंद्र बाघ, ओमप्रकाश साहू, तुकाराम साहू, टिकेश्वर टण्डन, किशोर साहू, गिरधारी देवांगन, पप्पू बंजारे, रमेश जगत आदि उपस्थिति रहे।

शराब कोचिए के हौसले बुलंद पत्रकार से की गाली-गलौज, दी धमकी

धरसीवां/नवप्रदेश। सारागांव के पत्रकार को गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी मिली है। नशा मुक्ति जागरूकता रैली का समाचार छापने पर एक महिला ने पत्रिका संवाददाता को गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी दी है। मामले में पीड़ित पत्रकार ने खरोरा थाने में इसकी लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि सारागांव में अवैध शराब और गांजे की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। इसी बात को लेकर बीते 14 जुलाई को सारागांव के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों द्वारा नशा मुक्ति रैली निकालकर अवैध शराब और गांजा बेचने वाले कोचियों के घर जाकर उन्हें समझाइश दी थी। साथ ही गांजा बेचने वाले को पुलिस के हवाले भी किया था। जिसके बाद यह समाचार अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। खबर छपने के बाद गांव के ही एक अन्य शराब कोचिए की मां ने हमारे संवाददाता को उसके सेंटर में अभद्र गालीगलौज करते हुए उसे भला बुरा सुनाया और उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे डाली। साथ ही उनके परिवार वालों को भी भला-बुरा कहा। जिसके बाद पीड़ित पत्रकार नीलकंठ सिन्हा ने खरोरा थाना पहुंचकर उक्त महिला के खिलाफलिखित शिकायत कर

कड़ी कार्रवाई की मांग की।

पीड़ित पत्रकार का कहना है कि, बीते दिनों गांव को नशा मुक्त करने गांव की महिलाओं सहित ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकालकर गांव को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया था। साथ ही लोगों ने नशे को लेकर जागरूकता भी फैलाया था। जिसका समाचार अखबार में प्रकाशित किया गया था। बस इसी मामूली सी बात को लेकर उस शराब कोचिए की मां ने पत्रकार को जान से मारने धमकी दे डाली और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भला बुरा कहा। पीड़ित पत्रकार ने बताया कि उस महिला ने इससे पहले भी समाचार को लेकर उससे गालीगलौज कर चुका है। इधर, घटना के बाद स्थानीय पत्रकारों ने रोष प्रकट किया है और पुलिस से ठोस कार्रवाई की मांग उठाई है। इधर, मामले को लेकर गांव ने सरपंच धन्ना धीवर ने इसे ओछी मानसिकता बताते हुए घटना की निंदा की है और कार्रवाई की मांग की है। जनपद सदस्य मनहरण साहू का कहना है कि, जागरूकता रैली जैसी मामूली सी बात पर पत्रकार को गाली देना अच्छी बात नहीं है। गांव की समस्याओं को एक पत्रकार ही उठाते है ऐसे में उनसें सी दुर्व्यवहार करना घोर निंदनीय है। उपसरपंच राजेंद्र यदु ने इस घटना की निंदा करते हुए पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की है और इस घटना पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। वहीं स्थानीय क्षेत्रीय पत्रकार रेणु मिश्र, हेमन्त वर्मा , प्रेमलाल पाल , सुरेन्द्र जैन , केशव पाल ने कहा कि, यह घटना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने का प्रयास है।

कोटवार एसोसिएशन आफ छत्तीसगढ़ की बैठक

भाटापारा/नवप्रदेश। कोटवार एसोसिएशन आफ छत्तीसगढ़ तहसील शाखा भाटापारा की बैठक गत दिवस तहसील प्रांगण में संपन्न हुई ।बैठक में कोटवारों को प्रांतीय स्तर पर गुमराह करने कोटवारों का सम्मेलन एक छलावा के सिवाय कुछ नहीं है सिर्फ चंदा वसूली का धंधा बन गया है इसलिए इसके विपरीत कोटवार एसोसिएशन तहसील शाखा भाटापारा द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से बातचीत कर आगे कि कार्यवाही के लिए एक सप्ताह के बाद 21 जुलाई को पुनः बैठक किए जाने का निर्णय लिया गया। कोटवार संघ के ब्लाक अध्यक्ष कलीराम देवदास ने साथियों से अपील करते हुए आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निवेदन किया है वही उन्होंने कोटवार साथीयो को जागरूक करते हुए कहा कि आज का जमाना मोबाइल का है व्हाट्सएप ऐप पर लिखने के बजाय बात कर एक दूसरे से संपर्क कर योजना तैयार करने का प्रयास होना चाहिए।

नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने किया उद्घाटन, महिला समूह करेगी संचालन

कैंटीन में मिलेगा मां की रोटी, हुआ शुभारंभ

लोगों को मिलेगा स्वादिष्ट भोजन सिर्फ50 में

महासमुंद/नवप्रदेश। नगर में आज सामाजिक सरोकार की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल हुई। स्टेशन रोड स्थित मां की रोटी नामक महिला द्वारा संचालित कैंटीन का भव्य शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू एवं उपाध्यक्ष देवीचंद राठी के करकमलों से किया गया। इस कैंटीन का संचालन शहर की जय गंगा मैया महिला समूह द्वारा किया जाएगा, जिसका उद्देश्य है, जनता को मात्र 50 रुपये में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने कहा कि यह पहल न केवल लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराएगी, बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी बेहतरीन उदाहरण बनेगी। महिला समूहों ने समय-समय पर अपनी कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता सिद्ध की है, और मुझे विश्वास है कि वे इस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाएंगे।

नगर पालिका उपाध्यक्ष देवीचंद राठी ने महिला समूह को शुभकामनाएं देते हुए कहा,कि हमारे नगर की महिलाओं को यह अवसर मिलना गौरव की बात है।

फरमानिया ने बच्चों को शैक्षणिक सामग्री बांटी

उतई/नवप्रदेश। शासकीय प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शाला उतई, खोपली, उमरपोटी, घुंघसीडीह करगाडीह, कातरो, मंचादूर व चिरपोटी , डूमरडीह के लगभग 2000 बच्चों को सरवती देवी बनारसी दास फरमानिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संस्थापक श्री सुरेश फरमानिया के द्वारा 2000 बच्चों को कॉपी,पेन,स्कूल बैग,पहाड़ा व कंपास का वितरण किया गया,बच्चे कॉपी,पेन, कंपास बैग पाकर बच्चो का चेहरा खिल गया ।सुरेश फरमानिया जी के सेवाभाव को देखते हुए उतई जोन शिक्षकों ने फरमानिया जी का साल श्रीफल देकर सम्मान व गिफ्ट देकर सम्मान किया।

हाई स्कूल खोखली में हुआ साइकिल वितरण

भाटापारा/नवप्रदेश। हाई श्कूल खोखली मे एक पेड़ माँ के नाम पर अभियान के तहत शाला परिषर मे अविनाश शर्मा युवा नेता के मुख्य आतिथ्य में पौधारोपण किया गया,वही स्कूली छात्राओं को सायकल वितरण भी किया गया।इस दौरान अविनाश शर्मा ने छात्राओं को बधाई देते हुए उन्हें नियमित शाला आने और मन लगाकर पढ़ाई करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सरपंच आशीष कुमार चतुर्वेदानी, उपसरपंच बंशी यादव हाई श्कूल के प्रचार्य ए आर कुर्रे शिक्षक गण,ग्राम पंचायत के पंच गण ईश्वर यादव ,भूरवा मिरी भगवती पटेल जाहोरिक, राजू शर्मा बोडतरा सहित काफी संख्या में पालकगण उपस्थित थे।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

क्रमांक/प्र.1/अति.तह./2023 भिलाईनगर दिनांक 16/07/2025

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक आज्ञा कौर पति निरपाल सिंग साकिन गुरुनानक नगर भिलाई द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न. 45 रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 8498/2 रकबा 0.0100 हें भू.रा. रूपयें से संबंधित ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 31.07.2025 तक या उसके पूर्व स्वयं या आने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदक पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाईनगर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00019 दुर्ग ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण-आर.डी. 202425430103900302

तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00019 के अंतर्गत ग्राम दुर्ग के वर्तमान भूमिस्वामी उषा दास पिता/पति एस.डी. बाधे पता शंकर नगर दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 1275/48 (0.0090) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता छबिकांत बाधे पिता/पति स्व. एस.दास बाधे पता शंकरनगर मोती चौक दुर्ग, ज्योतिकिरण दास पिता/पति स्व. एस.दास बाधे पता शंकरनगर मोती चौक दुर्ग, रविकांत बाधे पिता/पति स्व. एस.दास बाधे पता शंकरनगर मोती चौक दुर्ग, के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/ आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 14.07.2025 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग-01 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र/202507104700015 /ब-121/ वर्ष 2024-25

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रेमलाल धीवर पिता-पोषण लाल धीवर निवासी सिरसाखुर्द तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा स्थित भूमि मौजा-सिरसखुर्द प.ह.नं. 06 रा.नि.म. जेवरा सिरसा, तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर 146/2 रकबा 00.0500 हे. भूमि आवेदक के नाम से भूमिस्वामी हक में दर्ज है। उक्त भूमि वर्तमान नक्शा में खसरा नंबर- 146/1 रकबा 0.0400 हे. भूमि संतोष कुमार साहू पिता- गयाराम के नाम पर प्रदर्शित हो रहा है जो कि मेरी भूमि पर प्रदर्शित हो रहा। उक्त नक्शा खसरा में हुई त्रुटि को सुधार किये जाने का आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.07.2025 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 04.07.2025 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग-01 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र/202507104700016 /ब-121/ वर्ष 2024-25

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री हिरामन सिंह कुम्हार पिता मनहरण (जाति अ.पि.व) निवासी-सिरसाखुर्द तहसील व रा.नि.सं.- जेवरा सिरसा तहसील व जिला दुर्ग छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर- 346/4 रकबा-0.0600 हे. भूमि आवेदक एवं सहखातेदारों के संयुक्त नाम से वर्तमान भूमिस्वामी हक में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी दुकलहीन ध.प. स्व.मनहरण का स्वर्गवास दिनांक 18.02.2022 को हो जाने मृतक का नाम विलोपित करने एवं शेष खातेदारों का नाम यथावत् रखे जाने हेतु फौती नामांतरण आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 21.07.2025 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 04.07.2025 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

संदर्भः जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00019 दुर्ग ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण-आर.डी. 202425430103900299

तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00019 के अंतर्गत ग्राम दुर्ग के वर्तमान भूमिस्वामी शांतोदय दास पिता/पति आर.सी. दास पता दुर्ग, उषा दास पिता/पति शांतोदय दास पता दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 1275/56 (0.0120) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/क्रेता ज्योति किरण दास पिता/पति स्व. एस.दास बाधे पता शंकरनगर मोती चौक दुर्ग, छबिकांत बाधे पिता/पति स्व. एस.दास बाधे पता शंकरनगर मोती चौक दुर्ग, रविकांत बाधे पिता/पति स्व. एस.दास बाधे पता शंकरनगर मोती चौक दुर्ग, के नाम पर पंजीयन/फौती होने के उपरांत नामांतरण/अभिलेख दुरूस्ती/ खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 30.07.2025 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो ईश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पुर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/अधिवक्ता/ आममुख्तयार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 14.07.2025 को जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-02 जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-6/ वर्ष 2024-25

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मंजूला साहू आ./पति स्व. मोतीराम साहू निवासी ग्राम मोहंद तह. अहिवारा जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम करंजा भिलाई तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 918/1 रकबा 0.006 हे. भूमि जो कि आवेदिका के पिता मोतीराम के नाम पर वर्तमान राज्सव अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी मोतीराम की मृत्यु दिनांक 28.04.2018 को जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 31.07.2025 तक स्वयं अथवा अपने के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति पेश कर सकतें हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 14.07.2025 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के पद मुहर के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.202506100700149 /अ-6/वर्ष 2024-25

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक शैलेन्द्र कसार पिता स्व. नरेन्द्र कसार निवासी मकान नं. 470, वार्ड नं.- 11, शंकर नगर, दुर्ग तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा ग्राम दुर्ग प.ह.नं. 19 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 1244/4 रकबा 0.015 है. भूमि जो कि आवेदक की माता श्रीमती मधु बाई पति नरेन्द्र कसार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार श्रीमती मधु बाई पति नरेन्द्र कसार की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 17.07.2025 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.06.2025 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. 202507101000065 /अ-27/ सन्- 2024-25

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नरेन्द्र कुमार चंद्राकर पिता स्क केदारनाथ चंदाकर निवासी कोहका द्वारा ग्राम कोहका प.ह.नं. 45, रा.नि.मं. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 2812/2, 3154/2 3156/23157/3 3158/2 रकबा 0.0100, 1.000, 0.180, 0.180, 0.312, कुल 3 एकड़ 62 डिसमिल भूमि आवेदक एवं सहखातेदारो के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज हैं। उक्त भूमि में भूमिवमीगण आपसी सहमति के आधार पर खाताविभाजन कर पृथक पृथक ऋष्णपुरितिका प्राप्त किये जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 30.07.2025 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाईनगर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र202507100900028 /ब/121/वर्ष 2024-25

एदत द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम खोरपा प.ह.नं. 35 तहसील पाटन, जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाषित किया जाता है कि आवेदिका दुर्गा पिता स्व. चिन्ताराम निवासी रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. द्वारा मौजा ग्राम खोरपा प.ह.न. 17 तहसील पाटन स्थित भूमि खसरा नंबर 219 रकबा 0.58 हे. आवेदक के नाम पर दर्ज होना किन्तु मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने से द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदिका दुर्गा पिता स्व. चिन्ताराम निवासी रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ.ग. द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्त भूमि का आवेदक को द्वितीय प्रति ऋष्ण पुस्तिका प्रदाय किए जाने की कार्यवाही पर जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 28.07.2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियम तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नही किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 09.07.2025 को जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती रेनु सिंह | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400136/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती रेनु सिंह आ./पति इंद्रेश सिंह निवासी बघेरा तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/46	0.0139 हें वर्गफीट 1500	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री यमन साहू | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400127/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्री यमन साहू आ./पति राजेन्द्र प्रसाद साहू निवासी हरियाणा द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/53	0.0139 हें वर्गफीट 1500	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री छोटेलाल केंवट | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400143/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्री छोटेलाल केंवट आ./पति स्व. मलेच्छ राम केंवट निवासी सेक्टर-6 सिविक सेंटर भिलाई जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/45	0.0139 हें वर्गफीट 1500	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती भावना साहू | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400128/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती भावना साहू आ./पति रोशन साहू निवासी सेक्टर-7 भिलाई जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/51	0.0139 हें वर्गफीट 1500	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री हेमलाल साहू | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400149/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्री हेमलाल साहू आ./पति मंथीरराम साहू निवासी सेजबहार रायपुर द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/42	0.0139 हें वर्गफीट 1500	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री शुभम सिंह राजपूत | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400137/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्री शुभम सिंह राजपूत आ./पति लक्ष्मीनारायण सिंह राजपूत निवासी न्यू खुर्सीपार भिलाई जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	202/260	0.0160 हें वर्गफीट 1782	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती रेखा देवी | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400148/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती रेखा देवी आ./पति अजय यादव निवासी सेक्टर-7 भिलाई जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/52	0.139 हें वर्गफीट 1500	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री भानुप्रताप विश्वकर्मा | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400141/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्री भानुप्रताप विश्वकर्मा आ./पति महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा निवासी गयानगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/41	0.0139 हें वर्गफीट 1500	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री भूपेन्द्र वर्मा | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400140/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्री भूपेन्द्र वर्मा आ./पति छनक वर्मा निवासी रुआबांधा बस्ती भिलाई जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/60	0.0120 हें वर्गफीट 1800	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री परमानंद देवांगन | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400135/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्री परमानंद देवांगन आ./पति भगवती राम देवांगन निवासी ग्राम नगपुरा तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/47	0.0139 हें वर्गफीट 1500	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री गौतम | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400146/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्री गौतम आ./पति श्री शिवनारायण लोधी निवासी ग्राम बोरतला साजा भेडनी बेमेतरा जिला बेमेतरा द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/55	0.0139 हें वर्गफीट 1500	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री आशीष कुमार जंघेल | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400139/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्री आशीष कुमार जंघेल आ./पति श्री बिहारीलाल जंघेल निवासी आर्यनगर कोहका भिलाई जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/59	0.0139 हें वर्गफीट 1500	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री कमल किशोर साहू | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400136/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्री कमल किशोर साहू आ./पति भुवनलाल साहू निवासी आशीष नगर रिसाली भिलाई जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम सिकोला प.ह.न. 17 तह. व जिला दुर्ग	15/56	0.0139 हें वर्गफीट 1500	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्री रमेश साहू | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202507100400130/अ-2/ वर्ष 24-25

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक/आवेदिका श्री रमेश साहू आ./पति भागवत साहू निवासी राईस मिल चौक वार्ड 01 दुर्ग जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम अंजोरा प.ह.न. 24 तह. व जिला दुर्ग	652/2	0.070 हें	आवासीय प्रयोजनार्थ

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यूज गैलरी

एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री निवास का किया घेराव

रायपुर/नवप्रदेश। राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री निवास का घेराव करने निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. दरअसल, सरकारी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में समस्यों को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था. आरोप है कि इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्तओं ने चक्काजाम कर यातायात बाधित किया. मामले में संबंधित धाराओं के तहत ह्स्ढ्ढ नेता तारिक अनवर खान, कुनाल दुबे, संस्कार पाण्डे, अथर्व श्रीवास्तव, अंकित बंजारे समेत अन्य पर एफआईआर दर्ज किया गया. मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर ने प्रदर्शन किया था. उनका कहना था कि यहां छात्रों को वर्षों से हॉस्टल की मूलभूत सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ रही है. इसी संबंध में ह्स्ढ्ढ ने समस्या के समाधान को लेकर पहले ज्ञापन प्रस्तुत किया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव किया गया। इस प्रदर्शन को लेकर सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें बताया कि एन.एस.यू आई के कार्यकर्ताओ द्वारा भारत माता चौक के पासरास्ता रोक कर चक्का जाम कर उत्पात मचा रहे थे।

प्रदेश में अब तक 400.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर /नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 400.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 670.9 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 214.8 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है। राज्य स्तरीय बा? नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 309.1 मि.मी., सूरजपुर में 513.8 मि.मी., जशपुर में 518.6 मि.मी., कोरिया में 447.2 मि.मी. और मनेन्द्रग?-चिरमिरी-भरतपुर में 394.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 393.0 मि.मी., बलौदाबाजार में 411.2 मि.मी., गरियाबंद में 327.5 मि.मी., महासमुंद में 371.0 मि.मी. और धमतरी में 323.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 435.3 मि.मी., मुंगेली में 444.8 मि.मी., रायगढ़ में 545.6 सारंग?-बिलाईग? में 397.4 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 539.1 मि.मी., सक्ती में 467.4 मि.मी., कोरबा में 492.1 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 402.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 329.7 मि.मी., कबीरधाम में 293.1 मि.मी., राजनांदगांव में 331.6 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 489.4 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 274.4 मि.मी., बालोद में 382.9 मि.मी. और बस्तर जिले में 442.5 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है।

अनुशासनहीनता पर बड़ी कार्रवाई,प्रभारी प्राचार्य निलंबित

रायपुर /नवप्रदेश। अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने,शराब पीकर विद्यालय आने,विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली एवं अमर्यादित व्यवहार सम्बन्धी शिकायत पर कड़ी कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल बी) खूबचंद सरसींहा के द्वारा शराब पीकर विद्यालय आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली, कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने,अमर्यादित व्यवहार एवं अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने सम्बन्धी शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई।जांच उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण प्रभारी प्राचार्य के निलंबन की अनुशंसा की गई। पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत मानते हुए संचालक लोक शिक्षण ने प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

15 स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग, 3 पर एफआईआर, 11 पर और होगी

रायपुर/नवप्रदेश। नगरीय प्रशासन मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने मंगलवार को विधानसभा के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि राजधानी के 15 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी, सभी 15 स्थानों के खसरों में रजिस्ट्री पर रोक लगाने जिला पंजीयक को पत्र भेजा गया है, इसके अलावा 14 स्थानों पर एफ्आईआर दर्ज करने विभिन्न थानों को पत्र भेजा गया है, इसमें तीन प्रकरणों में एफ्आईआर दर्ज कर ली गई है। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मूणत ने प्रदेश में अवैध प्लाटिंग को लेकर सवाल लगाया. उन्होंने रायपुर नगर निगम क्षेत्र के हीरापुर, अटारी, सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड के गोकुल नगर, रामकृष्ण परमहंस वार्ड, एपीजे अब्दुल कलाम वार्ड में हुए अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया।।

आदिवासी मुद्दों पर राजनीति गरमाई, अब नेताओं की भाषा भी अमर्यादित हो गई

■ कश्यप पर बैज का और बैज पर चिमनानी का पलटवार

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुद्दों पर राजनीति गरमाने के साथ अब नेताओं की भाषा अमर्यादित होती चली जा रही है. ऊंचे पदों को सुशोभित करने वाले नेता निचले स्तर के बयान देने से नहीं कतरा रहे हैं. वरिष्ठ आदिवासी नेता केदार कश्यप के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ऐसा ही पैंट गीली होने जैसा अमर्यादित बयान देकर सियासत गरमा दिया है।

दरअसल, दीपक बैज ने आज केदार कश्यप के उस बयान पर पलटवार करते हुए कहा है जिसमें कश्यप ने दिल्ली में राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आदिवासी नेताओं की बैठक पर टिप्पड़ी टिप्पणी की थी.।कश्यप ने कहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की ज़मीन खसक गई है क्यूंकि उन्होंने आदिवासियों के साथ अन्याय किया है। आदिवासी अब कांग्रेस से दूर हो चुके है।

कश्यप के इस टिप्पणी पर बैज पलटवार करते-करते भाषायी मर्यादा भूल बैठे और कश्यप के लिए पेंट गीली जैसे शब्द कहने से भी नहीं कतराए। बैज ने कहा कि केदार कश्यप मेरे साथ बस्तर चले, आदिवासियों से मिल कर उनकी पैंट गीली हो जाएगी। 15 साल राज करने के बाद भी वो आदिवासियों के जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वो आदिवासियों के लिए काम नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें। कई आदिवासी युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उस कुर्सी पर बैठेंगे और आदिवासियों के लिए काम करेंगे।

बैज के इसी पलटवार पर भाजपा के मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कड़ा प्रतिकार किया है। चिमनानी ने कहा कि आदिवासी हितैषी होने की बात करने वाले दीपक बैज के कांग्रेस शासनकाल में सबसे ज़्यादा आदिवासी संस्कृति लोगों से क्यों छीनी गई, आदिवासी छात्रावासों में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, तेंदू पत्ता नहीं ख़रीदा गया, बाहरी लोगों को सांसद बनाया। बेतुके सवाल करना बंद कर बैज पहले इन सवालों का जवाब दे। सियासत में वार-पलटवार, तंज, टिप्पणी, क्रिया-प्रतिक्रिया होते रहती है। लेकिन नेताओं को भाषायी मर्यादा का भी ख़याल रखना चाहिए। कई बार कहावतों में कहीं जाने वाली बातें भी सियासी विवादों को बढ़ा देती हैं।

टैरिफ में न्यूनतम वृद्धि, आपूर्ति में गुणवत्ता

छत्तीसगढ़ में ऊर्जा सुधारों को मिल रहा व्यापक जनसमर्थन : मुख्यमंत्री साय

■ स्टील उद्योगों के लिये राहत, घरेलु उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण, कृषि पंपों पर नहीं पड़ेगा बोझ

रायपुर /नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 हेतु घोषित बिजली टैरिफ में मात्र 1.89 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कि विगत वर्षों में न्यूनतम वृद्धि में से एक है। यह निर्णय जनसुनवाई की प्रक्रिया के बाद पारदर्शी ढंग से लिया गया है और इसे घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर स्टील और रोलिंग मिल उद्योगों तक ने सराहा है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ के कृषक वर्ग पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े। सरकार किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर रही है।

उपभोक्ताओं को राहत, किसानों पर कोई भार नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू विद्युत दरों में केवल 10 से 20 पैसे तक की मामूली वृद्धि की गई है, जबकि कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है, जिसका सीधा असर किसानों पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में पहले से अग्रिम भुगतान की जा रही है।

उद्योगों को बढ़ावा, स्टील इंडस्ट्री की दरों में कटौती

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने हेतु मिनी स्टील, रोलिंग मिल और फेरो एलॉय जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों की दरों में कटौती की है। यह निर्णय उद्योगों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में औसतन 23.85 घंटे/दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 23.45 घंटे/दिन बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। विशेष रूप से कृषि फीडरों में 18 घंटे प्रतिदिन की आपूर्ति दी जा रही है, जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक आंकड़ों में शामिल है। तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को 2020-21 में 23.14त्न से घटाकर 2024-25 में 13.79प्रतिशत किया गया है। यह उपलब्धि दक्ष संचालन, पारदर्शी व्यवस्था और तकनीकी सुधारों का प्रमाण है।

कोरबा में 1320 मेगावॉट का नया प्लांट

वर्तमान टैरिफ में केपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान का भी समावेश है जिसके अंतर्गत ट्रांसमिशन कंपनी के लिए 2433 करोड़, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए 3977 करोड़ और जनरेशन कंपनी के लिए 2992 करोड़ का प्रावधान है। कोरबा में 1320 मेगावॉट के प्लांट की स्थापना का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, जिसकी लागत 15,800 करोड़ है। इससे छत्तीसगढ़ भविष्य में ऊर्जा-सरप्लस राज्य बनेगा और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

सौर ऊर्जा की ओर एक कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक के संयंत्रों पर 78,000 तक केंद्र सरकार से अतिरिक्त 2 किलोवाट तक के संयंत्रों पर 30,000 तक राज्य शासन से अनुदान दिया जाएगा। यह योजना छत्तीसगढ़ के घरेलू उपभोक्ताओं को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में क्रांतिकारी पहल है।

ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ के करार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि पॉवर कंपनी/शासन द्वारा 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के करार किए गए हैं, जिससे आने वाले समय में ऊर्जा उत्पादन और रोजगार दोनों के क्षेत्र में क्रांति आएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारी प्राथमिकता है कि बिजली उपभोक्ताओं को न केवल निर्बाध आपूर्ति मिले, बल्कि वह गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और टिकाऊ हो। वर्तमान और भावी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगा।

महादेव सट्टा ऐप से जुड़े विजय अग्रवाल के तार

■ 70 लाख कैश जब्त, जयपुर में सौरभ की शादी में ईडी की नजर में आए

रायपुर/ भिलाई /नवप्रदेश। रेलवे के ठेकेदार और दुर्ग के होटल व्यवसायी विजय अग्रवाल के निवास, होटल, उनके केशियर और उनके बड़े भाई के घर दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अलग-अलग टीम ने मंगलवार को छापेमारी की. इस कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने विजय अग्रवाल के निवास से 70 लाख रुपए नकद, मोबाइल और अन्य दस्तावेज जब्त किया है. मनी लॉड्रिंग के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को सुबह 6 बजे दो गाड़ियों में ईडी के अधिकारी दुर्ग में दीपक नगर निवासी होटल व्यवसायी विजय अग्रवाल के घर पहुंचे. जानकारी के मुताबिक सुरक्षा में तैनात गार्ड को ईडी की टीम ने आई कार्ड दिखाया, तब उन्हें घर के अंदर जाने दिया. अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों से जांच में सहयोग करने को कहा और दस्तावेजों की जांच-पड़ताल शुरू की. इसके बाद होटल सागर और उसके मैनेजर के घर टीम पहुंची. तीनों स्थानों पर जांच की. जानकारी मिली है कि ईडी ने 70 लाख रुपए कैश, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए है. ईडी की कार्रवाई देर शाम तक चली.।

जानकारी मिली है कि ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉड्रिंग के तहत की जा रही है. महादेव सट्टा ऐप की काली कमाई को सौरभ आहुजा इधर से उधर करता है. इसी क्लू के अधार पर ईडी की टीम ने सौरभ आहुजा की शादी स्थल जयपुर में रेड मारी थी. उस दौरान सौरभ आहुजा भाग गया था. ईडी की टीम ने उसके आयोजन में शामिल होने वाले सभी मेहमानों से पूछताछ की. वहां विजय अग्रवाल भी मौजूद था. बताया जाता है कि वहीं से ईडी को अग्रवाल के तार महादेव सट्टा ऐप की रकम को इधर से उधर करने वालों से जुड़ने का क्लू मिला।

कई व्यवसायी पहुंचे थे जयपुर

सूत्रों से जानकारी मिली है कि सौरभ आहुजा की शादी में भिलाई दुर्ग से करीब दर्जन भर व्यापारी भी जयपुर गए थे. ईडी की कार्रवाई की भनक लगते ही भिलाई और दुर्ग के ये व्यापारी भाग निकले। लेकिन ईडी के हाथ उनके जयपुर में उपस्थिति के फुटेज लगे है. उन सभी के व्यापारियों के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

ई-रिक्शा पर खतरनाक स्टंटबाजी का रील बनाना पड़ा भारी

■ पुलिस ने ठोका भारी जुर्माना

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर ई-रिक्शा का पहिया उठाकर स्टंट करना चालक को भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर फॉलोवर के बढ़ने के लिए उसने रील्स बनाकर डाली, पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर एक्शन लिया. ई-रिक्शा चालक से यातायात पुलिस ने 3000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।

रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड

दरअसल, सोशल मीडिया पर चालक ने ई रिक्शा पर फिल्मी स्टाइल में पहिया उठाकर स्टंट करते हुए रील बनाकर अपलोड कर दिया. यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा. वायरल वीडियो रायपुर पुलिस के संज्ञान में आते ही एक्शन लेते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से मालिक का पता लगाया गया.

जिसके बाद ई-रिक्शा क्रमांक सीजी 04 एनएफ 9289 के चालक मोहम्मद मोहसीन के खिलाफकार्रवाई की गई.।

3000 रुपए का जुर्माना वसूला

ई रिक्शा चालक के खिलाफ लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से स्टंट करने एवं बिना लाइसेंस के तहत मोटरयान अधिनियम की धारा 184, 3/181 के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 3000 रुपए का जुर्माना किया गया।

राजधानी में डबल मर्डर से फैली सनसनी

रायपुर/नवप्रदेश। राजधानी रायपुर से सटे अभनपुर थाना क्षेत्र के बिरोदा गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली डबल मर्डर की घटना सामने आई है। गांव के एक घर में बुजुर्ग दंपति भूखन ध्रुव (उम्र 62 साल) और उनकी पत्नी रूखमणी ध्रुव (उम्र 60 साल) की लाशें खून से लथपथ हालत में मिलीं। आशंका जताई जा रही है कि दोनों की घर के अंदर गला रेतकर हत्या की गई है। घटना की सूचना फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही अभनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह भी अपनी टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

धरती आबा जनभागीदारी अभियान

■ जनजातीय समाज के हितग्राहियों के लिए सौगातों भरा साबित हुआ

■ आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि, पीएम जनधन एवं पेंशन योजनाओं का मिला फायदा

रायपुर /नवप्रदेश। केन्द्र सरकार के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में सेवाओं और अन्य बुनियादी ढाँचों को परिपूर्णता प्रदान करने तथा उनके व्यक्तिगत अधिकारों से परिपूर्ण करने की मंशा से राज्य के विभिन्न ग्रामों में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत लाभ संतृप्ति शिविर जनजातीय समाज के हितग्राहियों के लिए सौगातों भरा एवं राहत देने वाला साबित हुआ है। इस कड़ी में बालोद जिले के जनजातीय समाज के अनेक लोग जो किन्हीं कारणों से शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय में स्थित शासकीय कार्यालयों एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर नही जा पाते थे। ऐसे अनेक लोगों के लिए धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर अत्यंत लाभप्रद कारगर साबित हुआ।

जिले में आयोजित शिविरों के माध्यम से बालोद जिले के आदिवासी वर्ग के अनेक हितग्राहियों को उनके गांव एवं आसपास के गांवों में ही उन्हें शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराने के अलावा उनकी जरूरी समस्याओं का निराकरण भी सुनिश्चित किया गया। जिससे आदिवासी वर्ग के लोगों एवं हितग्राहियों को अपने मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालयों के अलावा शासकीय कार्यालयों तक आने-जाने की समस्या से भी मुक्ति मिली।

रावतपुरा मेडिकल कॉलेज के 150 एमबीबीएस सीटों की मान्यता रद्द

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की 150 सीटें कम हो गई हैं? दरअसल सीबीआई के छापे के बाद नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने नवा रायपुर स्थित रावतपुरा सरकार निजी मेडिकल कॉलेज को नए सेशन के लिए जीरो ईयर घोषित कर दिया है.।यानी सीटों का रिनुअल नहीं किया गया है. रावतपुरा के साथ मध्यप्रदेश, उत्तप्रदेश समेत अन्य राज्यों के 6 निजी कॉलेजों में जीरो ईयर घोषित किया गया है।यही नहीं एनएमसी के 4 एसेसर को भी ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है। जीरो ईयर का मतलब है कि इस माह शुरू होने वाली काउंसलिंग में किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. पिछले

साल एडमिशन लिए छात्रों की पढ़ाई जारी रहेगी. रावतपुरा कॉलेज में 30 जून को एमबीबीएस की 150 सीटों को बढ़ाकर 250 करने के लिए एनएमसी की टीम निरीक्षण करने आई थी।इसमें कॉलेज प्रबंधन द्वारा एसेसर को रिश्वत व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की मिलीभगत उजागर होने के बाद सीबीआई ने कॉलेज में छापामार कार्रवाई की थी. मौके से ही 3 एसेसर व कॉलेज के डायरेक्टर समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. अगले दिन सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में कॉलेज प्रबंधन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय व देश के अन्य कॉलेजों से जुड़े 35 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी।

4 निजी कॉलेजों की मान्यता पर फैसला नहीं

रावतपुरा सरकार कॉलेज में जीरो ईयर होने के बाद प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 2130 से घटकर 1980 रह गई है. नए सेशन में इतनी ही सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा. सभी 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सरकार की अंडरटेकिंग के बाद नए सत्र के लिए मान्यता मिल गई है. 4 निजी कॉलेजों की मान्यता के संबंध में अभी एनएमसी को कोई पत्र नहीं आया है।

यदि हमारे मन में दया का भाव होगा तो ईर्ष्या और द्वेष का स्थान नहीं रहेगा

दया के बिना धर्म नहीं : मनीष सागरजी

■ जीवदया के साथ आत्मदया भी आवश्यक

रायपुर/नवप्रदेश। परम पूज्य उपाध्याय प्रवर युवा मनीषी मनीष सागरजी महाराज ने मंगलवार को चातुर्मासिक प्रवचन श्रृंखला में कहा कि दया के बिना धर्म नहीं हो सकता। दया की कमी के कारण संबंधों में कटुता आती है। एक जीव को दूसरे जीव के साथ सद्भावना रखना चाहिए, एक जीव को दूसरे जीव के प्रति संवेदना रखनी चाहिए। यदि हमारे मन में दया का भाव होगा तो ईर्ष्या और द्वेष का स्थान नहीं रहेगा। टैगोर नगर स्थित पटवा भवन में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपाध्याय भगवंत ने कहा कि हमें अपने भावों की परिणति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। किसी के प्रति आक्रोश या नकारात्मकता का भाव उत्पन्न न हो।

हमें अपने हृदय में हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें उनके पीठ पीछे बुराई करने से बचना चाहिए। छोटी-छोटी बातों में हमें अपनी परिणति को बिगड़ने नहीं देना चाहिए।

उपाध्याय भगवंत ने कहा कि यदि आप केवल कमाने, खाने और बसने के पचड़ों में उलझे रहेंगे, तो आप अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकेंगे। वह मंजिल, जो आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। उसे प्राप्त करने के लिए आपको गहराई से सोचने और अपने मार्ग को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। अनंत में केवल एक ऐसा जीव होता है जो दुर्गति के मार्ग पर नहीं जाता। यदि आप भोग के साधनों में ही लगे रहेंगे, तो पाप से बचना आपके लिए संभव नहीं होगा। दुर्गति की शुरुआत हमेशा पाप से होती है और भोग के पीछे भागने से पाप का जन्म होता है।

न्यूज गैलरी

भारत में टियर-2 और टियर-3 गैर-मेट्रो शहर अधिक नौकरियों और प्रतिभाओं को कर रहे आकर्षित : रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत के गैर-मेट्रो शहरों में रोजगार बाजार की गति और आर्थिक अवसर बढ़ रहे हैं। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। प्रोफेशनल नेटवर्क प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की सिटीज ऑन द राइज रिपोर्ट में विशाखापत्तनम, रांची, विजयवाड़ा, नासिक और रायपुर को सबसे तेजी से बढ़ते गैर-मेट्रो केंद्रों के रूप में मार्क किया गया है, जहां पेशेवर अवसरों में तेजी आ रही है। रिपोर्ट उन उभरते टियर-2 और टियर-3 विकास क्षेत्रों जैसे राजकोट, आगरा, मदुरै, वडोदरा और जोधपुर पर भी प्रकाश डालती है, जो ऐसे पेशेवरों के लिए हैं जो स्थानांतरित होना चाहते हैं, नए उद्योगों में प्रवेश करना चाहते हैं या स्थानीय स्तर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। इन उभरते शहरों की सफलता का श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को दिया गया है। लिंक्डइन इंडिया की संपादकीय प्रमुख और करियर विशेषज्ञ निराजिता बनर्जी ने कहा, टियर-2 और टियर-3 शहर भारत के आर्थिक परिवर्तन के केंद्र में हैं। जीसीसी निवेशों का प्रवाह, स्थानीय एमएसएमई में उछाल और सरकार का विकसित भारत का दृष्टिकोण सामूहिक रूप से छोटे शहरों को सीरियस करियर हब में बदल रहे हैं। बनर्जी ने आगे कहा, इसका मतलब है कि कई भारतीयों के लिए, सार्थक करियर प्रगति के लिए अब बड़े शहर जाना जरूरी नहीं है। क्योंकि ये 10 उभरते शहर उद्योगों, कार्यों और भूमिकाओं में वास्तविक अवसर प्रदान करते हैं।
इसके अलावा, रिपोर्ट में टियर-2 और टियर-3 भारतीय शहरों में कदम रखने और प्रतिभाओं को आकर्षित करने में टेक्नोलॉजी, फार्मा और फाइनेंस कंपनियों की भूमिका पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि डेटा और एआई के बढ़ते ट्रेंड के बीच, टेक कंपनियां टियर-2 और टियर-3 शहरों में अपना कारोबार स्थापित कर रही हैं, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं की गतिविधि को बढ़ावा मिल रहा है। यहां तक कि स्वास्थ्य सेवा और दवा कंपनियां भी विशाखापत्तनम और वडोदरा में अवसर पैदा कर रही हैं; जबकि कई प्रमुख बैंक रायपुर, आगरा और जोधपुर में वित्तीय सेवाओं के विकास को गति दे रहे हैं। नासिक, रायपुर, राजकोट, आगरा, वडोदरा और जोधपुर सहित दस उभरते शहरों में से छह में बिजनेस डेवलपमेंट रोल्स को सबसे ज्यादा नियुक्तियों का प्रमुख स्रोत माना गया है। विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और मदुरै के पेशेवरों के लिए, इंजीनियरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उभर रहे हैं। बिक्री, संचालन और शिक्षा दूसरे प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां टियर-2 और टियर-3 शहरों के पेशेवर नौकरी की तलाश कर सकते हैं।

लक्ष्य भारतीय डाक को उसकी सामाजिक जिम्मेदारी से समझौता किए बिना मुनाफा में लाना

सरकार ने भारतीय डाक को दिया 20-30 प्रतिशत की ग्रोथ का टारगेट : केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय डाक के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 20 से 30 प्रतिशत की महत्वाकांक्षी वृद्धि का लक्ष्य रखा है। यह बयान केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर दिया गया। इसका लक्ष्य भारतीय डाक को उसकी सामाजिक जिम्मेदारी से समझौता किए बिना मुनाफा में लाना है।

सिंधिया ने प्रदर्शन मानकों, नवाचार और जवाबदेही को प्राथमिकता देने वाली कॉर्पोरेट-शैली की संरचना को अपनाने के लिए भारतीय डाक की प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, भारतीय डाक केवल एक सेवा नहीं है, बल्कि हमारे देश के सुदूर कोनों को जोड़ने वाली एक जीवनरेखा है। देश के हर कोने से ऊर्जा, प्रतिबद्धता और विचारों को देखकर गर्व होता है। नई दिल्ली में इंडिया पोस्ट के 'वार्षिक व्यावसायिक सम्मेलन 2025-26' में बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने एक पेशेवर, सेवा केंद्रित संस्कृति विकसित करने के महत्व पर जोर दिया, जिससे भारतीय डाक आम लोगों को सेवाएं देते हुए लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सेवाओं में सशक्त प्रतिस्पर्धा कर सके। केंद्रीय मंत्री ने आंतरिक संचार और ज्ञान साझाकरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एक नए मासिक ई-न्यूजलेटर और डाक संवाद की भी शुरुआत की। यह न्यूजलेटर भारतीय डाक के कर्मचारियों के नवाचारों, व्यावसायिक अंतर्दृष्टि और क्षेत्र की सफलता की कहानियों के साथ-साथ उनके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले लोगों के अटूट विश्वास को भी उजागर करेगा। सभी सर्किल प्रमुखों ने बैठक के दौरान अपने व्यावसायिक प्रदर्शन, क्षेत्रीय पहलों, कठिनाइयों और विकास को गति देने वाली रणनीतियों पर प्रस्तुतियां दीं। ये प्रस्तुतियां भारतीय डाक की बैंकिंग, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और सार्वजनिक सेवा वितरण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किए जा रहे जीवंत और जमीनी प्रयासों पर केंद्रित थीं, साथ ही राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप भी थीं। सिंधिया ने प्रतिनिधियों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की और प्रत्येक क्षेत्र में उनके लक्ष्यों, चुनौतियों और प्रगति पर ध्यान दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय डाक समावेशी विकास को बढ़ावा देने और मजबूत लॉजिस्टिक्स, वित्तीय समावेशन और डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कार में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग के साथ लेवल-2 एडास जैसे फीचर्स दिए गए

भारत में टेस्ला की पहली कार लॉन्च, एक बार चार्ज करने पर 622 किमी चलेगी

नई दिल्ली। टेस्ला ने मुंबई में 'एक्सपीरियंस सेंटर' लॉन्च करने के साथ देश में अपनी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक एसयूवी मॉडल वाई को लॉन्च किया। टेस्ला ने आधिकारिक बयान में कहा कि कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के इर्द-गिर्द एक संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार करके विकास की बड़ी योजना तैयार की है। टेस्ला ने पहली इलेक्ट्रिक स्ङ्क मॉडल ङ्घ को भारत में लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज में 622 किलोमीटर तक चल सकती है। कार में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग के साथ लेवल-2 एडास जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक कार को भारत में दो वैरिएंट- रियर व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव में पेश किया गया है। इसकी आरडब्ल्यूडी वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 60 लाख रुपए है। वहीं लॉन्ग रेंज वैरिएंट की कीमत 68 लाख रुपए है। जबकि, ग्लोबल मार्केट में ये कार ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ भी आती है। कार की बुकिंग शुरू कर दी गई है। आप कंपनी की ऑफिशियल 22 हजार रुपए की टोकन मनी देकर बुक कर सकते हैं। कार की डिलीवरी अक्टूबर से शुरू की जाएगी। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में मंगलवार को शोरूम खोलने के बाद एलन मस्क के नेतृत्व वाली टेस्ला दिल्ली में जल्द शोरूम खोलने की योजना पर काम कर रही है। टेस्ला के मुताबिक, वह नई दिल्ली में चार चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रही है। इसमें 16 सुपरचार्जर होंगे, जबकि 15 डेस्टिनेशन चार्जर होंगे। कंपनी के ईवी इकोसिस्टम में शोरूम, सर्विस सेंटर, डिलीवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग स्टेशन, लॉजिस्टिक्स हब और कंपनी के ऑफिस शामिल हैं। मुंबई में टेस्ला ने प्रमुख क्षेत्रों जैसे लोअर परेल, बीकेसी, नवी मुंबई और ठाणे में चार प्रमुख चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण का ऐलान किया है। इसमें 16 सुपरचार्जर और 16 डेस्टिनेशन चार्जर होंगे। टेस्ला ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन उसके व्यापक मिशन का सिर्फ एक हिस्सा है। कंपनी का असली लक्ष्य एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाना है। कंपनी ने बताया कि दुनिया भर के 55 देशों में 80 लाख से ज्यादा टेस्ला वाहन वितरित किए जा चुके हैं और सिर्फ 2024 में ही ओवर-द-एयर (ओटीए) सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए 250 से ज्यादा नए फीचर जोड़े गए हैं। कंपनी समय के साथ कारों को और स्मार्ट बनाने के लिए ऐसे अपडेट जारी रखने की योजना बना रही है। कंपनी पहले से ही दुनिया भर में 70,000 से ज्यादा सुपरचार्जर के साथ 7,000 से ज्यादा सुपरचार्जिंग स्टेशन संचालित करती है। भारत के रोजगार बाजार को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, टेस्ला ने पुष्टि की कि वह पूरी तरह से स्थानीय प्रतिभाओं पर निर्भर रहेगी। उसने कहा, देश में कंपनी के संचालन का नेतृत्व करने के लिए भारतीय नागरिकों को नियुक्त किया जाएगा, जिससे एक वैश्विक ब्रांड के लिए घरेलू नेतृत्व सुनिश्चित होगा।

गूगल' दक्षिण कोरिया में स्टैंडअलोन यूट्यूब सब्सक्रिप्शन शुरू करने की बना रहा योजना

सोल। गूगल दक्षिण कोरिया में यूट्यूब वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए एक स्टैंडअलोन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें म्यूजिक स्ट्रीमिंग का विकल्प नहीं होगा। देश के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर ने मंगलवार को कहा कि यह निर्णय दक्षिण कोरिया की कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथा को दूर करने के लिए एक स्वैच्छिक सुधारात्मक उपाय के रूप में लिया गया है। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, फेयर ट्रेड कमीशन (एफटीसी) के अनुसार, यूट्यूब प्रीमियम लाइट नाम से इस स्टैंडअलोन प्रोडक्ट की कीमत मौजूदा यूट्यूब प्रीमियम प्लान की कीमत से लगभग आधी होगी, जिसमें वीडियो और म्यूजिक स्ट्रीमिंग दोनों फीचर्स होंगे। एफटीसी ने कहा कि एंड्रॉइड यूजर्स यूट्यूब प्रीमियम लाइट की मेंबरशिप 8,500 वॉन (6.15 अमेरिकी डॉलर) प्रति माह पर ले सकते हैं, जबकि आईओएस यूजर्स के लिए मासिक कीमत 10,900 वॉन निर्धारित की गई है।
नए सब्सक्रिप्शन प्लान को गूगल की सुधारात्मक कार्य योजना के रूप में प्रस्तावित किया गया था ताकि यूट्यूब म्यूजिक को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की विज्ञापन-मुक्त प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस के साथ बंडल करने की उसकी प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथा को संबोधित किया जा सके।
2020 में गूगल द्वारा इस तरह के प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद एफटीसी ने 2023 में अमेरिकी तकनीकी दिग्गज द्वारा कोरिया के निष्पक्ष व्यापार नियमों के कथित उल्लंघन की जांच शुरू की। एफटीसी ने गूगल पर ग्राहकों को दोनों सर्विस की सदस्यता लेने के लिए प्रभावी रूप से मजबूर करने, उन लोगों के लिए विकल्प सीमित करने का आरोप लगाया है जो शायद केवल विज्ञापन-मुक्त वीडियो स्ट्रीमिंग तक पहुंच चाहते थे, जिससे उपभोक्ता विकल्प सीमित हो गए और उसके बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग हुआ। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय गूगल ने एफटीसी की 'सहमति निर्णय' नामक प्रक्रिया के तहत स्टैंडअलोन वीडियो स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन प्लान शुरू करने की एक सुधारात्मक कार्य योजना प्रस्तुत की है। यह व्यवस्था एफटीसी को अपनी जांच सस्पेंड करने की अनुमति देती है अगर कंपनी स्वेच्छा से ऐसे उपाय प्रस्तावित करती है जो कथित उपभोक्ता नुकसान को दूर करते हैं।

खेल, मनोरंजन

भारत बनाम इंग्लैंड चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड के स्क्वाड का हुआ ऐलान

***बशीर की जगह लियाम डॉसन को टीम में शामिल**

नईदिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैंचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे है. चौथा मैच 23 जुलाई से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा. उससे पहले इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड में बड़ी तबदीली की है. चोटिल स्पिनर शोएब बशीर की जगह लियाम डॉसन को टीम में शामिल किया गया है. बता दें कि बशीर लॉर्ड्स में भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में के दौरान चोटिल हो गए थे और उनकी उंगली में फ्रैक्चर होने की वजह से वे सीरीज से बाहर हो गए. बशीर को मैच के तीसरे दिन भारत की पहली पारी के 78वें ओवर में चोट लगी थी, जब रवींद्र जडेजा ने एक जोरदार शॉट सीधे बशीर की तरफ मारा, जिसे पकड़ने की कोशिश में गेंद उनकी उंगली पर लग गई. इसके बावजूद 21 वर्षीय बशीर ने आखिरी दिन ओवर भी फेंका और मोहम्मद सिराज के रूप में मैच का आखिरी विकेट लेकर इंग्लैंड की जीत पक्की कर दी.
उनकी जगह अब टीम में शामिल किए गए बाएं हाथ के 35 वर्षीय स्पिनर ने आखिरी बार जुलाई 2017 में इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला था. उन्होंने अबतक केवल तीन टेस्ट, 6 वनडे और 14 टी20 मैच खेले हैं. टेस्ट में उनके नाम 7 वनडे में 5 और टी20 में 11 विकेट हैं. लेकिन वे कई वर्षों से काउंटी क्रिकेट में हैम्पशायर के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें क्रमशः 2023 और 2024 में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के चीप सिलेक्टर ल्यूक राइट ने कहा, %लियाम डॉसन टीम में शामिल होने के हकदार हैं. काउंटी चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है और वे हैम्पशायर के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड का स्क्वाड- बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, लियाम डॉसन, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, क्रिस वोक्स.चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड- शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान, विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव।

पलक तिवारी ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हॉट तस्वीरें

पलक तिवारी ने एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट से सोशल मीडिया का पारा बढ़ा दिया है. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह स्ट्रैपलेस ब्लैक मिनी ड्रेस में बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं. पलक की इस ड्रेस पर लगा बड़ा फ्लोरल डिटेल उनके लुक को और भी खास बना रहा है. इस तस्वीर में पलक खुले बालों और मिनिमल मेकअप में पोज़ देती दिख रही हैं।

उन्होंने अपने लुक को मैचिंग स्ट्रैपी हील्स के साथ पूरा किया है, जो उनके ओवरऑल स्टाइल को परफेक्ट टच देता है. इस पोस्ट पर कुछ ही घंटों में हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. फैंस ने उन्हें सो प्रिटी, हॉट और स्टनिंग जैसे कॉम्प्लिमेंट्स दिए हैं। पलक तिवारी का ये बोल्ड और कॉन्फिडेंट लुक एक बार फिर साबित करता है कि वह सिर्फ एक उभरती हुई एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि फैशन आइकन भी हैं. उनकी हर तस्वीर पर फैंस का प्यार और तारीफें लगातार बरस रही हैं। पलक तिवारी ने इस पोस्ट से ये दिखा दिया कि उनका स्टाइल सेंस कमाल का है और वह हर बार अपने फैशन से फैंस को इंप्रेस करना बखूबी जानती हैं. अब फैंस को उनके अगले फोटोशूट और प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार है।

27 पर ऑलआउट होने के बाद वेस्टइंडीज में मचा हड़कंप

बोर्ड ने बुलाई आपात बैठक

नईदिल्ली। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरे सबसे कम स्कोर (27 रन) पर ऑलआउट होने के बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट में भूचाल आ गया है. जिसकी वजह से क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक आपात बैठक में दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा, क्लाइव लॉयड और विव रिचर्ड्स को शामिल होने के लिए बुलाया है. ताकि ये तीनों खिलाड़ी खिलाड़ी शिवनारायण चंद्रपॉल, डेसमंड हेन्स और इयान ब्रैडशॉ के साथ क्रिकेट रणनीति और टीम के हालिया बेहद निराशाजनक प्रदर्शन का आकलन करें। वेस्टइंडीज को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर न सिर्फ 3-0 से सीरीज में मिली करारी हार मिली, बल्कि हर मैच तीन दिन के अंदर ही खत्म हो गया. सबसे खराब प्रदर्शन तीसरे और आखिरी टेस्ट में आया, जब वे 14.3 ओवर में सिर्फ 27 रन पर ऑलआउट हो गए. जो कि टेस्ट इतिहास का दूसरा सबसे छोटा स्कोर है और 1955 में न्यूजीलैंड द्वारा बनाए गए 26 रन से केवल एक रन ज्यादा था. इसके ये वेस्टइंडीज के पिछले न्यूनतम स्कोर 47 रन से भी काफी कम था।वेस्टइंडीज की इस शर्मनाक पारी में एक अनचाहा रिकॉर्ड ये भी बन गया कि ऐसा पहली बार हुआ जब किसी टीम के एक टेस्ट पारी में सात खिलाड़ी शून्य पर आउट हो गए और शीर्ष छह बल्लेबाजों ने केवल छह रन बना सके, जो टेस्ट इतिहास में अब तक के सबसे कम रन था। क्रिकेट वेस्टइंडीज के अध्यक्ष डॉ. किशोर शालो ने स्वीकार किया कि हालिया हार वेस्टइंडीज क्रिकेट समुदाय में कई रातों की नींद हराम कर देंगी. हालाँकि, उन्होंने धैर्य रखने का आग्रह किया और टीम के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया और अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों में निवेश शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया. शैलो ने एक बयान में कहा, %हर वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्रशंसक की तरह, मुझे भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया टेस्ट हार का दर्द महसूस हुआ।

सात्विक-चिराग और लक्ष्य सेन ने बनाई प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह

नई दिल्ली। जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट से भारत के लिए अच्छी और बुरी खबर दोनों आई हैं. इस खबर को सुनने के बाद कुछ बैडमिंटन फैंस खुश है तो कुछ निराश है. दरअसल जापान ओपन से भारत के लिए बुरी खबर पीवी सिंधु का बाहर होना रहा है. तो वहीं अच्छी खबर ये है कि, सात्विक और चिराग ने शानदार जीत दर्ज कर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. इसके साथ ही चिराग शेट्टी ने भी दूसरे राउंड में अपना स्थान पक्का कर लिया है। भारत के स्टार शटलर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने बुधवार को जापान ओपन के मेंस डबल्स में धमाकेदार जीत दर्ज कर प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री मारी ली है. भारतीय जोड़ी ने लगातार दो सेट जीतकर कोरियाई जोड़ी डोंग-जू और कांग मिन ह्युक को 21-18, 21-10 से हरा दिया और प्री-क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल्स के पहले राउंड में चीनी खिलाड़ी वांग जिनसेंग को हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. लक्ष्य ने अपना मैच सीधे सेटों में जीत लिया. सेन ने जिनसेंग को 21-11, 21-18 से हरा दिया. लक्ष्य में पूरे मैच के दौरान बेहतरीन खेल दिखाया और अंत में धमाकेदार जीत दर्ज कर ली। भारत की स्टार महिला शटलर और ओलिंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु का खराब फॉर्म टोक्यो में भी जारी रहा, यहां आयोजित हो रहे जापान ओपन के पहले राउंड में उन्हें हार मिली।

निक्की तंबोली ने किया वीगन डाइट अपनाने का फैसला

अभिनेत्री निक्की तंबोली ने शाकाहारी बनने का फैसला किया है। इसकी घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए की। निक्की तंबोली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था, गो वीगन यानी वीगन बनो।उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, वीगन होना केवल एक डाइट नहीं है, बल्कि यह दिल से लिया गया एक फैसला है। मैं खुद इस बदलाव को अपनाना चाहती हूं, जो मैं इस दुनिया में देखना पसंद करूंगी। निक्की ने अपने फैसले के पीछे की वजह का भी खुलासा किया। उन्होंने कहा, काफी समय से मैं इस बारे में सोच रही थी और आखिर में मेरे दिल ने मुझे यह फैसला लेने के लिए कहा। मुझे यह एहसास हो गया कि मेरे लिए किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बदलाव अपने घर से शुरू होता है। इसलिए, मैंने खुद वीगन बनने का फैसला किया। इससे मुझे शांति और सुकून मिल रहा है।निक्की ने बताया कि उन्होंने खुद अपनी पसंद से वीगन बनने का फैसला लिया है, यह किसी और की वजह से या किसी के कहने पर लिया गया फैसला नहीं है।निक्की ने कहा, यह मेरा निजी फैसला है और मैं अपने फैसले से बेहद खुश हूं। मेरा रिश्ता या डेटिंग लाइफ यह तय नहीं कर सकती कि मैं क्या खाऊं? मेरे लिए मेरी अपनी पहचान और खुद से जुड़ाव सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं इसमें कभी समझौता नहीं कर सकती। यह मेरा व्यक्तिगत फैसला है और इसका मेरे पार्टनर के धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। धर्म और खाने-पीने की पसंद अलग-अलग बातें हैं, इन्हें मिलाना सही नहीं है। मैं हमेशा अपने दिल और अंदर की आवाज को सुनती हूं और आगे भी ऐसा ही करती रहूंगी। मैं उम्मीद करती हूं कि और लोग भी अपने दिल की सुनें और इस दुनिया को जानवरों के लिए एक बेहतर और शांत जगह बनाएं। बता दें कि निक्की तंबोली अभिनेता अरबाज पटेल के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में है।

गोधस झरना दो हिस्सों में बंटकर गिरने वाला झरना
200 फीट ऊंचाई से गिर रहा जलप्रपात

छुरा/नवप्रदेश। पूर्वी भारत में स्थित ओडिशा कई खूबसूरत जगहों पर और बेजोड़ प्राकृतिक सुन्दरता का घर है। बेजोड़ प्राकृतिक नजारों का घर होने के बावजूद भी ओडिशा आज भी पर्यटकों की नजरों से दूर हैं। प्राचीन वास्तुकला से निर्मित मंदिर, समुद्र और खुबसूरत झरने है, जी हां झरने, ओडिशा में कई ऐसी खूबसूरत झरने है, जो ओडिशा के पर्यटन में खास भूमिका निभाते हैं। ज्ञात हो कि रसेला से 7 किलोमीटर दूर पर ओडिशा बार्डर की शुरुआत हो जाती है। रसेला से धरमबाधा 15 किलोमीटर वहीं धरमबाधा से गोधस 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। झरना सुनाबेडा वन्यजीव अभयारण्य में है और नुआपड़ा जिला से 29 किमी और रायपुर से 144 किमी दूर है। यह झरना 200 मीटर की ऊंचाई से दो भागों में एक ही स्थान पर गिरता है और खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। गोधस झरना ओडिशा में एक छुपा हुआ रत्न है जो शहर के जीवन की हलचल से दूर एक शांतिपूर्ण वापसी प्रदान करता है, जो इसे प्राकृतिक सुन्दरता और शांति की तलाश करने वालों के लिए एक सार्थक गंतव्य बनाता है। झरना स्वच्छ और ठंडा पानी उत्पन्न करता है, जो इस जगह को प्राकृतिक स्नान के लिए अद्भुत बनाता है। सर्दियों में यहां पिकनिक मनाने का सबसे अच्छा समय है। झरना प्राकृतिक सुन्दरता से भरपूर है और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अच्छी जगह है। गोधस झरना इस क्षेत्र के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। गोधस जलप्रपात देखने का सबसे अच्छा समय मानसून जून से सितम्बर के दौरान होता है, जब झरना अपने पूरे चरम पर होता है। इस खूबसूरत झरने, जिनकी शीतलता मन को और आत्मा को शांति पहुंचाती है। जहां अक्सर प्रकृति प्रेमी रंग बिरंगे पक्षियों को निहारने पहुंचते हैं। इसलिए दूर दूर से पर्यटक इस झरने की सैर करने आते हैं। सर्दियों के दौरान अधिक पर्यटक यहां आकर्षित होते हैं। यहां पानी को नीचे गिरते हुए देखना एक रोमांचक अनुभव साबित होता है। आस-पास का क्षेत्र हरा भरा होने के कारण पर्यटकों को यह जगह और ज्यादा लुभाती है। हरे भरे वातावरण के बीच पानी की आवाज इस स्थान पर बांधे रखेगी।

न्यूज गैलरी

जीवन की जद्दोजहद: सड़क किनारे संघर्ष करती वनांचल क्षेत्र की महिलाएं

नगरी/नवप्रदेश। नगरी विकासखंड के जंगलों क्षेत्र में गांव गांव बसे कई परिवार जो अपने रोज सुबह व दोपहर के समय एक भावुक दृश्य देखने को मिलता है सड़क किनारे कुछ वनांचल क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार की भरण पोषण के लिए जंगल से वनांचल क्षेत्र से लाये गये उत्पाद मशरूम , बोड़ा,फुट्टु, डोंगरी भाजी, जैसे अन्य खाने लायक वस्तु बेचते हुए नजर आते हैं इनके पास कोई दुकान नहीं,न छांव की सुविधा किये बिना फिर भी ये महिलाएं धुप, बारिश, और थकान की परवाह किये बिना मेहनत और आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन का प्रयास कर रही है ये महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है बल्कि जैविक और प्राकृतिक उत्पादो को शहर तक पहुंचाकर एक स्वस्थ समाज की नीव रख रही है इनकी मेहनत में आत्मनिर्भर भारत की परछाई साफ साफ नजर आती है लेकिन इनका यह संघर्ष शासन प्रशासन के लिए एक सवाल बनकर खड़ा होता है क्या इन महिलाओं के लिए कोई स्थाई सुविधा नहीं होनी चाहिए इन जैसे महिलाओं के लिए यदि सड़क किनारे एक सुरक्षित हाट बाजार, छायादार जगह, पेयजल व्यवस्था व छोटे स्टाल की सुविधा दी जाय तो ये महिलाएं आत्मनिर्भर के साथ अपने परिवार का व बच्चों का भविष्य भी संवार सकती है।

अनुशासनहीनता पर कार्रवाई अर्जुनी के प्रभारी प्राचार्य निलंबित

भाटापारा/नवप्रदेश। अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने,शराब पीकर विद्यालय आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली एवं अमर्यादित व्यवहार सम्बन्धी शिकायत पर कड़ी कार्यवाही करते हुए अर्जुनी के प्रभारी प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य (मूल पद व्याख्याता एल बी) खूबचंद सरसींहा के द्वारा शराब पीकर विद्यालय आने, विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली, कर्मचारियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने,अमर्यादित व्यवहार एवं अनुशासनहीनता को बढ़ावा देने सम्बन्धी शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई।जांच उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर दीपक सोनी के द्वारा प्रभारी प्राचार्य खूबचंद सरसीहा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने के कारण प्रभारी प्राचार्य के निलंबन की अनुशंसा की गई।

वन विभाग ने पकड़ा लकड़ियों से भरा ट्रैक्टर

महासमुंद/नवप्रदेश। पिथौरा वन परिक्षेत्र में अवैध रुप से लकड़ियां परिवहन करते वन विभाग की टीम ने बीती रात एक ट्रैक्टर को पकड़ा। टीम को सुखीपाली के जंगल में अवैध लकड़ी परिवहन होने की सूचना मिली थी। पिथौरा रेंजर सालिकराम डड़सेना ने बताया कि टीम के साथ गश्त में निकले थे। तभी बिना नंबर एक महेन्द्रा ट्रैक्टर 275 से सुखीपाली के जंगल के कक्ष क्रमांक 237 से गीली साजा, धावड़ा, रोहिना, भिर्रा मिश्रित लकड़ियां परिवहन करते बरेकेल निवासी ट्रैक्टर मालिक दिलीप सिंह ठाकुर (56) और उसके बेटे ट्रैक्टर चालक चुरामणि ठाकुर को पकड़ा। लकड़ियां जब्त कर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 च, धारा 52 ए एवं परिवहन अधिनियम धारा 41 के तहत राजसात की कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने घटना स्थल और परिवहन में जब्त वनोपज का ठूंठ मिलान करने पर कक्ष क्रमांक 237 से 46 नग ठूंठ पाया गया है।

शराब पीने की व्यवस्था देने पर कार्रवाई

महासमुंद/नवप्रदेश। सरायपाली पुलिस ने शराब पीने-पिलाने की सुविधा दे रहे एक वृध्द के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम झालपाली के गुलाल भास्कर (60) के खिलाफधारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की।

ताली और थाली से किया सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन

पूरे प्रदेश के कर्मचारी रायपुर में राजधानी धरना स्थल पर एकत्रित होकर विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे

- कोरोना योद्धाओं का कर रही सरकार अपमान,भूल गई वादे
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सरकार पर लगाया आरोप

गरियाबंद/नवप्रदेश। नियमितीकरण ,जॉब सुरक्षा, ग्रेड पे ,अनुकंपा नियुक्ति ,मेडिकल बीमा ,27 प्रतिशत वेतन वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की मांग कर रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत 16 हज़ार कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन आज सातवें दिन भी जारी रहा ।

विरोध प्रदर्शन की इस कड़ी में आज सभी 33 जिला मुख्यालय में ताली और थाली रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपनी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सौंपा, और कहा है कि, यदि उनकी मांगे जल्द ही नहीं पूरी की जाती हैं तो प्रदेश में एनएचएम के 16 हज़ार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी किसी बड़े *अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने को विवश हो सकते हैं जिस कारण प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में जो असुविधा होगी उसके लिए शासन -प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा ।

गरियाबंद जिलाध्यक्ष अमृत राव भोंसले ने बताया कि जिले में 460 के करीब एन एच एम संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं यह कर्मचारी पिछले 20 वर्षों अधिक समय से अपनी सेवा शर्तों में सुधार,नियमितीकरण, अपनी नौकरी की सुरक्षा, समान काम समान वेतन, जैसी चाह लिए लगातार पिछली कई सरकारों के कार्यकाल में धरना प्रदर्शन, आंदोलन, अनुनय निवेदन ज्ञापन देते रहे हैं इस सरकार के कार्यकाल में भी मोदी की गारंटी के नाम से हमारी समस्याओं के समाधान का वादा किया गया है परंतु आज पर्यंत इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने लगभग 100 से अधिक बार ज्ञापन मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को दिया है इसके अलावा कई उच्च अधिकारियों से भी भेंट की गई है, परंतु परिणाम शून्य ही रहा जिसके कारण 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक यह प्रदर्शन चरणबद्ध रूप से जारी है ।

कर्मचारियों ने बताया कि, वह ताली और थाली करने पर आज इसलिए मजबूर हैं क्योंकि कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कोरोना वॉरियर का दर्जा देकर पूरे देश भर से हमारे लिए ताली और थाली बजवाई थी। परंतु आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी हम कोरोना योद्धा जिनके लिए देशभर में तालियां थाली बजी, 20 वर्षों से पीड़ित हैं जिसके कारण आज लाचार होकर अपने लिए ताली और थाली बजाने पर विवश हो चुके हैं ।

आंदोलन की कड़ी में 10 तारीख को सभी विधायकों को ज्ञापन सौपा गया ,11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया 12 से 15 तक काली पट्टी लगाकर कार्य किया गया एवं 16 जुलाई को जिला स्तरीय पर एक दिवसीय धरना रैली की गई जबकि 17 जुलाई को पूरे प्रदेश के यह कर्मचारी रायपुर में राजधानी धरना स्थल पर एकत्रित होकर विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे।

इस अवसर पर प्रशांत अवधिया, डॉ शंकर पटेल, डॉ योगेंद्र रघुवंशी, भूपेश साहू, भूपेंद्र सिन्हा, शेखर धुर्वे,डॉ लक्ष्मीकांत ठाकुर, डॉ लेखा कँडरा, डॉ देवेंद्र साहू, डॉ रूपेंद्र महिलांगे, डॉ महावीर बरगाह, दीपेश टांडी, लम्बोदर महतो, तोमेश देवांगन, श्रीमती अनु विश्वकर्मा, योगेश साहू, मदन परते, अनीश अख्तर, एन कुमार साहू, भारत ठाकुर, डॉ चेतन नाग, कमलेश्वर ढीढी, टिकेश साहू, धीरज शर्मा, गौरव यादव, लालिमा साहू, सुश्री पुष्पा कुर्रे, माया यादव, श्रीमती प्रीति पांडे, खिलेश सिन्हा, चन्द्रहास श्रीवास, चंद्रभूषण पटेल, सौरभ पांडे, धरम साहू, अशोक दीवान, सियाराम सिन्हा, शिव साहू, रवि विश्वकर्मा, संतोष साहू, प्रियांशु सेन, केशर सिन्हा, लेखन साहू, संजय साहू, कामिनी चंदेल, युलिका देवांगन, गुंजा साहू, पूजा साहू सहित पुरे एन एच एम कर्मचारी उपस्थित रहे ।

मुख्यमंत्री ने 'मोर गांव मोर पानी' अभियान पर आधारित पुस्तिका का किया विमोचन

रायपुर /नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कक्ष में 'मोर गांव मोर पानी' महाअभियान पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रारंभ किए गए इस विशेष अभियान ने जल संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व चेतना उत्पन्न की है। विमोचन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, प्रमुख सचिव पंचायत निहारिका बारीक, आयुक्त मनरेगा और संचालक प्रधानमंत्री आवास योजनातारण प्रकाश सिन्हा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ग्राम पंचायतों की सक्रियता और जनता की स्वप्रेरित भागीदारी के चलते यह अभियान अब एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। लोग स्वेच्छा से जल संरक्षण जैसे पुनीत कार्यों से जुड़ रहे हैं, जो सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि पुस्तिका में राज्य की विभिन्न पंचायतों द्वारा जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों और नवाचारों को संकलित किया गया है, जो अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेंगे।

मातृशक्तियों ने मनाया सावन उत्सव,उमड़ा उल्लास

कुरूद/नवप्रदेश। सावन महीने के प्रारंभ होते ही चारो तरफवातावरण में एक नया रूप प्रारंभ हुआ है। जिसका सीधा प्रभाव लोगों की दिनचर्चा पर हुआ है। भीषण गर्मी के कोहराम के उपरांत मानसून के आगमन ने न केवल लोगों को राहत दी है बल्कि कृषि कार्यों से जुड़े लोगों को भी खुशहाली रूपी इनाम प्रदान किया है। इस बीच सावन महीने के आगमन के साथ त्यौहारो के आगाज होने से धरती महक उठी है। कुरूद में प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुसार चंद्राकर भवन में मातृशक्तियों ने सावन महोत्सव मनाया। इस दौरान पारंपरिक हरे ड्रेस कोड के साथ सभी ने आपस में मिलकर एक दूसरे को सावन के आगमन की बधाई दी।इस बीच विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ और सभी ने पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इसके साथ ही सावन झुला झूलने की परंपरा का निर्वहन किया। साथ ही सभी ने एक साथ नृत्य का आनंद लेते हुए इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। इस दौरान नेहा चंद्राकर , नमिता चंद्राकर ,शीला चंद्राकर ,प्रभा चंद्राकर, ममता, भारती ,श्वेता ,पूजा ,बरखा ,लक्ष्मी ,रेनू ,उर्वशी, परमेश्वरी , अनीता , अंजू , अंबिका , कल्पना ,नर्मदा ,गायत्री, रुचि ,लता, नंदिनी ,सुकून ,दुर्गा ,सविता द्रोपती ,मीना ,रतना ,कविता नंदिता अंजलि सहित मातृशक्तियां और बहने उपस्थित थी।

अभनपुर में डबल मर्डर : घर में मिला पति-पत्नी का शव, पुलिस पहुंची मौके पर

नवापारा राजिम/नवप्रदेश। अभनपुर क्षेत्र में घर के अंदर पति-पत्नी का खून से लथपथ शव मिला है। शुरुआती जांच में पता चला है कि धारदार हथियार से गला रेतकर उनकी हत्या की गई है। घटना की सूचना के बाद एसएसपी, एएसपी, सीएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। जांच के लिए एफएसएल यूनिट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया गया है। मामला रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार, अभनपुर क्षेत्र के ग्राम बिरोदा में बुधवार को भूखन ध्रुव (62 वर्ष) और उनकी पत्नी रुक्मणी ध्रुव (60 वर्ष) का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि भूखन दूसरे व्यक्ति के खेत में काम करने जाता था। बुधवार को जब भूखन काम पर नहीं पहुंचा तो वह उसे देखने उसके घर गया, तो उसने पति-पत्नी का शव देखा। इसके बाद गांव के सरपंच को घटना की जानकारी दी। सरपंच ने पुलिस को सूचना दी।

पटवारी पर किसान ने लगाया रिश्वत मांगने का आरोप

- किसान ने एसडीएम से की कार्रवाई की मांग

राजिम/नवप्रदेश। जिला प्रशासन द्वारा पटवारियों की कार्यशैली पर कड़ाई से निगरानी और बार-बार सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बावजूद, कुछ पटवारी अपनी मनमानी और अनैतिक गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे। इसका ताजा उदाहरण राजिम हल्का नंबर 23 की पटवारी भारती देवांगन के खिलाफ सामने आया है, जिन पर एक किसान ने रिश्वत मांगने और कार्य में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्राम पंचायत बकली के किसान टिकेश आडिल ने इस मामले में एसडीएम को लिखित शिकायत देकर त्वरित और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

टिकेश आडिल ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने जमीन के नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में आवेदन किया था। तहसीलदार ने इस आवेदन को स्वीकृत कर नामांतरण का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन जब टिकेश पटवारी भारती देवांगन के पास आवश्यक दस्तावेज और ऋण पुस्तिका लेने पहुंचे तब पटवारी ने उनसे 2000 रुपये की रिश्वत मांग की। आर्थिक रूप से कमजोर टिकेश इस राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे। इसके बाद, पटवारी ने न केवल उनके दस्तावेज पूरे करने में आनाकानी की, बल्कि बी-1 और पी-2 जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं कराए। यही नहीं, पटवारी ने नामांतरण से संबंधित दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर तक नहीं किया, जिसके कारण टिकेश का किसानी कार्य पूरी तरह ठप हो गया। टिकेश ने बताया कि जब उन्होंने पटवारी से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तो पता चला कि पटवारी ने उनका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है।

लापरवाही | पहली बारिश ने खोल दी ठेकेदार की पोल

छुरा नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइट पोल घोटाला

छुरा /नवप्रदेश। छुरा नगर पंचायत में अधोसंरचना मद से कराए जा रहे कार्यों की असलियत पहली ही बारिश में उजागर हो गई है। नगर पंचायत की ओर से चारों दिशाओं में सीमावर्ती क्षेत्रों तक स्ट्रीट लाइट पोल बिछाने का कार्य लगभग 5-6 माह पूर्व कराया गया था। ठेकेदार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर यह कार्य कराया गया, जिसका उद्देश्य था कि पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में रात्रि में रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। लेकिन यह कार्य केवल कागजों और फोटो खिंचवाने तक ही सीमित रह गया।

बरसात की पहली बारिश में ही पोल धराशायी

तहसील कार्यालय के ठीक पास लगे पोल के गिर जाने से नगरवासियों में भय और आक्रोश दोनों है। गिरी हुई पोल खुद गवाही दे रही है कि इसे खड़ा करने में कितनी घोर लापरवाही बरती गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पोल लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे में केवल ऊपरी हिस्से में गिट्टी, रेत और सीमेंट का मिश्रण डाला गया। अंदर की परत काली मिट्टी और उखड़ी हुई ईंटों से भरी थी। मजबूती का कोई इंतजाम नहीं था, इसी कारण पहली बारिश ने ही पोल को गिरा दिया।

गिरा पोल चीख चीख कर कह रहा है, मुझे मजबूती नहीं दी गई'

लोग तंज कस रहे हैं कि यह पोल आज नगर पंचायत और ठेकेदार के भ्रष्टाचार की कहानी खुद बयां कर रहा है। जिस पोल को 10-15 साल तक रोशनी देनी थी, वह पहली बारिश में ही गिर गया। इससे बड़ा मजाक और क्या होगा जनता के पैसों के साथ, यह कहना है तहसील के पास दुकान चलाने वाले का।

हादसे की आशंका, प्रशासन बेखबर : गनीमत यह रही कि पोल गिरने के समय वहां कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तहसील और बस स्टैंड क्षेत्र में लोगों की आवाजाही दिनभर बनी रहती है। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं रोज इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर यह पोल उन पर गिर जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर वासी ने कहा।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर पंचायत में इस तरह के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की जांच कभी नहीं कराई जाती। ठेकेदार मनमानी करते हैं, इंजीनियर और अधिकारी कागजों पर साइन कर देते हैं। कोई देखने वाला नहीं है। जब पोल गिरा, तब पता चला कि इसे खड़ा करने के नाम पर केवल लीपापोती की गई थी।

काम पूरा होते ही भुगतान कर दिया गया, अब कौन देखे?'-अधिकारी मौन

इस पूरे प्रकरण पर नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। एक कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि काम पूरा होते ही भुगतान कर दिया गया था। क्वालिटी टेस्ट की कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

लोगों की मांग-'जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो'

नगरवासियों ने कलेक्टर गरियाबंद और एसडीएम छुरा से मांग करने की बात कह रही है कि पूरे पोल बिछाई कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई जाए। यदि ठेकेदार द्वारा लापरवाही की पुष्टि हो, तो उसका भुगतान रोका जाए और उस पर कार्रवाई की जाए।- जनता का पैसा है, ठेकेदार की बपौती नहीं। अगर समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं आम होंगी और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक यशवंत धोटे द्वारा मिनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नं. 74 सेक्टर-सी, उरला इंडस्ट्रीयल एरिया से मुद्रित कर रजबंधा मैदान प्रेस काम्पलेक्स रायपुर से प्रकाशित, RNI NO.CHHHIN/2012/41806 संपादक-यशवंत धोटे (पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के लिए उत्तरदायी) फोन : 0771-3526755, 6262188999, navpradesh@gmail.com